

₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

दिसम्बर 2011

जिहाद की वास्तविकता
–मौलाना अबुल आला मौदूदी

साम्प्रदायिक हिंसा से देश व समाज को कैसे बचाएं ?
–मुहम्मद सलीम इंजीनियर

औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता
–ज़फ़र अहमद

सती प्रथा : कुछ प्रयास शेष
–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

ڈائریاں اور کیلنڈر 2012

شب وروز (ڈائری) عام اور ڈیلکس ایڈیشن

• ہر صفحے پر قرآنی آیات واحادیث رسولؐ، انبیاء کرام، صحابہ عظام اور بزرگان سلف کے سبق آموز اقوال، معتبر شعرا کے تعمیری اور فکر انگیز اشعار • شروع وآخر کے ۶۴ صفحات پر اہم ودلچسپ معلومات، مسنون دعائیں، خطباتِ جمعہ ونکاح، قربانی، عقیقے، نمازِ جنازہ اور استخارے کی ماثورات • طلبہ کے لیے اسکالرشپ کے مواقع • پرائیوٹ سیکٹر کے اسکالرشپ • جماعت اسلامی ہند کے مرکزی وصوبائی دفاتر • نقشہ اوقات نماز • مرکزی حکومت کے امدادی اداروں، حق اطلاعات اور آن لائن تعلیم کی بعض اہم ویب سائٹ • لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مسلم ممبروں کی فہرست کے علاوہ بہت ساری دوسری معلومات سے مزین ایک دلچسپ ومفید ڈائری۔ صفحات: ۴۳۲ نفیس کاغذ، دیدہ زیب ٹائٹل۔

اسلامی ڈائری (پاکٹ سائز)

• ہر صفحہ قرآنی آیات، احادیثِ رسولؐ، بزرگوں کے اقوال اور بزرگ وتعمیر پسند شعرا کے تعمیری وفکر انگیز اشعار سے مزین • ۲۵ صفحات پر مشتمل اہم اور ضروری معلومات۔ • کل صفحات: ۲۰۸ • نفیس اور عمدہ کاغذ۔

آندھرا پردیش کے خریداران
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کے
سب ڈپو چھتہ بازار
حیدرآباد سے اور کرناٹک وگوا کے خریداران
سب ڈپو مکتبہ اسلامی
بنگلور سے رجوع کریں۔

کیلنڈر

• چار رنگوں پر مشتمل سفید میٹ پیپر پر نفیس طباعت • ہر صفحے پر منتخب قرآنی آیات کے اردو، ہندی اور انگریزی تراجم کے ساتھ ایک دیدہ زیب کیلنڈر • ۳ ورقی دوطرفہ طباعت، قرآنی آیات کے دل کش طغرے اور ہر مہینے کی تاریخیں نمایاں حروف میں۔

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵
D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 6 दिसम्बर 2011

जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचायी उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान किया। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

तो ही बात है

यह लघु जीवन औरों के हित
हो न्योछावर तो ही बात है

स्वार्थ से पीड़ित सभी जी रहे
लोभ टपकता कहे अनकहे
स्वयं चलें पर औरों को भी
साथ में लेकर, तो ही बात है

कलुषित, काली, क्रूर भावना
चहुं दिशि फैली विषम वासना
कभी ना अपने अन्तर उतरे
धूल-सी उड़कर तो ही बात है

लौट के उस 'घर' को जाना है
शाश्वत है, जो पाना है
सो निशि दिन उस 'रब' का बंदे
तू जो ध्यान कर, तो ही बात है

भूख मिटा उसकी, रोटी दे
घर अपने तू छत छोटी दे
दीन, हीन, अवहेलित सबसे
मन से प्यार कर, तो ही बात है

यह लघु जीवन औरों के हित,
हो न्योछावर, तो ही बात है।

■ **अभिराम सत्यज्ञ जयशील**

हथुआ-841436 (बिहार)



कहां क्या है ?

तो ही बात है (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ 'जयशील'	3
कुरआन ज्योति		5
जनता के साथ नरमी का व्यवहार (हदीस मंजरी)		6
फाँसीवादी मनोवृति और क्षुद्र स्वार्थ छोड़ें (संपादकीय)		7
हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता (आपके पत्र)		8
इस्लाम की कुछ शिक्षाएं	–राजेन्द्र नारायण लाल	11
हज़रत सफ़ाना बिन्त हातिम रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	13
औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता	–जफ़र अहमद	17
गुमराह रहनुमा (कहानी)	–बानो सरताज	21
तो भ्रष्टाचार शेष न रहे	–संपादन प्रभाग	25
जिहाद की वास्तविकता	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	26–27
साम्प्रदायिक हिंसा से देश व समाज को कैसे बचाएं	–मुहम्मद सलीम इंजीनियर	37
यमन को एक कर रही है क्रान्ति–तवक्कुल		39
खा रहा है आदमी को आदमी (कविता)	–आम रायज़ादा	40
सती प्रथा : कुछ प्रयास शेष	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	41
इस्लाम : मानव-सृष्टि के आरंभ से	–अंजुम सिद्दीक़ी	43
सदाचरण अपनाएं (कविता)	–डॉ॰ त्रिलोकी सिंह	45
ज़िन्दगी (कविता)	–डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत	45
मौत से बचाने वाला वह हाथ (संस्मरण)	–डॉ॰ अमित अग्रवाल	47
सबको नींद चैन की आये (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ 'जयशील'	47
चौकड़ी राम का मकान (बालकथा)	–अशोक कुमार	48

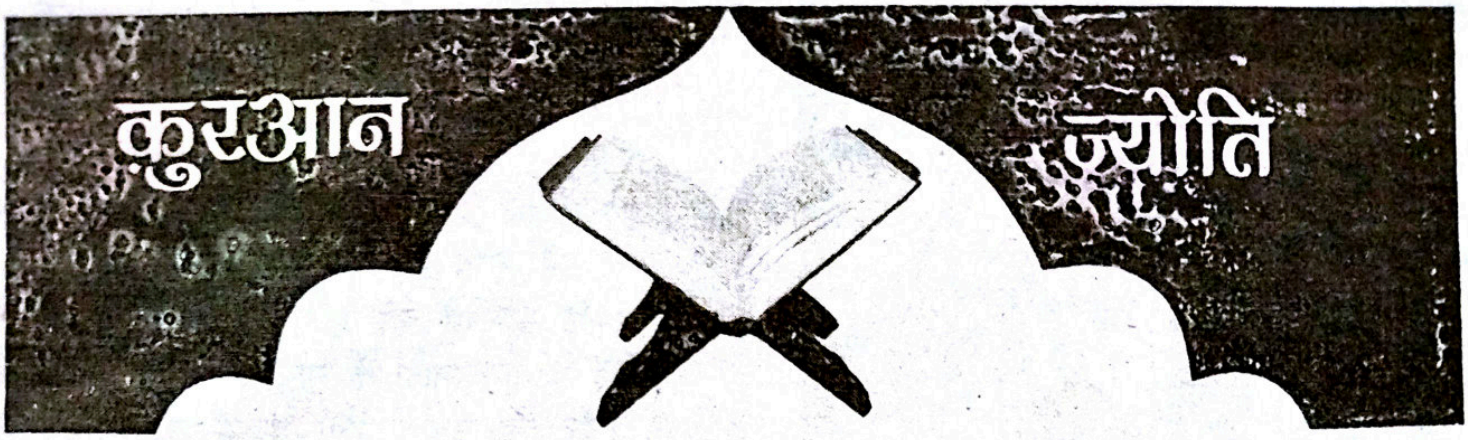

(41) और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने प्राप्त किया है, उसका पांचवां भाग अल्लाह और उसके रसूल और नातेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफ़िरों के लिए है[32], अगर तुम ईमान लाए हो और अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो निर्णय के दिन, अर्थात दोनों सेनाओं की मुठभेड़ के दिन, हमने अपने बन्दे पर उतारी थी[33] (तो यह हिस्सा सहर्ष अदा करो)। अल्लाह हर चीज़ पर समर्थ है ।

–क़ुरआन, 8 : 41

32. यहां युद्ध में प्राप्त उस माल के बंटवारे का क़ानून बताया है जिसके बारे में व्याख्यान के आरंभ में कहा गया था कि यह अल्लाह का इनाम है जिसके बारे में निर्णय करने का अधिकार अल्लाह और उसके रसूल ही को प्राप्त है । अब वह निर्णय बयान कर दिया गया है, और वह यह है कि लड़ाई के बाद तमाम सिपाही हर प्रकार की ग़नीमत का माल लाकर सेनापती या शासक के सामने रख दें और कोई चीज़ छिपाकर न रखें । फिर इस माल में से पांचवां भाग उन उद्देश्यों के लिए निकाल लिया जाए जिनका आयत में उल्लेख हुआ है और शेष चार भाग उन सब लोगों में बांट दिये जाएं जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया हो । अतएव इस आयत के अनुसार नबी (सल्ल०) सदैव लड़ाई के बाद एलान किया करते थे कि "ये ग़नीमत के माल तुम्हारे ही लिए हैं । मेरे अपने निज का इनमें कोई भाग नहीं है, अलावा पांचवें हिस्से के, और वह पांचवां हिस्सा भी तुम्हारे ही सामूहिक हितों में लगा दिया जाता है, इसलिए एक-एक सुई और एक-एक धागा तक लाकर रख दो । कोई छोटी या बड़ी चीज़ छिपाकर न रखो कि ऐसा करना लज्जास्पद है और इसका परिणाम जहन्नम है ।

इस बंटवारे में अल्लाह और रसूल का भाग एक ही है और इससे तात्पर्य यह है कि पांचवें भाग का एक भाग 'अल्लाह का बोलबाला करने' और 'सत्य धर्म की स्थापना' के काम में लगाया जाए । नातेदारों से तात्पर्य नबी (सल्ल०) के जीवन में तो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ही के नातेदार थे, क्योंकि जब आप अपना सारा समय दीन (धर्म) के काम में लगाते थे और अपनी रोज़ी के लिए कोई काम करना आपके लिए संभव न रहा था, तो निश्चित रूप से इसका प्रबंध होना चाहिए था कि आपकी और आपके बीवी-बच्चों और उन दूसरे नातेदारों की जिनका ख़र्च आपके ज़िम्मे था, ज़रूरतें पूरी हों । इसलिए 'खुम्स' में आपके नातेदारों का हिस्सा रखा गया । लेकिन इस मामले में मतभेद है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के देहावसान के बाद नातेदारों का यह हिस्सा किसे पहुंचता है । एक गिरोह का मत यह है कि नबी (सल्ल०) के बाद यह हिस्सा निरस्त हो गया । दूसरे गिरोह का मत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के बाद यह हिस्सा उस व्यक्ति के नातेदारों को पहुंचेगा जो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की जगह शासनाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निभाये । तीसरे गिरोह के नज़दीक यह हिस्सा नबी (सल्ल०) के परिवार के निर्धनों में बांटा जाता रहेगा । जहां तक मेरा शोध है, ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (शुरू के चार ख़लीफ़ों) के समय में इसी तीसरी राय पर अमल होता था।

33. अर्थात वह समर्थन व सहायता जिसके कारण तुम विजयी हुए और जिसके कारण ही तुम्हें ग़नीमत का यह माल प्राप्त हुआ ।



लोगों के साथ नरमी का व्यवहार

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : ''तुम में से प्रत्येक व्यक्ति ज़िम्मेदार है और तुम में से हर एक व्यक्ति से जो भी उसकी ज़िम्मेदारी में है, उसके विषय में उससे पूछा जाएगा । शासक ज़िम्मेदार है और उससे जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में है, उसके विषय में पूछा जाएगा और पुरुष अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है और जो उसकी ज़िम्मेदारी में हैं, उसके विषय में उससे पूछा जाएगा, और स्त्री अपने पति के घर की ज़िम्मेदार है और उससे जो उसकी ज़िम्मेदारी में है, उसके विषय में उससे पूछा जाएगा । और सेवक अपने मालिक के माल का ज़िम्मेदार है और उससे जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में है, उसके विषय में उससे पूछा जाएगा और तुम में से प्रत्येक व्यक्ति ज़िम्मेदार है और जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में है, उसके विषय में उससे पूछा जाएगा ।''

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू याआला माक़िल बिन यसार (रज़ि॰) से रिवायत है । वह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते सुना : ''जिस बन्दे को भी अल्लाह ने लोगों पर अधिकारी बनाया और वह जिस दिन भी मरे इस हाल में मरे कि वह अपने लोगों के साथ छलकपट करने वाला हो, तो अनिवार्यतः अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा ।''

–बुख़ारी, मुस्लिम

एक रिवायत में है : ''फिर वह उन्हें अपनी शुभेच्छा और हितैषिता की छाया में नहीं लेता, तो वह जन्नत की सुगंध भी न पाएगा ।''

और मुस्लिम की एक रिवायत में है : ''जो व्यक्ति भी मुसलमानों के मामलों का अधिकारी बनता है, फिर वह उनके लिए प्रयास नहीं करता और उनका हित नहीं चाहता, तो वह उनके साथ जन्नत में प्रवेश न करेगा ।''

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को अपने इस घर में यह कहते हुए सुना : ''ऐ अल्लाह, जो व्यक्ति मेरे समुदाय के किसी मामले में हाकिम हो और उसका व्यवहार लोगों के साथ कठोरता का हो, तो तू भी उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर । और जो व्यक्ति मेरे समुदाय के किसी मामले में हाकिम हो, फिर लोगों के साथ उसका व्यवहार नरमी का हो, तो तू भी उसके साथ नरमी का व्यवहार कर ।''

–मुस्लिम

● हज़रत अबू मरयम अजदी (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मुआविया (रज़ि॰) से कहा : मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : ''जिस व्यक्ति को अल्लाह मुसलमानों के किसी मामले में हाकिम बनाये और उनकी आवश्यकता और उनकी अपेक्षा और उनकी मोहताजी के सिलसिले में अनदेखी करे, तो अल्लाह भी क़ियामत के दिन उसकी आवश्यकता और उसकी अपेक्षा और उसकी मोहताजी पर दृष्टिपात न करेगा ।'' यह सुनकर हज़रत मुआविया (रज़ि॰) ने एक व्यक्ति को इस पर नियुक्त किया कि वह लोगों की ज़रूरतों पर निगाह रखे ।

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय

हिन्दी वेबसाइटें

www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

संपादकीय

फॉसीवादी मनोवृत्ति और क्षुद्र स्वार्थ छोड़ें

भारतीय लोकतंत्र की बहुत-सी अच्छाइयों और बहुत-सी बुराइयों का अक्सर उल्लेख किया जाता है । इस संदर्भ में यह भी एक वास्तविकता है कि बुराइयों व विकारों को दूर करने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं । संविधान संशोधन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, लेकिन सिर्फ़ क़ानून-नियम बना देने भर से विकार नहीं दूर हो जाते । इसके लिए समुचित चेतना, वांछित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक उठान-उन्नति तथा सुमधुर सामुदायिक वातावरण आदि की अतीव आवश्यकता होती है । इनको कम से क़म इस सीमा तक पुष्ट और स्वस्थ बनाना आवश्यक है ताकि अच्छाइयां बुराइयों पर आच्छादित हो जाएं । आज की वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है । इसमें सकारात्मक परिवर्तन अपेक्षित है । देश के शासन तंत्र में भी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है । शासनांगों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए पहल की जा रही है । जनचेतना के कारण से ही सही सरक़ार इसके प्रति गंभीर दिखती है, किन्तु मात्र यही समस्या देश की गंभीर समस्या नहीं है । न्याय व्यवस्था में आया विकार भी देश की गंभीरतम समस्या है । यह कहना संभवत: ग़लत न होगा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था का जितना 'परिहास' हुआ है, उतना किसी व्यवस्था में न हुआ होगा । गुजरात हिंसा की अनगिनत घटनाओं में न्याय प्रक्रिया का कितना पालन किया गया और किया जा रहा है ? सरदारपुरा नरसंहार में जो न्यायिक निर्णय आया है, उसे अपवाद के रूप में लेना चाहिए । फिर निर्णय को अन्य वरीय न्यायालय में चुनौती देने का प्रश्न वैकल्पिक मार्ग के रूप में खुला हुआ है । वास्तविकता और तथ्य यह है कि गुजरात हिंसा की घटनाओं में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की बात अधर में है । फ़रवरी 2002 में शुरू हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा कई महीने तक छिटपुट रूप से चलती रही । इसमें मोदी सरकार का प्रत्यक्ष हाथ था, परन्तु अभी तक न्याय की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकी हैं । इस मामले में देश की न्यायिक व्यवस्था लगभग ठप है ।

इसी प्रकार बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला है । 19 वर्ष पूर्व 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गयी । इसका प्रत्यक्ष ज़िम्मेदार संघ परिवार है, परन्तु इस वीभत्स फॉसीवादी-साम्प्रदायिक घटना के सिलसिले में किसी उपद्रवी-विध्वंसक को आज तक कोई सज़ा नहीं दी गयी । न्याय-प्रक्रिया को हड़प लिया गया और येन-केन-प्रकारेण सभी विध्वंसक बचा लिए गये । बाबरी मस्जिद की शहादत के सूत्रधारों और कर्णधारों में लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम अव्वल नम्बरों में शामिल है । इस गंभीरतम एवं इतिहास विदारक घटना के बाद जांच हेतु लिबरहान कमीशन अस्तित्व में आया था । इसने 48 बार समय-विस्तार पाकर 17 वर्षों तक जांच-पड़ताल करके नवम्बर 2009 में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें आडवाणी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी दोषी ठहराया गया था । वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यह आश्वस्त किया था कि अयोध्या में केवल सांकेतिक कारसेवा होगी । विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल को भी लिबरहान कमीशन ने दोषी माना, परन्तु इसकी रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है । श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट की भांति इसकी भी दुर्गति कर डाली गयी । स्पष्ट है, ये अफ़सोसनाक और भर्त्सनीय क़दम 'राजनीतिक वरद्हस्त' और 'राजनीतिक संरक्षण' के बिना नहीं उठाये जा सकते । इसके प्रमाण भी मिलते हैं । जिस समय बाबरी मस्जिद शहीद की गयी, उस समय नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे । कांग्रेस की केन्द्रीय सत्ता बैसाखी

(शेष पृष्ठ 12 पर)

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता

मासिक पत्रिका 'कान्ति' का नवम्बर 2011 अंक का मैंने सरसरी दृष्टिकोण से अध्ययन किया । 'दुनिया को हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) की शिक्षाओं की ज़रूरत' शीर्षक लेख भी पढ़ा । कोई भी धर्म वैर कराना नहीं सिखाता । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनकी शिक्षाओं के विपरीत आधुनिक पीढ़ी भौतिकवाद के चक्कर में फंसी हुई है । बाहुबल अर्थ बल को ही अपना हथियार बना रखा है । नैतिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा जाता है । भ्रष्टाचार आतंकवाद व आपराधिक घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है । भ्रष्ट राजनीति का बोलबाला है ।

आज हमें हज़रत इबराहीम की शिक्षाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है । उनके आदर्शों के अनुसरण से ही विश्व में शांति व खुशहाली संभव है ।

इसी अंक में 'राष्ट्रवाद के फॉसीवादी सरोकार' रचित डॉ॰ मुहम्मद अहमद का अध्ययन किया । गांधी जी का रामराज्य के अंतर्गत लिखित रचना में मुझे ज्ञात हुआ कि 'स्वराज्य' का वास्तविक अर्थ क्या होता है व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है ?

इसी के आधार पर गांधी जी आज़ादी के पश्चात अपने देश में रामराज्य का स्वरूप संजोये हुए थे । जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, प्रत्येक मानव सत्य का अनुसरण करे, प्रत्येक मानव ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ रहे । अतिवाद का बोलबाला नहीं हो । परंतु 65 वर्ष से अधिक हुए स्वतंत्र भारत में रामराज्य स्थापित करना तो दूर । परंतु भ्रष्टाचार बाहुबल, अर्थबल व नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है । मुझे यह आलेख बहुत ही अच्छा लगा । लेखक के विचारों का मैं समर्थक हूं ।

रामस्वरूप झंवर

शास्त्री नगर, भीलवाड़ा (राज॰)

परमोपयोगी

आपकी मासिक पत्रिका 'कान्ति' मुझे नियमित रूप से प्राप्त हो रही है, तदर्थ आपके स्नेह-सौजन्य व सहृदयता के प्रति हार्दिक आभारी हूं । आपके श्रेष्ठ संपादन से पत्रिका के हर अंक में ज्ञानवर्द्धक एवं मानवतापरक पाठ्य-सामग्री का समावेश रहता है, जो पाठकों के लिए परमोपयोगी है । प्रूफ़ की दृष्टि से भी पत्रिका विशुद्ध प्रकाशित होती है, यह इसका एक प्रमुख वैशिष्ट्य है । आप पत्रिका को उच्च स्तरीय बनाने में अपना जो अमूल्य समय व श्रम अर्पित कर रहे हैं, वह बेशक प्रशंसनीय है । एतदर्थ हमारी हार्दिक बधाई ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह

करछना, इलाहाबाद (उ॰प्र॰)

स्तरीय और उत्तम

'कान्ति' आज एक महत्वपूर्ण विषय है । इसका लक्ष्य वस्तुत: यह है कि पारस्परिक समझ बढ़े, सब देशवासियों के चिंतन एवं कर्म को उठाने का काम करें और मानवता के कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करें । आपकी दो पत्रिका विजेन्द्रं जैमिनी से मुझे प्राप्त हुई, उसमें 'कान्ति' सितम्बर 2011 ओर अक्तूबर अंक 2011, भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद एक विवेचन–डॉ॰ मुहम्मद अहमद, सद्भावना के अभाव की पीड़ा–डॉ॰ रमा पांचाल द्वारा आंकड़े सहित जो विवरण दिया अधिक प्रभावशाली रहा है ।

'कान्ति' सितम्बर और अक्तूबर 2011 के मुख्य पृष्ठ पर प्राकृतिक दृश्य को दिखाया गया है अति सुन्दर है । विश्व में पर्यावरण एक गंभीर समस्या है, सभी लेख और रचनाएं भी मूल्यवान हैं । पत्रिका स्तरीय अति उत्तम है ।

मदन मोहन 'मोहन'

203, पुरानी हाउसिंग बोर्ड, पानीपत

आर्य राष्ट्र के बारे में बताएं

भारतीय राष्ट्रवाद पर 'कान्ति' के संपादक डॉ॰ मुहम्मद अहमद का शोध लेख (तीन क़िस्तों में) गंभीरतापूर्वक पढ़ा । लेख से कई तथ्यों की जानकारी मिली । देशवासियों में कुछ लोग अपने को हिन्दू न कहकर आर्य कहते हैं और आर्य राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं । कृपया इस तथ्य पर भी प्रकाश डालें । उत्तम अनुसंधान लेख हेतु बधाई ।

डॉ॰ वेदप्रकाश पाण्डेय

उतरौला (बलरामपुर), उ॰प्र॰

जवाब : आर्य राष्ट्र की मांग स्वरहीन है । इसकी भी रूपरेखा अस्पष्ट है । इसके साहित्य में जो बातें पायी जाती हैं, वे मनुस्मृति पर आधारित हैं । अत: ये दलितों और अल्पसंख्यकों दोनों के विरुद्ध हैं । आर्य समाजी सारे विश्व को आर्य बनाने का संकल्प तो रखते हैं और ॐ के झंडे के नीचे सभी को लाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास सकारात्मक चिंतन का अभाव है । इस वास्तविकता को देखते हुए मनुस्मृति पर आधारित राजव्यवस्था मानवघाती और अकल्याणकर है । इसमें और हिन्दू राष्ट्र में कोई अन्तर शेष नहीं रहता ।

● संपादक

प्रतिक्रिया

माहे रमज़ान के महत्व को दर्शाता उत्कृष्ट सामग्री से ओत-प्रोत अगस्त 2011 का अंक पढ़ा । हर अंक पढ़ने के बाद समीप की मस्जिद में आने वाले साहित्य प्रेमी प्रबुद्ध को दे दिया करता हूं ।

इस अंक में श्री विद्या प्रकाश का पत्र और अवतार के बारे में स्वामी दयानंद जी के उद्‌गार पढ़े । कुछ धार्मिक प्रसंग बताते हैं कि सर्वोच्च सत्ता साकार रूप में प्रकट होकर जन-कल्याण करती है ।

निरंजन कुमार 'निराकार'
रायगढ़, रतलाम (म०प्र०)

सुझाव

मैं विगत 20 महीने से मासिक पत्रिका 'कान्ति' का नियमित पाठक हूं । इस पत्रिका द्वारा जीवन का व्यावहारिक दृष्टिकोण, जीवनशैली का एक ढंग और जीवन जीने के उत्तम रास्ते की ओर मार्गदर्शन मिलता है । इसके लिए पत्रिका धन्यवाद की पात्र है । मेरा एक सुझाव है कि अन्य धर्मों के प्रति विवेचन में सावधानी बरतें ।

अमूल्य कुमार 'चांद'
मरोदा, भिलाई

'कान्ति' का पुनर्जन्म विषयक प्रकाशन

हम ने अपने प्रकाशन के अंतर्गत "पुनरुत्थान और पुनर्जन्म की असलियत" विषय पर पुस्तिका (पॉकेट आकार) प्रकाशन की योजना बना रखी है । हम इस पुस्तिका में एक अध्याय कुरआन शरीफ़ का भी डालना चाहते हैं और इसके लिए हमने आपके यहां से 'कान्ति' मासिक पत्रिका (सितम्बर-नवम्बर 1999) के अंकों का चयन किया है । इसके लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है ताकि हम मुख्यांशों को चयन करके एक अध्याय के रूप में तैयार कर सकें । हमें उम्मीद है कि आप अपनी अनुमति प्रदान करेंगे । इस पुस्तिका के द्वारा हम अपने मसीही समाज को पुनरुत्थान और पुनर्जन्म के विषय में गहराई से बताना चाहते हैं ।

आर० मैसी
संपादक 'प्रभु वंदना'
पालम कॉलोनी, नयी दिल्ली-77

मुसलमान बदनाम क्यों ?

हमारे देश में साझा कल्चर है । इसे अलग नहीं किया जा सकता । जो गड़बड़ी-आतंक मचाये हुए हैं, उनमें हिन्दू बहुत, मुसलमान कम हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान क्यों ?

डॉ० कृष्ण मोहन सक्सेना
टिकैत राय योजना, लखनऊ (उ०प्र०)

जानकारी से भरपूर

इसमें दो राय नहीं कि 'कान्ति' का प्रत्येक अंक अच्छा व जानकारी से भरपूर होता है ।

उजागर सिंह
पुष्पक काम्पलेक्स, चंडीगढ़

उत्तम

'कान्ति' के पिछले एक अंक में प्रकाशित लेख 'मूर्ति पूजा : सर्वथा अवैदिक और त्याज्य' (ले०-कामता प्रसाद मिश्र जी) बहुत उत्तम है ।

ग़ुलाम मुस्तफ़ा
गुलबर्गा (कर्नाटक)

इस्लाम का महत्वपूर्ण सिद्धांत 'तक़वा'

इस्लाम धर्म में जिस पर सबसे अधिक ज़ोर दिया गया है, उसे अरबी भाषा में 'तक़वा' कहते हैं । इसके मायने हैं-अल्लाह से डरना और ऐसा कोई काम न करना जिससे किसी को कोई हानि पहुंचे । यह भी कहा गया है कि अपने परस्पर व्यवहार में भी अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से या अपने कार्यों से ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी की जान- माल या मर्यादा को ठेस पहुंचे । इसीलिए ज़ोर दिया गया है कि पड़ोसी का भी ध्यान रखा जाए कि उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है इसी प्रकार क़ुरआन में 'ज़कात' का भी महत्वपूर्ण स्थान है ।

ज़कात ख़ासकर रमज़ान के पवित्र महीनों में अदा की जाती है । यदि तहेदिल से उक्त दोनों फ़रमानों को क्रिया में

लाया जाए तो समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा और सब लोग बराबर अमन-चैन-सुख-शांति से रहेंगे । ज़रूरत है कुरआन के आदेशों का पालन किया जाए ।

घेवरचन्द गोदीका
जयपुर

प्रूफ़ की शून्य ग़लतियां

'कान्ति' का अग़स्त अंक मिला । धन्यवाद ! हिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी में 'इस्लाम के बारे में जानकारी देने वाली अच्छी पत्रिका है । जानकारी के बग़ैर लोग 'इस्लाम' के बारे में कई ग़लतफ़हमियां पाल लेते हैं ।

आपकी पत्रिका में एक बात क़ाबिले ग़ौर है, जो आज अच्छी से अच्छी पत्रिकाओं से नहीं हो पा रहा है, वह है प्रूफ़ की शून्य ग़लतियां ! इसके लिए बधाई !

पत्रिका के फलते-फूलते रहने की आकांक्षा के साथ ।

पी०सी० दास
(प्रह्लाद चन्द्र दास)
बोकारो स्टील सिटी

सुझाव

'कान्ति' मासिक का अक्तूबर 2011 का अंक मिला । अभारी हूं । आपके पत्र के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले पत्रों में संक्षिप्त पत्र ही प्रकाशित करें, ताकि इसमें अधिक से अधिक पाठकों के पत्र प्रकाशित हो सकें । लंबे पत्र अलग से प्रकाशित करें तो अच्छा होगा । 'फूलों' से सजा मुख्य पृष्ठ सुन्दर लगा । रचना चयन अच्छा है । 'कान्ति' मासिक में प्रश्नोत्तर स्तंभ प्रारंभ करें, ताकि पाठक कुरआन संबंधी एवं अन्य जानकारियों से अवगत हो सकें ।

एक प्रश्न सरकार भ्रष्ट मंत्रियों को क्यों नहीं हटाती, वे चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में ?

यशपाल जैन 'आदर्श'
494/5, व्यास मार्ग, राजापार्क, जयपुर (राज०)

प्रभावशाली कविता

'कान्ति' मासिक का अक्तूबर 2011 अंक पढ़ा । आपकी कविता "शहला" काफ़ी प्रभावशाली है । कविता के माध्यम से "राष्ट्रवादियों" को आईना दिखाया गया है । प्रगतिशील कविताओं का अंदाज़ निराला होता है । आप अच्छा लिखते हैं, शुक्रिया ।

अब्दुल ख़ालिक़ मंसूरी
महानंदा नगर, उज्जैन

पारदर्शी कुण्डली

निर्मल-कोमल कवि हृदय, छल-प्रपंच से दूर ।
सत्य "पारदर्शी" लिखे, भले रहे मजबूर ।।
भले रहे मजबूर, निर्भीक क़लम चलाए ।
सत्य-तथ्य के तीर, निशाना सही लगाए ।।
कथनी-करनी एक, चौकन्ना रहे हर पल ।
बहे हृदय में सदा, प्रेम का झरना निर्मल ।।

ॐ 'पारदर्शी'
पारदर्शी साधना केन्द्र, 261,
उत्तरी आयड़, उदयपुर-313001

शैक्षिक संकट

निजी शिक्षण संस्थाएं भी अब शासकीय शिक्षण संस्थाओं के समान दुर्गति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है । यहां भी शिक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है । जिसका असर परीक्षाओं में दिखायी पड़ रहा है । किसी संस्था की कक्षा में तो लगभग 50 प्रतिशत बच्चे अल्पांक लेकर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ।

ऐसी शिक्षा व्यवस्था से महाविद्यालय भी अछूते नहीं है । इन सब में कहीं न कहीं बिगड़ते अनुशासन, प्रत्येक वर्ष शिक्षक-शिक्षिकाओं की नयी तथा अयोग्य भर्तियां, अध्यापन कार्यों में लापरवाहियां, योग्य, अयोग्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को वेतन में 2 से 3 और 5 हज़ार तक की राशि दी जा रही है । अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षण कार्यों एवं अध्यापन कार्यों की पूर्ति हेतु उन्हें ट्यूशन क्लासेज़ में पढ़ायी करवा रहे हैं । लेकिन यह सब होते देख शिक्षा अधिकारी पूर्णत: शांति बनाये हुए हैं, जबकि उन्हें प्रतिदिन कुछ-कुछ शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण कर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षक-शिक्षिकाओं से जानकारियां लेकर शिक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाइयां कर त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

मलिक, नागपुर

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglanes.com

इस्लाम की कुछ शिक्षाएं

■ राजेन्द्र नारायण लाल

● इस्लाम की सबसे प्रधान विशेषता उसका विशुद्ध एकेश्वरवाद है । हिन्दू धर्म के ईश्वर-कृत वेदों का एकेश्वरवाद कालांतर से बहुदेववाद में खोया तो नहीं गया तथापि बहुदेववाद और अवतारवाद के बाद ईश्वर को मुख्य से गौण बना दिया गया है । इसी प्रकार ईसाई की त्रयवाद (Trinity) अर्थात ईश्वर, पुत्र और आत्मा की कल्पना ने हिन्दुओं के अवतारवाद के समान ईसाई धर्म में भी ईश्वर मुख्य न रहकर गौण हो गया । इसके विपरीत इस्लाम के एकेश्वरवाद में न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ और न विकार उत्पन्न हुआ । इसकी नींव इतनी सुदृढ़ है कि इसमें मिलावट असंभव है । इसका कारण इस्लाम का यह आधारभूत कलिमा है–

"मैं स्वीकार करता हूं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई ईश्वर और उपास्य नहीं और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ईश्वर के दास और उसके दूत हैं ।" मुहम्मद साहब को ईश्वर ने कुरआन में अधिकतर "अब्द" कहा है जिसका अर्थ आज्ञाकारी व दास है ।

● इस्लाम ने मदिरा को हर प्रकार के पापों की जननी कहा है । अत: इस्लाम में मदिरा-पान का निषेध केवल नैतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक घोर दंडनीय अपराध भी है अर्थात कोड़े की सज़ा । इस्लाम में सिद्धांत ताड़ी, भंग आदि सभी मादक वस्तुएं निषिद्ध हैं, जबकि हिन्दू धर्म में इसकी मनाही भी है और नहीं भी है ।

● ज़कात अर्थात अनिवार्य दान । यह श्रेय केवल इस्लाम को प्राप्त है कि उसके पांच आधारभूत कृत्यों–नमाज़ (उपासना), रोज़ा (व्रत), हज (काबा की तीर्थ यात्रा) में एक मुख्य कृत्य ज़कात भी है । इस दान के अधिकारियों में निर्धन भी हैं और ऐसे क़र्ज़दार भी हैं, जो क़र्ज़ अदा करने में असमर्थ हों या इतना धन न रखते हों कि कोई कारोबार कर सकें । नियमित रूप से धनवानों के धन में इस्लाम में मूलत: धनहीनों का अधिकार निश्चित कर दिया है अतएव ज़कात में जिन लोगों का अधिकार है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ज़कात लेने के वास्ते भिक्षुक बनकर धनवानों के पास जाएं । यह इस्लामी शासन का मूल-कर्तव्य है कि वह धनवानों से ज़कात वसूल करे और उसके पात्रों को दे । धनहीनों के प्रति ऐसी चिंता व उनका ऐसा आदर किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है ।

● इस्लाम में हर प्रकार का जुआ निषिद्ध है, जबकि हिन्दू धर्म में दीपावली में जुआ खेलना धार्मिक कार्य है । ईसाई धर्म में भी जुआ पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

● सूद (ब्याज) एक ऐसा व्यवहार है जो धनवानों को और धनवान तथा धनहीनों को और धनहीन बना देता है । समाज को इस पतन से सुरक्षित रखने के लिए किसी धर्म ने सूद पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है । इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसने सूद को अति वर्जित ठहराया है । सूद को निषिद्ध घोषित करते हुए कुरआन में बाक़ी सूद को छोड़ देने की आज्ञा दी गयी है और न छोड़ने पर ईश्वर और उसके सन्देष्टा से युद्ध की धमकी दी गयी है ।

● इस्लाम ही को यह श्रेय भी प्राप्त है कि उसने धार्मिक रूप से रिश्वत को निषिद्ध ठहराया है (कुरआन, 2:188)। हज़रत मुहम्मद साहब ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों पर खुदा की लानत भेजी है ।

● इस्लाम ही ने सबसे पहले स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया, उसने मृतक की संपत्ति में भी स्त्रियों को हिस्सा दिया । हिन्दू धर्म में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का नियम नहीं है, इतना ही नहीं मृत पति के शव के साथ विधवा स्त्री को जीवित जलाने की प्रथा थी । जो नहीं जलायी जाती थी वह न अच्छा भोजन कर सकती थी, न अच्छा वस्त्र पहन सकती थी और न शुभ कार्यों में भाग ले सकती थी । वह सर्वथा तिरस्कृत हो जाती थी, उसका जीवन भारस्वरूप हो जाता था । इस्लाम में विधवा स्त्री के लिए कोई कठोर नियम नहीं है । पति की मृत्यु के चार महीने दस दिन बाद वह अपना दूसरा विवाह कर सकती है ।

● इस्लाम ही ने अनिवार्य परिस्थिति में स्त्रियों को

पति-त्याग का अधिकार प्रदान किया है जिसे 'खुलअ' कहते हैं। हिन्दू धर्म में स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे देश में संविधान द्वारा अब स्त्रियों का अनेक अधिकार मिले हैं।

● यह इस्लाम ही है जिसने किसी स्त्री के सतीत्व पर लांछन लगाने वाले के लिए चार साक्ष्य उपस्थित करना अनिवार्य ठहराया है और यदि वह चार साक्ष्य उपस्थित न कर सके तो उसके लिए अस्सी कोड़ों की सज़ा निश्चित की है।

● इस्लाम ही है जिसने कम नापने और कम तौलने को वैधानिक अपराध के साथ धार्मिक पाप भी ठहराया और बताया कि परलोक में भी इसकी पूछ होगी।

● इस्लाम ने अनाथों के संपत्तिहरण को धार्मिक पाप ठहराया है। (कुरआन, 4:10, 4:127)

● इस्लाम कहता है कि यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी सृष्टि से प्रेम करो।

● इस्लाम कहता है कि ईश्वर उससे प्रेम करता है, जो उसके बन्दों के साथ अधिक से अधिक भलाई करता है।

● इस्लाम कहता है कि जो प्राणियों पर दया करता है, ईश्वर उस पर दया करता है।

● दया ईमान की निशानी है, जिसमें दया नहीं उसमें ईमान नहीं।

● किसी का ईमान पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक वह अपने साथी को अपने समान न समझे।

● कोई व्यक्ति सही भावार्थ में मुस्लिम नहीं हो सकता यदि वह पेट भरकर सोये और उसका पड़ोसी ख़ाली पेट (भूखा) हो।

● इस्लाम के अनुसार इस्लामी राज्य कुफ़्र (अधर्म) को तो (विशेष परिस्थितियों में तथा निश्चित सीमा तक) सहन कर सकता है, परन्तु अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं कर सकता।

● इस्लाम कहता है कि जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से सुरक्षित न हो वह ईमान वाला नहीं है।

● जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की एक बालिश्त (बित्ता) भूमि भी अनाधिकार रूप से ले लेगा, वह क़ियामत के दिन सात तह तक पृथ्वी में धंसा दिया जाएगा।

● इस्लाम में जो समता और बंधुत्व है वह संसार के किसी धर्म में नहीं है।

फॉसीवादी मनोवृत्ति और क्षुद्र स्वार्थ छोड़ें

(पृष्ठ 7 का शेष)

पर नहीं टिकी थी। उस समय कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव थे–बी॰ रमन। 2007 में इनकी लिखी हुई एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम था–'द काऊ ब्वायज़ ऑफ़ ऑर एंड ए डब्ल्यू-डाउन मेमेरी लेन'। इसमें उन्होंने लिखा कि 'आडवाणी तत्कालीन प्रधानमंत्री राव से बार-बार मिलते रहे और उन्हें आश्वासन देते रहे कि बाबरी मस्जिद को कोई नुक़सान नहीं होगा, लेकिन एक धार्मिक नेता उन्हें बार-बार सचेत करते रहे कि आडवाणी की बातों पर यक़ीन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया।' रमन जी का दावा है कि यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, तो बाबरी मस्जिद को बचाया जा सकता था। इस प्रकार के उद्‌गार अन्य बुद्धिजीवियों और विवेकी जनों के भी रहे हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि न्याय की अपेक्षाओं को हड़पने और मनमानी करने में कोई किसी से कम नहीं है। यह बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि देश के एक नागरिक समुदाय के दमन और शोषण में एक जटिल साम्प्रदायिक एवं फॉसीवादी लामबंदी और मनोवृत्ति पायी जाती है, जिसके कारण विकार पर विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है, इसमें सकारात्मक बदलाव की। जब तक नागरिक समानता की संवैधानिक भावना और आज्ञा का अनादर होता रहेगा, तब तक न भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो सकता है और न ही अच्छाई अच्छादित होगी। फॉसीवादी लामबंदी तोड़ने एवं क्षुद्र स्वार्थों को छोड़े बिना भावी भारत और समाज का सुनिर्माण नहीं किया जा सकता।

हज़रत सफ़ाना बिन्त हातिम (रज़ि०)

■ तालिब हाशमी

हज़रत सफ़ाना (रज़ि०) अरब के मशहूर दानवीर हातिम ताई की बेटी थीं । हातिम ताई यमन के मशहूर क़बीला 'तय' का सरदार था । उसने अपने क़बीले के तमाम लोगों के साथ ईसाई धर्म अपना लिया था । आप (सल्ल०) की नुबूवत से कुछ दिन पहले हातिम ताई की मृत्यु हो गयी और हातिम की जगह पर उसका बेटा अदी सरदार बन गया ।

सन 9 हिजरी में आप (सल्ल०) ने हज़रत अली (रज़ि०) के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी बनू तय की ओर भेजी । अदी ने मुसलमानों की सेना के आने की ख़बर सुनी तो भयभीत हो उठा और अपने बाल-बच्चों को लेकर सीरिया चला गया ।

अदी जब घर छोड़कर सीरिया की ओर चला तो भगदड़-सी मच गयी और उसी भगदड़ में उसकी एक बहन सफ़ाना बिछड़ गयी और इस्लामी सेना ने उसे बन्दी बना लिया । जब यह सेना मदीना मुनव्वरा वापस आयी तो सभी बन्दियों को आप (सल्ल०) की सेवा में पेश किया गया । उस मौक़े पर सफ़ाना आगे बढ़ीं और आप (सल्ल०) को संबोधित करते हुए बोलीं :

'ऐ क़ुरैश के लोगो ! मैं बेयारो मददगार हूं । मुझ पर रहम कीजिए । बाप का साया मेरे सिर से उठा चुका है और भाई मुझे अकेला छोड़कर भाग चुका है । मेरे पिता बनू तय के सरदार थे । वह भूखों को खाना खिलाते थे, यतीमों की सरपरस्ती करते थे । ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे और ज़ालिमों को सज़ा दिया करते थे । मैं उसी हातिम ताई की बेटी हूं जिसने कभी किसी मांगने वालों को ख़ाली हाथ न जाने दिया । यदि आप मुनासिब समझें तो मुझे आज़ाद कर दें ।''

आप (सल्ल०) ने सफ़ाना की बात ग़ौर से सुनी और सुनने के बाद कहा :

''ऐ ख़ातून, तू अपने पिता के जिन गुणों का बखान कर रही है, ये तो मुसलमानों के गुण हैं । यदि तेरे पिता ज़िन्दा होते तो हम उनके साथ अच्छा सलूक करते ।''

उसके बाद आप (सल्ल०) ने सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा :

''इस महिला को छोड़ दो । यह एक प्रतिष्ठित एवं नेक बाप की बेटी है । कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ज़लील हो जाए या कोई मालदार ग़रीब हो जाए तो उसके हाल पर तरस खाया करो ।''

सहाबियों ने सफ़ाना को छोड़ दिया लेकिन वे अपनी जगह पर खड़ी रहीं । आप (सल्ल०) ने पूछा : ''क्यों, अब क्या बात है ?''

सफ़ाना ने कहा : ''ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! मैं जिस बाप की बेटी हूं उसको कभी यह गवारा न था कि उसकी क़ौम तो मुसीबत में रहे और वह सुख की नींद सोये । जहां आपने मुझ पर करम फ़रमाया है, वहीं मेरे साथियों पर भी रहम कीजिए । अल्लाह आपको इसका अज्र देगा ।''

आप (सल्ल०) सफ़ाना की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और आदेश दिया कि तय के सारे क़ैदियों को छोड़ दिया जाए ।

इस पर सफ़ाना के मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े : ''अल्लाह आपकी नेकी को उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो उसका पात्र हो । अल्लाह आपको किसी बुरे स्वभाव वाले का मुहताज न बनाये । जिस क़ौम से कोई नेमत छिन जाए उसे आपके माध्यम से वापस दिला दे ।''

एक दूसरी रिवायत में है कि सफ़ाना ने जब पहली बार आप (सल्ल०) से अपनी रिहाई चाही तो अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि मुझ को छुड़ाने वाला मौजूद नहीं है इसलिए आप ख़ुद ही मुझ पर एहसान कीजिये, ख़ुदा आप पर एहसान करेगा ।''

आप (सल्ल०) ने पूछा : छुड़ाने वाला कौन ?''

उन्होंने जवाब दिया, ''अदी बिन हातिम, मैं उसकी बहन हूं ।

आप (सल्ल०) ने पूछा : ''वही अदी बिन हातिम

जिसने ख़ुदा और रसूल (सल्ल॰) से फ़रार अख़्तियार किया।''

सफ़ाना ने 'हां' में गर्दन हिला दिया। आप (सल्ल॰) बिना कुछ बोले वहां से चले गये। दूसरे दिन भी सफ़ाना ने यही निवेदन किया लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हो सका।

तीसरे दिन फिर सफ़ाना ने आग्रह किया इस बार हज़रत अली (रज़ि॰) ने भी उनकी सिफ़ारिश की। आप (सल्ल॰) ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन रिहा करते समय कहा, ''अभी अपने घर जाने में कोई जल्दी न करो, जब तुम को कोई विश्वसनीय व्यक्ति मिल जाए तो मुझे ख़बर दो।''

कुछ दिनों के बाद क़बीला बनी क़ज़ाआ का एक क़ाफ़िला मदीना आया। सफ़ाना ने आप (सल्ल॰) के पास ख़बर भिजवाई कि जब यह क़ाफ़िला वापस जाने लगे तो मुझे उसके साथ वापस भिजवा दें।

आप (सल्ल॰) ने सफ़ाना के मर्तबे के अनुसार सवारी, लिबास और रास्ते के सामान की व्यवस्था कर दी और उन्हें क़ाफ़िले के साथ भेज दिया। सफ़ाना को पता था कि उसका भाई अदी अपने घर से जोशिया चला गया है। इसलिए वह मदीना से चलकर सीधी जोशिया पहुंची। वहां उनके भाई से उनकी मुलाक़ात कैसे हुई वह स्वयं उनके भाई के शब्दों में सुनिए–

''एक दिन जोशिया में मेरे घर के सामने एक सांडनी आकर रुकी। महमल में एक औरत नक़ाब पहने बैठी थी। मुझे संदेह हुआ कि यह मेरी बहन है, लेकिन फिर ख़याल आया कि उसे तो मुसलमान बन्दी बनाकर ले गये हैं। वह इस शानदार ढंग से कैसे आ सकती है। तभी महमल का पर्दा उठा और मेरे कान में मेरी बहन के ये शब्द गूंजे : ''ज़ालिम, फटकार है तुम पर, अपने बीवी-बच्चों को ले आये और मुझको बेयारो-मददगार छोड़ दिया।

बहन की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिन्दा हुआ। अपनी ग़लती को स्वीकार करते हुए उससे माफ़ी मांगी। बहन ख़ामोश हो गयी और सवारी से उतर आयी।

जब वह कुछ देर आराम कर चुकी तो मैंने उससे पूछा : ''तुम होशियार और बुद्धिमान हो, कुरैश के सरदार से मिलकर तुमने क्या राय क़ायम की ?''

बहन ने जवाब दिया, ''जितनी जल्दी हो सके तुम उनसे मिल लो। यदि वे नबी हैं तो यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है और यदि बादशाह हैं तो भी यमन का कोई बादशाह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इस तरह उनसे मिलना भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी।''

सफ़ाना की सलाह पर उनके भाई अदी बिन हातिम आप (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए और इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसके बाद सफ़ाना ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। हाफ़िज़ इब्न हिज्र ने ''अल-असाबा'' उनके बारे में लिखा है कि वे इस्लाम लायीं और उसे हुस्ने ख़ूबी से निभाया।

2. बीबी सार्रह (रज़ि॰)

बीबी सार्रह (रज़ि॰) या सायरा (रज़ि॰) अबू अम्र बिन सैफ़ी बिन हाशिम की लौंडी थी। हाशिम अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के परदादा थे। बीबी सार्रह का पेशा गाना बजाना था। इब्न ख़तल जो एक शायर था, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) और उनके प्यारे सहाबियों (रज़ि॰) की बुराई और व्यंग्य में कविता लिखकर बीबी सर्राह (रज़ि॰) को याद करा देता था और वे उसे गा-गाकर मुश्रिकों से दाद-तहसीन और इनामों इकराम वसूला करती थीं।

मक्का विजय से कुछ दिन पहले वह मक्का से मदीना आयीं और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुईं। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) और उनके बीच में बातें हुईं :

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) : क्या तू इस्लाम स्वीकार करने आयी है ?

'सदाकांक्षा' 2011

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित होगा। रचनाकार बन्धुओं से निवेदन है कि विभिन्न विधाओं पर अपनी पांच उत्कृष्ट रचनाएं संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ 30 दिसम्बर 2011 तक निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें। 'सदाकांक्षा' के निरंतर प्रकाशन के लिए हमें आपका भरपूर सहयोग अपेक्षित है।

संपादक, 'सदाकांक्षा'
इस्लामी साहित्य संगम
2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006
ई-मेल : sadakanchha2004@rediffmail.com

सार्रह : नहीं ।

आप (सल्ल०) : फिर क्यों आयी हैं ?

सार्रह (रज़ि०) : हुज़ूर, आप मेरे मालिक और आक़ा की संतान हैं ।

आप (सल्ल०) : साफ़-साफ़ कह ?

सार्रह (रज़ि०) : मैं गुर्बत के शिकंजे में फंसी हुई हूं ।

आप (सल्ल०) : अल्लाह रहम करे !

सार्रह (रज़ि०) : जब से जंगे बद्र में कुछ मेहरबान सरदार मारे गये हैं, कुरैश ने गाने बजाने में रुचि लेना छोड़ दिया है ।

आप (सल्ल०) : अब तू क्या चाहती है ?

सार्रह (रज़ि०) : सिलारहमी और कुछ नक़्द सहायता ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उस पर रहम आ गया और आप (सल्ल०) ने अपने प्यारे सहाबियों को उसकी मदद के लिए उभारा । सहाबियों ने कपड़े और नक़्दी आदि के रूप में उसकी अच्छी ख़ासी मदद पहुंचायी और उसकी सवारी आदि की भी व्यवस्था कर दी ।

जब सर्राह मक्का वापस जाने लगी तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्तआ (रज़ि०) ने उसे दस दीनार दिये और कुरैश के सरदारों के नाम ख़त दिया । उस चिट्ठी में यह सूचना दी गयी थी कि मुसलमान जल्द ही मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं । तुम लोग मेरी पत्नी और बाल-बच्चों की रक्षा करना ।

आप (सल्ल०) को प्रकाशना के द्वारा पता चल गया कि सार्रह चिट्ठी लेकर मक्का जा रही है जिसमें यह गुप्त सूचना मौजूद है । चूंकि आप (सल्ल०) कुरैश तक यह ख़बर नहीं पहुंचने देना चाहते थे और यह युद्ध नीति के भी ख़िलाफ़ था । इसलिए आप (सल्ल०) ने तुरंत हज़रत अली (रज़ि०), हज़रत ज़ुबैर (रज़ि०) और हज़रत मिक़्दाद बिन असवद (रज़ि०) को बुलाया और उन्हें सर्राह (रज़ि०) का पीछा करने को कहा ।

तीनों सहाबी तेज़ी के साथ आगे बढ़े और रौज़ा-ए-ख़ाख़ के पास उसको जा पकड़ा । उससे वह गुप्त ख़त मांगा । पहले तो उसने इन्कार कर दिया लेकिन जब अपने सिर पर नंगी तलवार नाचती देखा तो अपने बालों के जूड़े से ख़त निकाल कर हज़रत अली (रज़ि०) के हवाले कर दिया ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने जब मक्का पर विजय प्राप्त कर ली तो सर्राह उन लोगों की सूची में शामिल थी जिनके बारे में आप (सल्ल०) ने यह फ़रमान जारी किया था कि उन्हें ढूंढ़कर उनकी हत्या कर डालो ।

लेकिन सार्रह कहीं छुप गयीं । कुछ दिनों के बाद किसी की सिफ़ारिश पर उसकी मौत की सज़ा वापस ले ली । आप (सल्ल०) के इस बर्ताव से प्रभावित होकर सार्रह (रज़ि०) ने इस्लाम स्वीकार कर लिया ।

अल्लामा इब्न असीर ने लिखा है कि मक्का विजय के मौक़े पर वह हज़रत अली (रज़ि०) के हाथों मारी गयीं । लेकिन इब्न हिशाम, अबुल फ़तह, फ़तहुद्दीन मुहम्मद साहब आदि ने विस्तार से हज़रत सार्रह (रज़ि०) के बारे में लिखा है कि सार्रह मक्का विजय के बाद अमान पाकर मुसलमान हुईं और यही सही रिवायत है ।

वे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) के ख़िलाफ़त के दौर में किसी सवार के घोड़े की चपेट में आ गयीं जिनसे उनकी मृत्यु हो गयी ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

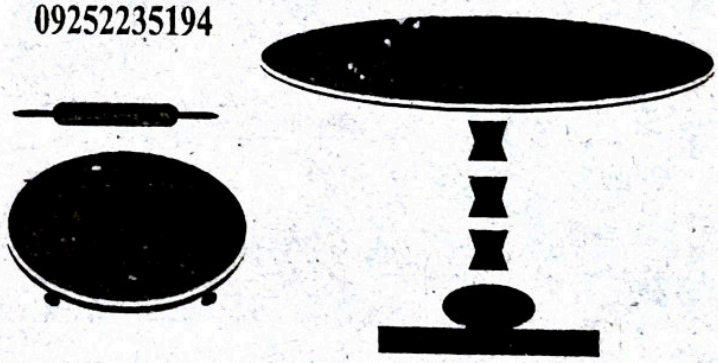

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

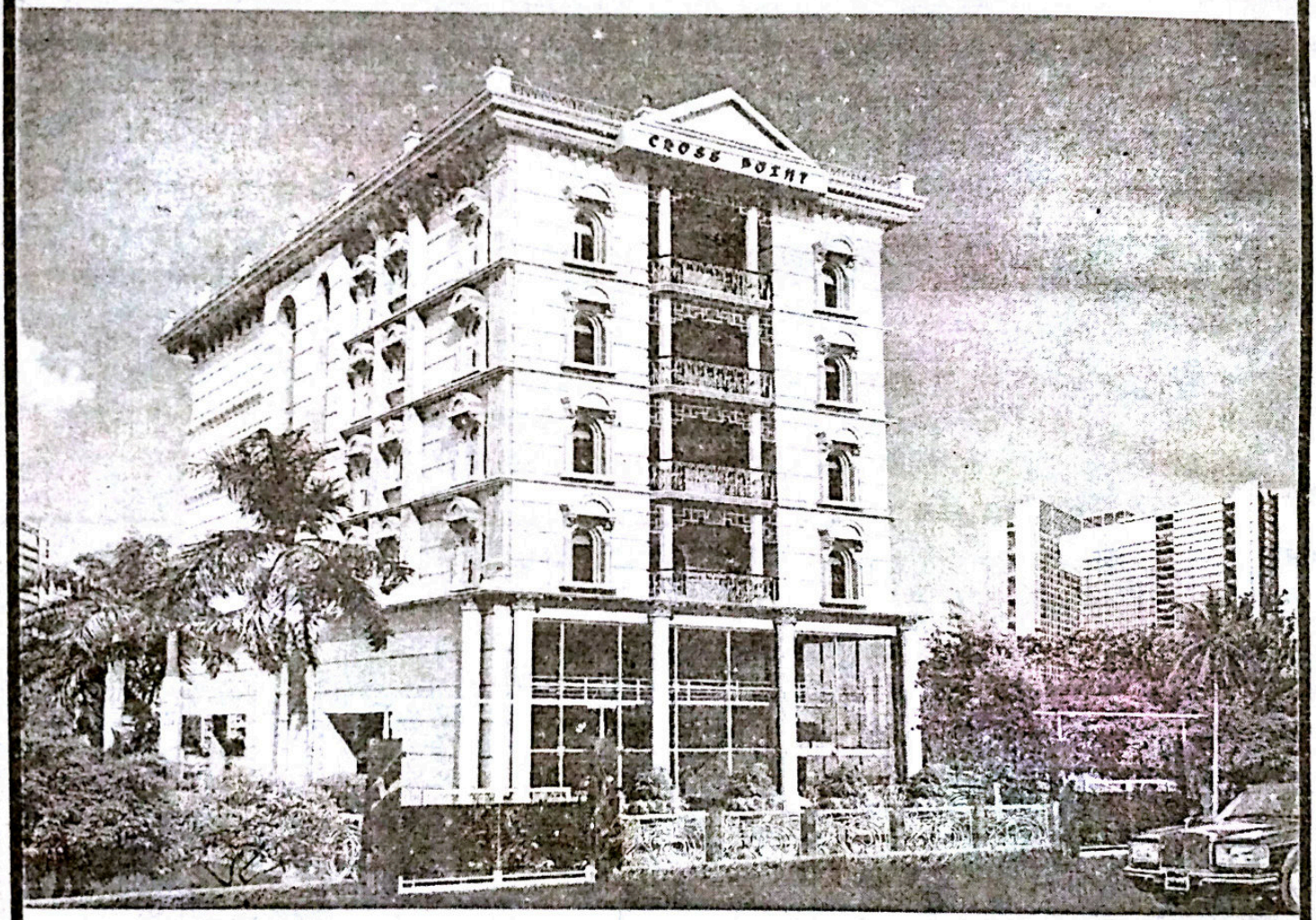

MD. MUKHTAR AHMED MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता

■ ज़फ़र अहमद
(लखनऊ, उ०प्र०)

घृणा की दृष्टि से सुन्दरतम भी सुन्दर नहीं दिखायी पड़ेगा और प्रेम की दृष्टि से अफ़्रीक़ा का हब्शी भी सुन्दर लगेगा किंतु मैं पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे घृणा और प्रेम से हटकर इस विषय में निष्पक्षता की ऐनक से वस्तुस्थिति का पता समसामयिक बुद्धिवादियों के कथन, समकालीन यूरोपीय देशों के शासकों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, नयी शोध के परिणामस्वरूप मंदिरों के पुजारियों के पास प्रकाश में आये, औरंगज़ेब के फ़रमानों ओर ठोस प्रमाणों के आधार पर लगाएं।

श्री शांता पाण्डे ने "मध्यकालीन भारत : एक सम्यक् दृष्टि" में लिखा है–"हमारे देश का बड़ा दुर्भाय रहा है कि इतिहास लेखकों ने बिना किसी ऐतिहासिक सामग्री या प्रमाण के मनमाने नतीजे लिये हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर हिन्दुस्तान की मुस्लिम हुकूमत के बारे में ज़बरदस्त भ्रम पैदा किया गया है।"

इतिहासकारों के अपने धार्मिक पक्षपात और दूसरे धर्म के प्रति किसी प्रकार की कटु भावना के कारण शासक का जो चित्र इतिहास के रूप में सामने उभर कर आता है, उसमें उसकी सदाशयता की अपेक्षा उसकी धर्मान्धता और पर-धर्म-द्वेष ही मुखरित दिखायी पड़ता है, उसका यह ऐतिहासिक स्वरूप जनमानस पर छाकर लोगों को उसके प्रति असहिष्णु बना देता है।

श्री ज्ञानचन्द परमेश्वरी लाल गुप्त ने अपने लेख औरंगज़ेब और हिन्दू मंदिर, भारतवाणी जिल्द तीन में लिखा है–"इतिहासकारों के अपने धार्मिक पक्षपात और दूसरे धर्म के प्रति किसी प्रकार की कटु भावना के कारण शासक का जो चित्र इतिहास के रूप में सामने उभर कर आता है, उसमें उसकी सदाशयता की अपेक्षा उसकी धर्मान्धता और पर-धर्म-द्वेष ही मुखरित दिखायी पड़ता है, उसका यह ऐतिहासिक स्वरूप जनमानस पर छाकर लोगों को उसके प्रति असहिष्णु बना देता है। भारतीय इतिहास में औरंगज़ेब एक ऐसा ही पात्र है जिसकी सदाशयता की उपेक्षा कर इतिहासकारों ने उसे हिन्दू द्रोही, मंदिर और मूर्ति भंजक के रूप में चित्रित किया है।"

वे आगे लिखते हैं कि–"जिस किसी इतिहासकार ने औरंगज़ेब का यह चित्र उपस्थित किया, उसने अंग्रेज़ों को अपनी "फूट डालो और राज्य करो" वाली नीति के प्रतिपादन के लिए एक ज़बरदस्त हथियार के रूप में प्रस्तुत किया।"

आमतौर पर लोग जानकारी के अभाव में कहते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने पक्षपात और अपनी अनुदारता से अपनी हिन्दू प्रजा को नाराज़ किया किंतु एलफिंस्टन ने औरंगज़ेब के शासनकाल के संबंध में लिखा है–

"यह पता नहीं चलता कि किसी एक हिन्दू को भी अपने मज़हब की वजह से मौत की सज़ा या क़ैद की सज़ा बर्दाश्त करनी पड़ी हो या किसी एक शख़्स से भी कभी अपने पूर्वजों के मज़हब पर खुले अमल करने के लिए जवाब तलब किया गया हो।"

समझ में नहीं आता कि लोग उन्हें कट्टर मुसलमान कहते हैं और साथ ही साथ हिन्दू द्रोही भी कहते हैं। इस संबंध में हम पवित्र कुरआन की निम्नलिखित आयतों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिसे सभी खुदा की किताब स्वीकार करते हैं। औरंगज़ेब जो अपने हाथ से कुरआन की प्रति लिखते थे तो वह भला कैसे इसको न मानते और उस पर अमल न करते। दीन के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात ग़लत विचारों से अलग छांटकर रख दी गयी है। (2:256)

ये लोग अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हैं तुम उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग न करो । कहीं ऐसा न हो कि ये हद से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगें । (6:108)

तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म । (109:6)

अब आइये औरंगज़ेब के समसामयिक बुद्धिवादियों के कथन पर विचार करें कि औरंगज़ेब के प्रति उनकी क्या धारणा थी । यदि वे औरंगज़ेब को हिन्दू धर्म अथवा अन्य धर्म के प्रति कटुता या असहिष्णुता का भाव रखते हुए पाते अथवा किसी प्रकार की दुर्भावना का अनुभव करते तो निस्संदेह अपनी कविता के माध्यम से उन्हें कलमबद्ध करते । गुजर कवि भगवती दास ने औरंगज़ेब के संबंध में लिखा है–

नरपति तिहां अै राजै नौरङ्ग जाकी आज्ञा बहै अखण्ड,
ईत भीत व्यापै नहीं कोय, इह उपगार नृपति के होय ।

इसी प्रकार जैन मुनि रामचन्द ने लिखा है–

मरदानो अै महाबली औरंगशाहि नरन्द,
तासु राज में हर्ष सूं रच्यो शास्त्र आनन्द ।

इन कवियों से अधिक हिन्दी भाषा-भाषियों का परिचय सबल सिंह चौहान से है । उन्होंने औरंगज़ेब के शासनकाल में महाभारत को हिन्दी भाषा से प्रस्तुत किया था, उन्होंने शल्य पर्व के अंत में लिखा है–

औरंगसाह दिल्ली सुल्ताना, प्रबल प्रताप जगत सत जाना ।

उल्लेखनीय है कि वे औरंगज़ेब के दरबार के चाटुकार दरबारी कवि नहीं थे । जब उन्होंने महाभारत को हिन्दी भाषा में परिवर्तित किया था तो वे धार्मिक व्यक्ति भी रहे होंगे । कवि विचारों की अभिव्यक्ति स्वच्छन्दता के साथ करते हैं । स्पष्ट है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में धार्मिक स्वतंत्रता थी ।

श्री शांता पाण्डे जी के अनुसार भारत के मुस्लिम शासकों की उदारता और न्यायप्रियता को हमें उनके समकालीन यूरोपीय देशों के शासकों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से जांचना होगा । इस तुलना में भारतीय मुस्लिम नरेश अत्यंत उदार और महान दिखायी देते हैं । मुस्लिम शासकों को हमारे इतिहासकारों ने सहानुभूति के साथ समझने का प्रयत्न नहीं किया । उस ज़माने के धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक बातों को उन्होंने अपने ही संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहा है, इसीलिए उनका इतिहास न्यायपूर्ण नहीं बन सका ।

एक बार औरंगज़ेब को बनारस के हिन्दुओं पर अत्याचार के बारे में सूचना प्राप्त हुई । उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इस संबंध में कड़े आदेश जारी किये । आइये हम आप उसे पढ़ें और विचार करें–

"...हमारे न्यायपूर्ण राज्य में यह सूचना मिली है कि कुछ लोग बनारस के रहने वाले हिन्दुओं पर और उसके आसपास अन्य रहने वालों पर, वहां के रहने वाले ब्राह्मणों पर जो कि मंदिरों का इन्तिज़ाम करते रहे हैं, हस्तक्षेप कर अत्याचार करते हैं और चाहते हैं कि वहां का प्रबंध, जो चिरकाल से उनके हाथ में है, छीन लें । इस कारण वे लोग बहुत परेशान और बेहाल हैं । अत: यह आदेश भेजा जाता है कि इस फ़रमान के पंहुंचने के साथ ही दृढ़ता के साथ यह घोषित कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण इन ब्राह्मणों और इस स्थान के रहने वाले अन्य हिन्दुओं को बिल्कुल न छेड़ें और उन्हें परेशान न करें । वे पूर्ववत अपनी जगह और अपने मकान में रहकर शांतिपूर्वक हमारे शासन के स्थायित्व के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें । इस आदेश को आवश्यक और गंभीर समझा जाए ।"

(हिन्दी अनुवाद)

यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो औरंगज़ेब को हिन्दू द्वेषी कहने का प्रश्न नहीं पैदा होता किंतु पाठकगण यह प्रश्न उठा सकते हैं कि उन्हीं के शासनकाल में और उन्हीं के आदेश से ज्ञानवापी वाला विश्वनाथ मंदिर क्यों अन्यत्र ले जाया गया ? इस संबंध में जानकारी हेतु हम आपका ध्यान पट्टाभि सीता रामैया की पुस्तक 'फेदर्स एंड स्टोंस' की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे । उन्होंने लिखा है–

"तत्कालीन शाही परम्परा के अनुसार जब मुग़ल सम्राट किसी यात्रा पर निकलते तो उनके साथ राजदरबारियों की काफ़ी बड़ी संख्या चलती थी और उनके साथ सबका अंत:पुर भी चलता था । कहना न होगा, मुग़ल दरबार में हिन्दू दरबारियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, अस्तु एक बार औरंगज़ेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुज़र रहे थे । ऐसे अवसर पर भला ऐसा कौन हिन्दू होता जो दिल्ली जैसे दूर प्रदेश से आकर गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन किये बिना चला जाता, विशेष रूप से स्त्रियां । अत: प्राय: सभी हिन्दू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्थान करने और विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी आये । विश्वनाथ दर्शन

कर जब लोग बाहर आये तो ज्ञात हुआ कि उनके रथ की एक स्त्री ग़ायब है। इसी स्त्री के संबंध में कहा जाता है कि वे कच्छ की रानी थी। लोगों ने उन्हें मंदिर के भीतर जाते देखा था, पर मंदिर से आते बाहर वे किसी को नहीं दिखायी पड़ीं। लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे मंदिर के भीतर ही कहीं रह गयी हैं। काफ़ी छानबीन की गयी पर उनका पता न चला। जब अधिक कड़ाई और सतर्कता से खोज की गयी तो मंदिर के नीचे दुमंज़िले तहख़ाने का पता चला जिसका द्वार बाहर से बन्द था। उस द्वार को तोड़ कर जब लोग अन्दर घुसे तो उन्हें वस्त्राभूषण विहीन, भय से त्रस्त रानी दिखायी पड़ीं। जब औरंगज़ेब को पंडों की यह काली करतूत ज्ञात हुई तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला–जहां इस प्रकार की डकैती हो वह निस्संदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता और उसने उसे तत्काल गिरा देने का आदेश दिया। आदेश का तत्काल पालन हुआ।''

श्री ज्ञानचन्द परमेश्वरी लाल गुप्त के शब्दों में ''यह घटना कितनी ऐतिहासिक है। यह कहने के लिए संप्रति कोई साधन नहीं है। उक्त घटनाएं प्राय: मंदिरों में घटती रही हैं। यह सर्वविदित है। यदि ऐसी घटना औरंगज़ेब के समय में घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। उसी की अनुगूंज इस अनुश्रुति में होगी जिसे सीता रमैया ने लिपिबद्ध किया है। यदि ऐसी घटना वस्तुत: घटी थी तो औरंगज़ेब सदृश मुसलमान नरेश ही नहीं कोई भी न्याय-प्रिय शासक यही करता। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में विश्वनाथ मंदिर गिराया गया था तो उसके लिए औरंगज़ेब पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।''

इसी प्रकार औरंगज़ेब के शासनकाल में मस्जिद गिरवाने की भी घटना घटी है जिसका तथ्यपूर्ण उदाहरण उपलब्ध है–

गोलकुंडा के सूबेदार तानेशाह ने जो राज कर एकत्र किया था, उसका पूरा-पूरा हिसाब वह औरंगज़ेब के सम्मुख उपस्थित न कर सका उससे जब इस संबंध में पूछताछ की गयी तो उसने किसी मस्जिद का नाम लेकर कहा कि उसने उस धन को उस मस्जिद के नीचे गाड़ रखा है। उसके इस कथन से औरंगज़ेब को बहुत क्रोध आया और उसने उस मस्जिद को गिराकर उस धन को ढूंढ़ निकालने का आदेश दिया और वह मस्जिद सचमुच उसके आदेश से गिरा दी गयी।

इस विषय को विस्तार से लिखने का समय यहां नहीं है। संक्षेप में हम पाठकों को अवगत कराना चाहेंगे कि नयी शोध के परिणामस्वरूप औरंगज़ेब के दस्तख़त से जारी फ़रमान, एक सौ से अधिक भारत के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों के पास से प्रकाश में आ रहे हैं जिनके द्वारा मंदिरों को जागीर प्रदान की थीं। वाराणसी का जंगमबाड़ी का शिव मंदिर, उज्जयिनी का महाकाल मंदिर, प्रयाग का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, दिलवाड़ा (आबू) का जैन मंदिर, चित्रकट का बालाजी का मंदिर, गुवाहाटी का कामाक्षा देवी का मंदिर, गिरनार (जूनागढ़) का जैन मंदिर तथा उत्तर पारा के अगणित मंदिरों के ग्रंथकारों से औरंगज़ेब के फ़रमान अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ रहे हैं, जिनके अनुसार औरंगज़ेब ने इन मंदिरों को जागीरें प्रदान करते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि इन मंदिरों के तपस्वी-पुजारी जब भक्तिभाव से प्रार्थना करेंगे तो उनकी दुआ से उनके ख़ानदान में हुकूमत बनी रहेगी।

अंग्रेज़ों के शासन ने अपने साम्राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फूट डालो और राज करो के सिद्धांत के अंतर्गत भारत एवं भारतवासियों की इच्छा के विपरीत अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए जो हथकंडे अपनाये हैं और सुन्दर व स्वर्णिम साम्प्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने के लिए जो कार्य किये हैं उन्हें फिर से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आइये, हम अपनी दुर्दशा के ऐतिहासिक कारणों की छानबीन करें और साम्प्रदायिक सद्भाव की जड़ों को मज़बूत करें।

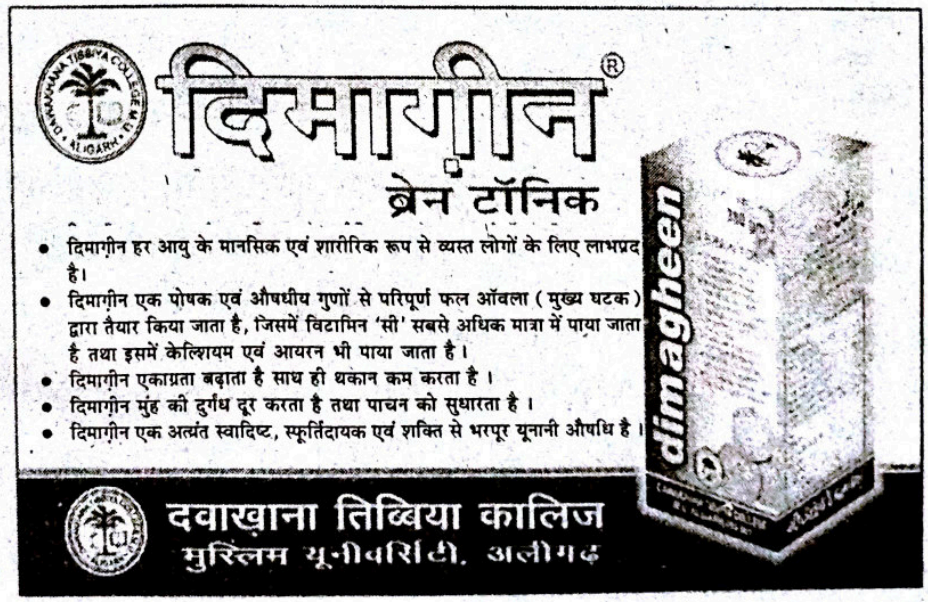

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

गुमराह रहनुमा

■ बानो सरताज

''भाइयो, रोज़ा खुलवाना पुण्य का काम है, इस पुण्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करो । रमज़ान का महीना वर्ष में केवल एक बार आता है । चार रोज़े हो चुके हैं...पर अभी छब्बीस रोज़े शेष हैं । रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाने का आयोजन करो । अच्छे-अच्छे पकवान बनाओ, रोज़ेदार को सैर होने तक खिलाओ । यदि पकवान न खिला सको तो घर में जो कुछ पका है उसका उत्तम भाग उसे खिलाओ । घर में तैयार उत्तम आहार न खिला सको तो रूखी-सूखी से ही रोज़ा इफ़्तार कराओ । रुखी-सूखी भी न उपलब्ध हो तो मात्र एक चाय के कप से रोज़ा खुलवाओ पर यह पुण्य अवश्य प्राप्त करो । यदि चाय का कप भी न जुटा सको तो बीड़ी ही से रोज़ा खुलवाकर दोनों हाथों से पुण्य लूटो ।''

''लाहौल वलाकूवत !'' मैंने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए सिर ऊपर उठाया तो आसपास के लोग चौंककर मुझे देखने लगे । मैंने उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किये बिना अपने चारों ओर दृष्टि डाली, तीस चालीस व्यक्ति थे जो अत्यंत श्रद्धा से सिर झुकाकर मौलाना का प्रवचन सुन रहे थे ।

''यह क्या कह रहे हैं ? मैंने अपनी दाहिनी ओर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग से पूछा ।

वह तस्बीह हाथ में घुमाते हुए कुछ इस प्रकार बोले जैसे मुझे निबट गंवार समझते हों, ''वाज (प्रवचन) कर रहे हैं और क्या ? देखते नहीं, रमज़ान महीने की फ़ज़ीलतों (विशेषताओं) का बयान कर रहे हैं । वाह-वाह क्या जादू है ज़बान में । मुझ पर तो बहुत असर होता है इनके बयान का । कुछ रुककर उन्होंने पूछा, ''आप रोज़े से हैं ?

''जी हां, खुदा के फ़ज़्ल से ।'' मैंने उत्तर दिया ।

''आप यहां किसी के घर मेहमान आये हैं ? उन्होंने टोह लेते हुए कहा ।

''नहीं, यहां मैं किसी को नहीं जानता । मैं फ़ीरोज़पुर जा रहा था । गाड़ी ख़राब हो गयी इसलिए रुक गया हूं ।''

''रोज़ा खोलने मेरे ग़रीबख़ाने पर तशरीफ़ लाइए । मस्जिद के पास ही पीपल के पेड़ वाला मकान मेरा है । अज़मत कुरैशी का मकान पूछने पर कोई भी बता देगा...शाम को क्यों, मैं तो कहता हूं अभी मेरे साथ चल कर आराम कीजिए । आज मैंने इफ़्तारी के लिए शाही टुकड़े और समोसे बनवाये हैं । मस्जिद में दो थाल आज मेरे घर से आने वाले हैं ।

मैं उनकी बात पर ध्यान न देकर मौलाना साहब की ओर देखने लगा । प्रवचन ख़त्म कर के वह लोगों से हाथ मिला रहे थे । उनका चेहरा मुझे कुछ जाना-पहचाना लग रहा था । युवा थे, उम्र तीस-बत्तीस वर्ष होगी ।

लाल-भभूका रंग । घनी काली दाढ़ी । गर्दन पर उतरी हुई ज़ुल्फ़ें । आंखों में गुस्सा । कंधे पर चौख़ाने का हरा रुमाल ।

''क्या सोचने लगे साहब ?'' वह बुज़ुर्ग मेरे पीछे ही पड़ गये । ''मेरे ग़रीबख़ाने को इज़्ज़त दीजिये, मेरे घर रोज़ा इफ़्तार करने चलिये । तरावीह की नमाज़ के बाद खाना खाइये । फिर चाहे आगे का सफ़र इख़्तियार कीजिए । चाहे रात को क़ियाम करके सवेरे सफ़र पर रवाना होइये ।

''अच्छा भाई साहब, मैंने आपकी दावत क़ुबूल की ।'' मैंने उनके आग्रह से द्रवित हो कर कहा ।'' पर यह तो बताइये मौलाना का ताल्लुक़ किस इलाक़े से है ?''

''पता नहीं साहब । पर हैं बड़े आलिम-फ़ाज़िल । बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं । नेक रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं । अच्छे-अच्छे काम करने को कहते हैं ।''

''जैसे बीड़ी से रोज़ा खुलवाने की बात...'' मैंने व्यंग्य से कहा ।

''जी...क्या मतलब ?'' वह अचकचा कर बोले ।

''जी कुछ नहीं, आइए ज़रा मौलाना से मुलाक़ात करा दीजिये ।''

वह बुज़ुर्ग जब तक अपने स्थान से उठते मैं मौलाना के समीप पहुंच चुका था । मैंने उन्हें सलाम किया । जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी वह बुरी तरह चौंके...और उनके इस चौंकने ने मुझे याद दिला दिया कि क्यों मुझे उनका

चेहरा जाना-पहचाना लगा था ।

मैंने कहा, ''मौलाना साहब, मेहरबानी करके शरीअत (इस्लामी क़ानून) के मेरे कुछ सवालों का जवाब दें...मैं इन्हें लेकर उलझन में हूं ।''

वह घबराकर बोले, ''नहीं, अभी नहीं । मेरी तबीयत ठीक नहीं है । मैं आराम करने जा रहा हूं ।''

मैंने इत्मीनान से कहा, ''कोई बात नहीं । इशा की नमाज़ के बाद सही । मैं सवेरे तक यहां क़ियाम कर रहा हूं ।''

इशा की नमाज़ के बाद वह ऐसे ग़ायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग । मैं समझ गया कि वह मुझसे जान छुड़ा रहे हैं पर मैं भी अपने निश्चय पर दृढ़ था । उनसे बात किये बिना नहीं जाना चाहता था । इसलिए फ़ज्र की नमाज़ में जान-बूझकर उनके सामने नहीं आया । वह यह समझ कर कि मैं चला गया होऊंगा, अपने हुजरे (कोठरी) में जा लेटे । बस उसी समय चिक उठाकर मैंने भीतर प्रवेश किया ।

वह हक्का-बक्का मुझे देखते रह गये ।

''फ़ज़लदीन, मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो ?''

पहले तो वह जड़ बैठे मुझे देखते रहे । फिर उठकर मेरे क़दमों से लिपट गये–''जनाब जी, अब मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है ।''

''फ़ज़्लू'' इज़्ज़त-ज़िल्लत (मान-अपमान) सब ख़ुदा के हाथ में है । पर यह तो बताओ तुमने यह ढोंग क्यों रचाया है ? मज़हब के नाम पर भोले-भाले देहातियों को धोखा देने के सिवा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था ? उन्हें ग़लत-सलत बातें सिखाते हो ? उठो, इधर बैठो और मुझे बताओ कि अपने गांव से तुम यहां कैसे पहुंचे ?''

फ़ज़्लदीन से यह प्रश्न करते हुए मेरे मस्तिष्क में पुरानी बातें जाग उठीं ।

अपने पैतृक गांव वीरमपुर का मैं पहला लड़का था जिसे शहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ था । मैट्रिक के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था । मेरे माता-पिता भी यही चाहते थे पर दादाजान ने मुझे शहर जाने नहीं दिया । मैं उनकी आंख का तारा था । गांव में जब प्राथमिक कक्षाओं को बढ़ाकर उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाया गया तो दादाजान की इच्छा पर मुझे वहां 'जनाब-जी' बनना पड़ा ।

कक्षाएं बढ़ी पर छात्र कम पड़ गये । हमें पढ़ने वालों को इकट्ठा करने के लिए घर-घर घूमना पड़ा । जो छात्र वर्षों पहले चौथी कक्षा पास कर चुके थे और अब आवारागर्दी करते फिर रहे थे उन सब को पकड़कर स्कूल में प्रवेश दिलाया गया । स्पष्ट है कि स्वच्छंदता की बलि देकर विद्यालय का अंकुश सहन करना उनकी सहनशक्ति के बाहर था । अपनी अरुचि को वे समय-समय पर प्रकट करते रहते थे । फ़ज़्लदीन अथवा फ़ज़्लू ऐसे छात्रों का सिरमौर था ।

फ़ज़्ल की मां का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था । उसके पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया । फ़ज़्ल को हथेली का फफोला बनाकर रखा । फ़ज़्ल इस लाड-प्यार से ऐसा बिगड़ा कि न केवल पिता के लिए बल्कि समस्त गांव वालों के लिए सिरदर्द बन गया । चार कक्षाएं पास कर लेने के बाद भी उसे आता जाता कुछ न था । खेतों से गन्ने, मूली, गाज़रें उखाड़ना अथवा बग़ीचों से फल तोड़ लाना उसे भली-भांति आता था । वृद्धों का उपहास करना, समवयस्कों से झगड़ा करना और अपने से छोटों पर अत्याचार करना उस के प्रिय छंद थे । स्कूल में आता ही नहीं था । कभी भूले-भटके चला भी आता तो सब की नाक में दम कर देता । अध्यापकों की नक़लें उतारता । बोर्ड पर उनके कार्टून बनाता । सहपाठियों से लड़ाई-झगड़ा, छीना-झपटी करता ।

एक अध्यापक थे ज़मीन मुहम्मद । बड़ी-सी तोंद थी उनकी । फ़ज़्लू प्रायः बोर्ड पर उनका चित्र बनाता । ख़ूब बड़ी-सी तोंद बनाकर उसके मध्य में लिख देता...''ज़ की पेटी'' ज़मीर मुहम्मद कुछ दिन तो ख़ामोश रहे पर जब यह परिस्थिति असहनीय हो गयी तो एक दिन उसे बुलाकर पूछा–''यह क्या लिखा है रे ?''

फ़ज़्लू ने अबोध बनकर उत्तर दिया, ''जनाब ग़लती से ''र'' लिखना भूल गया । ''ज़र'' (धन) की पेटी लिखना था मुझे ।''

एक दिन ज़मीर मुहम्मद ने उसे छड़ी से ख़ूब पीटा, जिसका बदला फ़ज़्लू ने इस प्रकार लिया कि पत्थर मार उनकी आंख फोड़ दी । वे छुट्टी लेकर इलाज कराने शहर गये तो वापस ही नहीं आये ।

समय के साथ फ़ज़्लू की शरारतें आपराधिक वृत्ति में परिवर्तित हो गयीं । उसने तीन-चार लड़कों की एक टोली

बनायी । यह टोली छोटी-मोटी चोरियां करती । इक्का-दुक्का यात्री दिखायी पड़ जाते तो उन्हें लूट लेती । पूरा गांव तो त्रस्त था ही फ़ज़्लू का बाप आलमदीन भी अब उससे परेशान हो गया । फ़ज़्लू उसकी एक नहीं सुनता था । आलमदीन ने कई बार मेरे दादाजान से फ़ज़्लू को समझाने के लिए कहा पर दादाजान ने कानों को हाथ लगाया...कहा, ''आलमदीन नसीहत सुनने की फ़ज़्लू को न आदत है, न बुज़ुर्गों का वह लिहाज़ करता है । मुझे पलट कर जवाब दे बैठा तो ? तुमने बिगाड़ा है, अब तुम ही संभाल सको तो संभालो उसे ।''

फिर एक दिन गांव में एक बड़ी चोरी हो गयी । चौधरी नज़र मुहम्मद की लड़की की शादी थी । वह शहर से गहने बनवा कर लाये । उसी रात उनके यहां चोरी हो गयी । पुलिस आयी । तहक़ीक़ात हुई, पर कोई सुराग़ नहीं मिला । फ़ज़्लू तीन दिन से गांव में नहीं था । ननिहाल गया हुआ था फिर भी सबको उसी पर संदेह था ।

इस घटना के कुछ दिन बाद दादाजान का इन्तिक़ाल हो गया । पिताजी शहर आ गये । मैंने शहर की नौकरी छोड़ दी । कॉलेज में प्रवेश पा लिया । शिक्षा पूर्ण करके प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा । उत्तीर्ण हुआ और डिप्टी कलेक्टर बन गया । इस बीच आलमदीन से केवल एक बार भेंट हुई । उसने बताया कि फ़ज़्लदीन को उसने अरबी मदरसे में प्रवेश दिला दिया है ।

कल मैं दौरे पर जाने के लिए निकला था कि गाड़ी ख़राब हो गयी । ड्राइवर को मैंने बस से शहर मैकेनिक को लाने के लिए भेजा और दूसरी गाड़ी भी लाने के लिए कहा । मैं वृक्ष के नीचे बैठा ड्राइवर के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अज़ान की आवाज़ आयी और मैं मस्जिद में पहुंच गया ।

अतीत की स्मृतियों से सत्य के धरातल पर आते हुए मैंने पूछा, ''फ़ज़्लदीन ! चौधरी नज़र मुहम्मद के घर में चोरी तुमने की थी ।''

''नहीं, जनाब जी'' फ़ज़्लदीन की आंखों में आंसू आ गये । वह जो कहते हैं न कि ''बद अच्छा, बदनाम बुरा'' तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ । मेरे बाबा ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया । मैं तो अपनी नानी के घर था । बाबा ने वहां पहुंचकर मेरी खाल उधेड़ दी । दो दिन तक मुझे भूखा रखा । मैंने कुबूल नहीं किया और करता भी कैसे ? मैंने चोरी की ही नहीं थी । आख़िर उन्हें यक़ीन आया । फिर उन्होंने मुझे पुलिस के हाथों में पड़ने नहीं दिया । मुझे दूर भेज दिया । बिहार के एक छोटे से गांव के मदरसे में मैंने दस वर्ष तक दीनी (धर्म की) तालीम हासिल की ।''

''ख़ूब फ़ायदा उठाया तुमने तालीम का ।'' मैंने व्यंग्य से कहा, ''क्या तभी से इस गांव में हो ?''

''नहीं, फ़ज़्लदीन सिर झुकाये हुए बोला ''पहले यहां से बहुत दूर एक गांव की मस्जिद में था, वहां एक दिन अपने गांव के नूर मुहम्मद मुल्ला ने मुझे पहचान लिया । वहां उनकी बेटी ब्याही है । उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि यह तो चोर-उचक्का । झूठा मौलवी बना बैठा है । सो गांव वालों ने मार-पीटकर मुझे निकाल दिया । अब तीन साल से यहां हूं ।''

मैंने कहा, ''फ़ज़्लू, मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो ? यह भोले-भाले देहाती तुम से मरऊब (प्रभावित) रहे । तुम्हारे संकेतों पर चलते रहे । तुम्हें खिलाते-पिलाते रहे इसलिए तुम उन्हें उल्टी-सीधी पट्टी पढ़ाते हो । यह सब ग़लत काम छोड़ दो फ़ज़्लदीन, यदि तुम्हें दिये जाने वाले वेतन से तुम्हारी गुज़र-बसर ठीक से नहीं होती तो दूसरा काम करो । कपड़े सियो । खेती करो ।

हमारे नबियों ने भी कई तरह के व्यवसाय किये है । इसके साथ दीन का गहराई से मुताअला (अध्ययन) करो, इल्म देना हो तो सच्चा इल्म दो । लोगों को गुमराह (पथ भ्रष्ट) न करो ।''

इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ ।

चलते-चलते कहा, ''मैं आज और अभी यहां से जा रहा हूं । पर मैं प्रायः इधर से गुज़रता हूं । तुम से मिलने आया करूंगा ।

याद रखो यदि तुमने मेरी बातों पर अमल नहीं किया तो नूर मुहम्मद मुल्ला की तरह मैं भी गांव वालों को तुम्हारी असलियत बता दूंगा । मेरी बात पर ग़ौर करना फ़ज़्ल ! जो ख़ुद सही रास्ते का इल्म न रखता हो वह दूसरों को क्या राह दिखाएगा ?''

फ़ज़्लदीन मौन मुझे तक रहा था । उसकी आंखों में वह दृढ़ निश्चय जन्म ले रहा था जो एक मार्गदर्शक के लिए आवश्यक होता है और जिस पर साधारण जनता आंख बंद कर के विश्वास करती है ।

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें-उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें-THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

...तो भ्रष्टाचार शेष न रहे

● संपादन प्रभाग

इतिहास साक्षी है कि ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जिनकी ज़िन्दगियां हमारे सामने हों तो आशा की जा सकती है कि हमारी आत्माओं तक में बसेरा किये हुए अंधेरे काफ़ूर हो सकते हैं और हम भ्रष्टाचार की इस अंधेरी खाई से सच्चाई और ईमानदारी के नूर से उज्ज्वल शाहराह पर आ सकते हैं।

मदीना की गलियां थीं, रात की तारीकी थी, हर ओर सन्नाटा था। सुबह होने ही वाली थी, घर के अन्दर से किसी मां की आवाज़ आ रही थी, "बेटी, उठ जा, उठ जा, सुबह हो रही है। उठ, जा दूध में पानी मिला दे !"

बेटी ने कहा, "अम्मी यह गुनाह है ! अमीरुल मोमिनीन ने यह घोषणा करा दी है कि दूध में कोई मिलावट नहीं की जाएगी।" मां ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, "यहां कहां हैं अमीरुल मोमिनीन। उठ, जा दूध में पानी मिला दे।"

बेटी ने अदब से कहा, "नहीं मां, अमीरुल मोमिनीन न सही, अल्लाह तो मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन न देखें, वह तो देख रहा है !" अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बातचीत के बाद भी क्या मां ने दूध में पानी मिलाने पर ज़ोर दिया होगा और रात के सन्नाटे में भी खुदा के अपने घर में मौजूद होने का विश्वास रखने वाली बेटी ने क्या दूध में पानी मिला दिया होगा ? नहीं, कदापि नहीं, इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ यह दिलचस्प घटना घटी कि अपनी जनता के दुख-सुख को जानने के उद्देश्य से मदीना की गलियों में गश्त लगाने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि०) खुद ही गली में खड़े हुए मां-बेटी की यह बात सुन रहे थे। आप मासूम बच्ची की ईमानी भावना और हुस्ने किरदार से इतने प्रभावित हुए कि उस लड़की को अपनी बहू बना लिया।

यही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि०) मदीना की मस्जिदे नबवी में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। मजमे से एक साहब उठे और कहा, "हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यह न बताएंगे कि आपने यह लंबा कुर्ता कैसे सिलवा लिया ?" यानी बैतुलमाल से तो हरेक मुसलमान को केवल एक-एक चादर बांटी गयी थी, एक ही चादर आपको भी मिली थी और एक चादर में आप जैसे लंबे-चौड़े व्यक्ति के लिए कुर्ता तैयार होना संभव नहीं है।

हज़रत उमर (रज़ि०) जिनके नाम से क़ैसर व किसरा की हुकूमतें कांपती थीं, फ़रमाया : "इस आपत्ति का जवाब मेरे बेटे अब्दुल्लाह देंगे।" बेटे ने खड़े होकर स्पष्टीकरण दिया कि, "बैतुलमाल से जो चादर मेरे हिस्से में आयी थी वह मैंने अपने पिता को दे दी थी। (इस तरह से दो चादरें मिलाकर अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता तैयार हुआ था।) आपत्ति करने वाले व्यक्ति ने संतुष्ट होकर कहा कि, "ठीक है। अब हम आपका संबोधन सुनेंगे।"

उन्हीं हज़रत उमर (रज़ि०) की अगली नसलों के एक सपूत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी ख़लीफ़ा हुए तो दिल की दुनिया और ज़िन्दगी की कैफ़ियत बदल गयी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी काम में व्यस्त थे कि बैतुलमाल की अमानत के तौर पर रखे हुए सेब के ढेर में से उनके छोटे से मासूम बेटे ने एक सेब उठा लिया। ख़लीफ़ा ने बेटे के हाथ से सेब लेकर अमानत में डाल दिया तो बच्चा रोते हुए घर चला गया। काम समाप्त करके जब वे खुद घर पहुंचे तो पत्नी ने शिकायत की कि आपने बेटे के हाथ से सेब छीन लिया और वह ख़ाली हाथ रोते हुए वापस आ गया। ख़लीफ़ा ने कहा : "वह सेब बैतुलमान की अमानत था। (उसकी सुरक्षा के हम ज़िम्मेदार थे।) बेटे को सेब चाहिए तो अपने पैसे से बाज़ार से ला देता हूं।"

ये छोटी-छोटी तीन ऐतिहासिक घटनाएं इस बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं कि यदि अल्लाह के होने पर पूरा ईमान हो, आख़िरत का यक़ीन और वहां हर छोटे-बड़े नेक व बद अमल की जवाबदेही और जज़ा व सज़ा का एहसास ताज़ा रहे और दुनिया की दृष्टि से भी रहमते आलम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्ल०) का यह मुबारक कथन नज़र में रहे कि यदि मुहम्मद (सल्ल०) की बेटी भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काट दिया जाता तो देश में मौजूद भ्रष्टाचार की मौजूदा स्थिति बाक़ी न रहती।

जिहाद की वास्तविकता

मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) की सुप्रसिद्ध उर्दू पुस्तक 'अल-जिहाद फ़िल-इस्लाम' के एक अध्याय 'इस्लामी जिहाद की हक़ीक़त' का यह सार-संक्षेप हिन्दी अनुवाद है । मौजूदा हालात में विषय-वस्तु के विशेष महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए इसके कुछ अंशों को यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

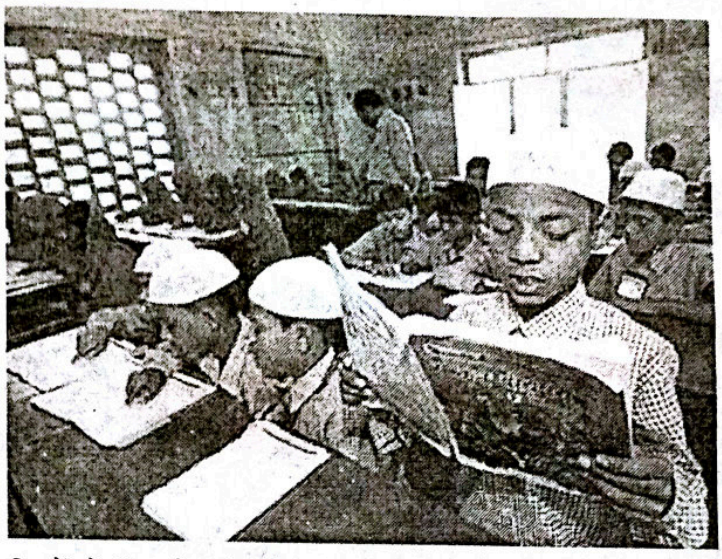

मानव-सभ्यता एवं नागरिकता की आधारशिला जिस क़ानून पर है उसकी सबसे पहली धारा यह है कि मानव के प्राण और उसका रक्त सम्मानीय है । मानव के नागरिक अधिकारों में सर्वप्रथम अधिकार जीवित रहने का अधिकार है और नागरिक कर्तव्यों में सर्वप्रथम कर्तव्य जीवित रहने देने का कर्तव्य है । संसार के जितने धर्म-विधान और सभ्य विधि-विधान हैं, उन सब में प्राण-सम्मान का यह नैतिक नियम अवश्य पाया जाता है । जिस क़ानून और धर्म में इसे स्वीकार न किया गया हो, वह न तो सभ्य मानवों का धर्म और क़ानून बन सकता है, न उसके अंतर्गत कोई मानव-दल शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है और न ही उसे कोई उन्नति प्राप्त हो सकती है ।

संसार के राजनैतिक क़ानून तो मानव-जीवन के सम्मान को केवल दंड के भय और शक्ति के बल पर स्थापित करते हैं । किन्तु एक सत्य धर्म का काम दिलों में उसका वास्तविक मान-सम्मान पैदा कर देना है, ताकि जहां मानव द्वारा दिये जाने वाले दंड का भय न हो और जहां मनुष्य को पुलिस रोकने के लिए न हो वहां भी लोग एक-दूसरे की अकारण हत्या करने से बचते रहें । इस दृष्टिकोण से प्राण-सम्मान की जैसी यथोचित और प्रभावशाली शिक्षा इस्लाम में दी गयी है वह किसी दूसरे धर्म में मिलनी कठिन है । क़ुरआन में जगह-जगह विभिन्न ढंग से इस शिक्षा को दिलों में बिठाने की कोशिश की गयी है । क़ुरआन सूरा-5 अल-माइदा में आदम (अलैहि०) के दो बेटों का क़िस्सा बयान करके, जिनमें से एक ने दूसरे की हत्या की थी और यह हत्या मात्र अत्याचार था, कहा गया है :

"इसी कारण इसराईल की संतान के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचायी उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान किया । मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले-खुले निर्देश लेकर आये, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज़्यादतियां करने वाले हैं ।" (क़ुरआन, 5:32)

एक-दूसरी जगह ईश्वर ने अपने नेक बन्दों के गुण बयान करते हुए कहा है : "ईश्वर के वर्जित किये हुए किसी जीव का नाहक़ क़त्ल नहीं करते, और न व्यभिचार करते हैं–ये काम जो कोई करेगा वह अपने गुनाह का बदला पाएगा ।" (क़ुरआन, 25:68)

एक और जगह कहा है : "ऐ नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे रब ने तुम पर क्या-क्या पाबन्दियां लगायी हैं : यह कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ, और मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार

मूलार्थ और उद्देश्य

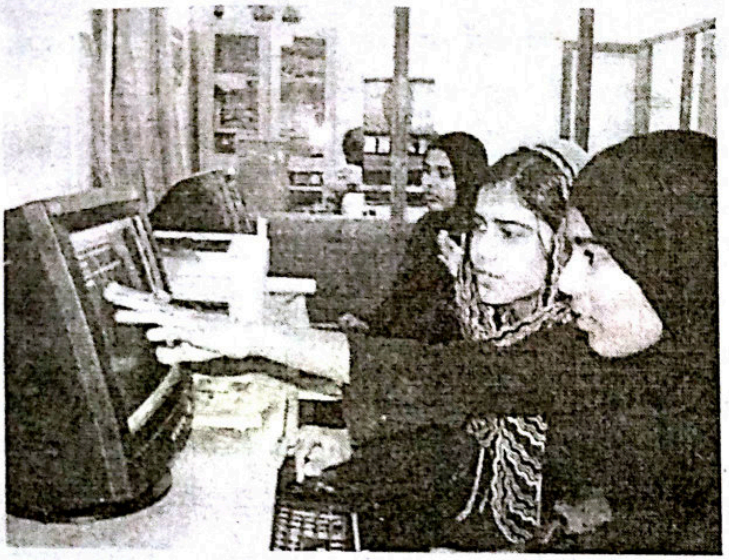

करो और अपनी औलाद को निर्धनता के भय से क़त्ल न करो । हम तुमको भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे, और अश्लील बातों के क़रीब भी न जाओ चाहे वे खुली हुई हों या छिपी । और किसी जीव की, जिसे ईश्वर ने आदरणीय ठहराया है, हत्या न करो, सिवाय इस स्थिति के कि ऐसा करना सत्य को अपेक्षित हो । ये बातें हैं जिनका आदेश उसने तुम्हें दिया है, शायद की तुम समझ-बूझ से काम लो ।''

(क़ुरआन, 6:151)

इस शिक्षा का संबोधन सर्वप्रथम उन लोगों से था जिनकी दृष्टि में मानव-प्राण का कोई मूल्य न था और जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए संतान तक की हत्या कर दिया करते थे । इसलिए इस्लाम की ओर बुलाने वाले पैग़म्बर (उन पर हज़ारों-हज़ार सलाम हों) उनकी मनोवृत्तियों के सुधार के लिए स्वयं भी सदैव प्राण-सम्मान का उपदेश दिया करते थे और यह उपदेश सदैव अत्यंत प्रभावकारी शैली में हुआ करता था । हदीसों में अधिकतर इस प्रकार के कथन पाये जाते हैं जिनमें निर्दोष की हत्या को निकृष्टतम पाप बताया गया है । उदाहरणस्वरूप कुछ हदीसें हम यहां उद्धृत करते हैं : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से उल्लिखित है कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा : ''बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ईश्वर का सहभागी ठहराना है और जीव-हत्या तथा माता-पिता की अवज्ञा एवं झूठ बोलना है ।''

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा : ''ईमान वाला अपने धर्म की विस्तीर्णता में उस समय तक निरंतर रहता है जब तक वह कोई अवैध रक्तपात नहीं करता ।''

हदीसशास्त्र 'नसई' में एक हदीस है कि, ''क़ियामत (प्रलय-दिवस) के दिन बन्दे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, वह नमाज़ है और पहली चीज़ जिसका निर्णय लोगों के मध्य किया जाएगा, वे ख़ून के दावे हैं ।''

एक बार एक व्यक्ति हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने पूछा, ''सबसे बड़ा गुनाह कौन-सा है ?'' हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जवाब दिया, ''यह कि तू किसी को ईश्वर का समकक्ष एवं प्रतिद्वंद्वी ठहराये, जबकि उसने तुझे पैदा किया ।''

उसने फिर पूछा कि ''इसके बाद कौन-सा गुनाह बड़ा है ?'' पैग़म्बर (सल्ल०) ने उत्तर दिया, ''यह कि तू अपने बच्चे की हत्या कर दे, इस विचार से कि वह तेरे खाने में साझीदार होगा ।''

उसने कहा, ''इसके बाद कौन-सा गुनाह है ?'' पैग़म्बर (सल्ल०) ने कहा, ''यह कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे ।''

संसार पर इस्लामी शिक्षा का नैतिक प्रभाव

प्राण-सम्मान की यह शिक्षा किसी दार्शनिक या नैतिक शिक्षक के चिंतन का परिणाम न थी कि इसका प्रभाव केवल पुस्तकों और पाठशालाओं तक सीमित रहता, बल्कि वास्तव में वह ईश्वर और उसके पैग़म्बर की शिक्षा थी जिसका एक-एक शब्द प्रत्येक मुसलमान के ईमान का अंश था, जिसका पालन करना, उपदेश देना और जिसे क्रियान्वित करना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य था जो इस्लाम के कलिमे (महावाक्य और इस्लामी धारणा) को स्वीकार करता हो । अत: एक चौथाई शताब्दी के अल्प समय ही में इसके

कारण अरब जैसी हिंसक जाति में प्राण-सम्मान और शांतिप्रियता का ऐसा गुण पैदा हो गया कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की भविष्यवाणी के अनुसार क़ादसिया से सनआ तक एक महिला अकेली सफ़र करती थी और कोई उसकी जान और माल पर हमला न करता था, जबकि यही वह देश था जहां 25 वर्ष पूर्व बड़े-बड़े क़ाफ़िले भी निश्चिंत होकर नहीं गुज़र सकते थे ।

फिर जब सभ्य संसार का आधे से अधिक भाग इस्लामी राज्य के अधीन हो गया और इस्लाम के नैतिक प्रभाव संसार में चारों ओर फैल गये तो इस्लामी शिक्षा ने मनुष्य के बहुत-से भ्रष्टाचारों और गुमराहियों की तरह मानव-प्राण के उस निरादर का भी उन्मूलन कर दिया जो संसार में फैला हुआ था । आज संसार के सभ्य क़ानूनों में प्राण-सम्मान को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह उस क्रांति के परिणामों में से एक शानदार परिणाम है जो क्रांति इस्लामी शिक्षा के फलस्वरूप संसार के नैतिक वातावरण में आयी थी । अन्यथा जिस अंधकारमय काल में यह शिक्षा अवतरित हुई थी उसमें मानव-प्राण का वास्तव में कोई मूल्य न था । अरब की हिंसक प्रवृतियों का नाम तो इस सिलसिले में दुनिया ने बहुत सुना है, किंतु उन देशों की स्थिति भी कुछ अच्छी न थी जो उस समय संसार की सभ्यता व दर्शन के केन्द्र बने हुए थे । रूस के इतिहास के ऐसे पृष्ठ मौजूद हैं, जिनमें हज़ारों मनुष्य तलवार चलाने की कला की कुशलताओं और रोम के सरदारों के मनोरंजन की भेंट चढ़ गये । अतिथियों के मनोरंजन के लिए या मित्रों के सत्कार के लिए गुलामों को हिंसक पशुओं से फड़वा देना या पशुओं की तरह ज़बह (वध) करा देना या उनके जलने का तमाशा देखना यूरोप और एशिया के अक्सर देशों में कोई बुरा काम न था । क़ैदियों और गुलामों को विभिन्न ढंग से यातना दे-देकर मार डालना उस युग की सामान्य रीति थी । जाहिल और हिंसक प्रवृत्ति के सरदारों ही में नहीं यूनान और रोम के बड़े-बड़े चिंतक और दार्शनिक तक के अनुशीलनों और निरूपणों में मनुष्य के निर्दोष वध करने की बहुत-सी असभ्य रीतियां वैध थीं ।

अरस्तू और प्लेटो जैसे नैतिक शिक्षक माता को यह अधिकार देने में कोई दोष नहीं समझते थे कि वह अपने शरीर के एक अंश (गर्भाशय में पलते हुए बच्चे) को अलग कर दे । अतएव यूनान और रोम में गर्भपात कराना कोई अवैध कर्म न था । पिता को अपनी संतान के वध का पूरा अधिकार था और रोम के क़ानूनविदों को अपने क़ानून की इस विशेषता पर गर्व था कि उसमें संतान पर पिता के अधिकार इतने अधिक असीम हैं । स्टोइक (Stoics) दार्शनिक की दृष्टि में मनुष्य का स्वयं अपने आपका वध करना कोई बुरा काम न था, बल्कि ऐसा श्रेष्ठ कार्य था कि लोग सभाएं आयोजित करके उनमें आत्महत्याएं किया करते थे । यहां तक कि प्लेटो जैसा दार्शनिक भी इसे कोई बहुत बड़ा पाप न समझता था । पति के लिए अपनी पत्नी का वध बिल्कुल ऐसा था जैसे वह अपने किसी पालतू पशु का वध कर दे ।

इसलिए यूनान के क़ानून में इसका कोई दंड न था । जीव-रक्षा का गहवारा भारत इन सबसे बढ़ा हुआ था । यहां पुरुष के शव पर जीवित स्त्री को जला देना एक वैध कर्म था और धर्म में इसकी ताकीद थी । शूद्र के प्राण का कोई मूल्य न था और केवल इस कारण कि वह बेचारा शूद्र ब्रह्मा के पांव से पैदा हुआ है, उसकी हत्या ब्राह्मण के लिए वैध थी । वेद की आवाज़ सुन लेना शूद्र के लिए इतना बड़ा पाप था कि उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे मार डालना न केवल वैध, बल्कि आवश्यक था । यह प्रथा सामान्य रूप से प्रचलित थी कि माता-पिता अपने पहले बच्चे को गंगा नदी की भेंट चढ़ा देते थे और इस कठोर हृदयता को अपने लिए सौभाग्य का कारण समझते थे ।

ऐसे अंधकारमय युग में इस्लाम ने आवाज़ बुलन्द की कि "मानव-प्राण को ईश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है, उसकी हत्या न करो, किन्तु उस समय जबकि सत्य और न्याय उसकी हत्या की मांग करे ।" (कुरआन, 6:151) इस आवाज़ में एक शक्ति थी और शक्ति के साथ वह 'अहिंसा परमो धर्मः' (अहिंसा परम धर्म है) की आवाज़ की तरह बुद्धि और प्रकृति के प्रतिकूल न थी, इसलिए वह संसार के कोने-कोने में पहुंची और उनसे मानव को अपने प्राण के यथोचित मूल्य से अवगत कराया । चाहे किसी जाति या किसी देश ने इस्लाम स्वीकार किया हो या न किया हो, उसका नैतिक जीवन किसी न किसी हद तक इस आवाज़

से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । सामाजिक इतिहास का कोई न्यायप्रिय विद्वान इससे इन्कार नहीं कर सकता कि संसार के नैतिक क़ानूनों में मानव-प्राण के सम्मान को प्रतिष्ठित रखने का गौरव जितना इस आवाज़ को प्राप्त है उतना 'पहाड़ी के उपदेश' या 'अहिंसा परमो धर्म:' की आवाज़ को प्राप्त नहीं है ।

क़त्ल जब सत्य और न्याय को अपेक्षित हो

तनिक विचार कीजिये, केवल "मानव-प्राण की, जिसे ईश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है, उसकी हत्या न करो" ही नहीं कहा, बल्कि इसके साथ 'किन्तु उस समय जबकि सत्य और न्याय उसकी हत्या की मांग करे' भी कहा है ।" "जिसने एक व्यक्ति की हत्या की मानो कि उसने समस्त मानवों की हत्या कर दी" ही नहीं कहा, बल्कि इसके साथ "किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद फैलाने के अतिरिक्त" का अपवाद भी रखा है । यह नहीं कहा कि किसी जान का किसी स्थिति में भी वध न करो । ऐसा कहा जाता तो यह शिक्षा का दोष होता । न्याय न होता, बल्कि वास्तव में अन्याय होता । संसार को वास्तव में आवश्यकता इस बात की न थी कि मनुष्य को क़ानून की पकड़ से आज़ाद कर दिया जाए और उसे खुली छूट दे दी जाए कि जितना चाहे फ़साद करे, जितनी चाहे अशांति फैलाये, जितना चाहे अत्याचार करे, प्रत्येक स्थिति में उसके प्राण का सम्मान किया जाएगा (अर्थात उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा)। बल्कि वास्तव में आवश्यकता यह थी कि संसार में शांति की स्थापना हो, बिगाड़ और उपद्रव का उन्मूलन कर दिया जाए और ऐसा क़ानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में स्वतंत्र हो और कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा का उल्लंघन करके दूसरों की भौतिक या आध्यात्मिक शांति में विघ्न न डाले । इस उद्देश्य के लिए केवल "जीव-हत्या न करो" का समर्थन ही अपेक्षित न था, बल्कि इस रक्षक-शक्ति की भी आवश्यकता थी कि "यदि सत्य और न्याय को अपेक्षित हो" तो (अपराधी को) क़त्ल भी किया जा सकता है, अन्यथा शांति की जगह अशांति ही होती ।

दुनिया का कोई क़ानून, जो कर्म के बदले के नियम से रिक्त हो, सफल नहीं हो सकता । मानव-प्रकृति इतनी आज्ञाकारी नहीं है कि जिस चीज़ का आदेश दिया जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर ले और जिस चीज़ से रोका जाए, उसे सहर्ष त्याग दे । यदि ऐसा होता तो संसार में उपद्रव और बिगाड़ नाममात्र को न होता । मनुष्य की प्रकृति में तो भलाई के साथ बुराई और आज्ञापालन के साथ अवज्ञा भी पायी जाती है । अत: उसकी उद्दंड प्रकृति को आज्ञापालन पर बाध्य करने के लिए ऐसे क़ानून की आवश्यकता है जिसमें आदेश देने के साथ यह भी हो कि यदि आदेश का पालन न किया गया तो उसका दंड क्या है और वर्जित करने के साथ यह भी हो कि यदि वर्जित कर्म से बचा न गया तो उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा । केवल "धरती के सुधार के बाद उसमें बिगाड़ पैदा न करो" या "जिस प्राणी को ईश्वर ने प्रतिष्ठित किया है उसकी हत्या न करो" कहना पर्याप्त नहीं हो सकता, जब तक कि इसके साथ यह भी न बता दिया जाए कि यदि इस महापाप से किसी ने अपने को दूर न रखा और फ़साद फैलाया और रक्तपात किया तो उसे क्या दंड दिया जाएगा ।

मानव-शिक्षा में ऐसी त्रुटि का रह जाना संभव है, किन्तु ईश्वरीय क़ानून इतना दोषपूर्ण नहीं हो सकता । उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मानव-रक्त की प्रतिष्ठा केवल उसी समय तक है, जब तक उस पर 'हक़' (सत्य और न्याय) न क़ायम हो जाए । (जब तक कि वह अपराध करके स्वयं उस प्रतिष्ठा को भंग न कर दे ।) उसे जीवन का अधिकार केवल वैध सीमाओं के भीतर ही दिया जा सकता है, किंतु जब वह उन सीमाओं का उल्लंघन करके उपद्रव और फ़साद फैलाए या दूसरों के प्राण पर अकारण आक्रमण करे तो वह अपने जीवन-अधिकार को स्वयं खो देता है और उसका वध वैध हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु ही मानवता का जीवन हो जाती है । अतएव कहा गया है कि "हत्या बड़ी बुरी चीज़ है किंतु उससे अधिक बुरी चीज़ फ़साद एवं उपद्रव है ।" जब कोई व्यक्ति यह बड़ा अपराध करे तो उसकी बड़ी बुराई का अंत कर देना ही ज़्यादा अच्छा है । इसी प्रकार जो कोई किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति की अन्यायपूर्ण हत्या करे, उसके लिए आदेश हुआ "मारे जाने वालों के विषय में हत्या-दंड (क़िसास) तुम पर अनिवार्य किया गया" (क़ुरआन, 2:178)। इसके साथ उस भेदभाव

क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं



DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539



किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।

जाफ़रानी तेल®

गैस्टिक के दर्द में?

क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपचे, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।

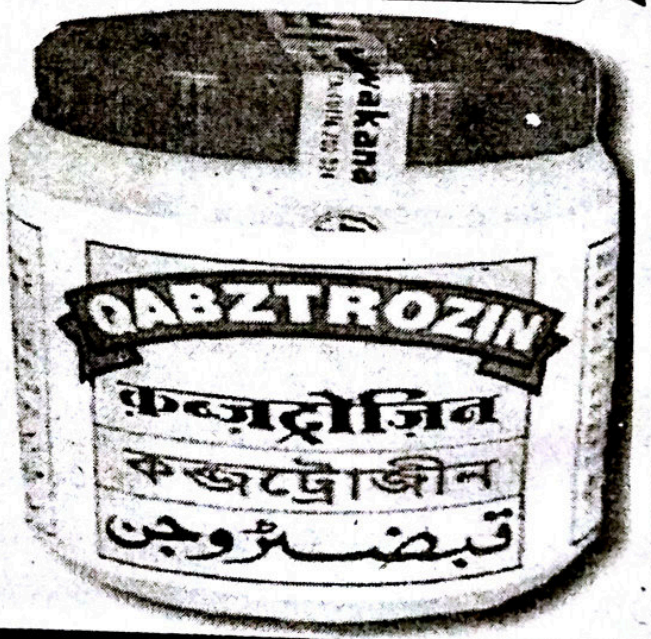

Qadri Dawakhana
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957,
RELAX ENTERPRISES 3416, Bahishti Wada, No.1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

को भी मिटा दिया गया जिसे गुमराह क़ौमों ने उच्च और निम्न वर्ग के लोगों में क़ायम किया था । अतएव कहा गया "हमने उस (तौरात) में उनके लिए लिख दिया था कि प्राण-प्राण के बराबर है" (क़ुरआन, 5:45)। यह नहीं हो सकता कि अमीर ग़रीब को मार डाले या आज़ाद व्यक्ति गुलाम की हत्या कर दे तो वह छोड़ दिया जाए, बल्कि मनुष्य होने की दृष्टि से सब बराबर हैं । प्राण के बदले प्राण ही लिया जाएगा, चाहे धनी का प्राण हो या निर्धन का । फिर इस विचार से कि किसी को इस अवश्यंभावी रक्तपात में झिझक न हो, कहा गया, "ऐ बुद्धिमानो ! तुम्हारे लिए प्राण-दंड में जीवन है ।" अर्थात ऐ बुद्धिमानो ! इस प्राण-दंड को मृत्यु न समझो, बल्कि यह तो वास्तव में समाज का जीवन है जो उसके शरीर से एक दूषित और घातक फोड़े को काटकर प्राप्त किया जाता है ।

सत्य एवं न्याय को अपेक्षित और अनपेक्षित क़त्ल में अन्तर

सत्य और न्याय के अनपेक्षित क़त्ल को ऐसी कड़ाई के साथ रोक कर और सत्य और न्याय को अपेक्षित क़त्ल की ऐसी ताकीद करके ईश्वरीय धर्म-विधान ने अतिशयता और न्यूनता के दो मार्गों के मध्य न्याय और बीच के सीधे मार्ग की ओर हमारा मार्गदर्शन किया है । एक ओर वह मर्यादाहीन और सीमोल्लंघन करने वाला गिरोह है जो मानव-प्राण का कोई मूल्य नहीं समझता और अपनी तुच्छ इच्छाओं पर उसे बलिदान कर देना वैध समझता है । दूसरी ओर वह विवेक भ्रष्ट और दृष्टि भ्रष्ट गिरोह है जो रक्त की पवित्रता और उसकी शाश्वत अवैधता का मानने वाला है और किसी स्थिति में भी रक्त बहाना वैध नहीं समझता । इस्लामी धर्म-विधान ने इन दोनों ग़लत विचारों का खंडन कर दिया और उसने बताया कि मानव-प्राण की प्रतिष्ठा न तो काबा या मां-बहन की प्रतिष्ठा की तरह शाश्वत है कि किसी प्रकार उसे क़त्ल करना वैध ही न हो सके और न उसका मूल्य इतना कम है कि अपनी तुच्छ भावनाओं एवं इच्छाओं की तृप्ति के लिए उसका वध कर देना वैध हो ।

एक ओर उसने बताया कि मानव-प्राण इसलिए नहीं है कि मनोरंजन के लिए घायल दशा में उसके तड़पने का तमाशा देखा जाए, उसको जलाकर या यातनाएं देकर आनन्द लिया जाए, उसको व्यक्तिगत इच्छाओं की राह में रुकावट समझ कर उसका अंत कर दिया जाए या तथ्यहीन अंधविश्वासों औ ग़लत रीतियों की वेदी पर उसकी भेंट चढ़ायी जाए । ऐसे अपवित्र उद्देश्यों के लिए उसका ख़ून बहाना निश्चय ही अवैध और महापाप है । दूसरी ओर उसने यह भी बताया कि एक चीज़ मानव-प्राण से भी अधिक मूल्यवान है और वह 'हक़' (सत्य एवं न्याय) है । वह जब उसके ख़ून की मांग करे तो उसे बहाना न केवल वैध बल्कि अनिवार्य है और उसको न बहाना सबसे बड़ा गुनाह है । मनुष्य जब तक सत्य का आदर करता है उसके ख़ून का आदर करना आवश्यक होता है, किंतु जब वह उद्दंड होकर सत्य पर हाथ बढ़ाये तो वह अपने ख़ून का मूल्य स्वयं खो देता है । फिर उसके ख़ून का मूल्य इतना भी नहीं रहता, जितना पानी का होता है ।

अवश्यंभावी रक्तपात

सत्य और न्याय को अपेक्षित क़त्ल यद्यपि देखने में सत्य के अनपेक्षित क़त्ल की तरह रक्तपात ही है, किंतु वास्तव में यह अवश्यंभावी रक्तपात है जिससे किसी दशा में छुटकारा नहीं । इसके बिना न संसार में शांति स्थापित हो सकती है, न बुराई और फ़साद की जड़ कट सकती है, न नेक लोगों को बुरों की दुष्टता से मुक्ति मिल सकती है, न हक़दार को हक़ मिल सकता है, न ईमानदारों को ईमान और अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, न उद्दंडों को उनकी वैध सीमाओं में सीमित रखा जा सकता है और न ईश्वर के प्राणियों को भौतिक एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है । यदि इस्लाम पर ऐसे रक्तपात का आरोप है तो उसे इस आरोप को स्वीकार करने में तनिक भी लज्जा नहीं । किंतु प्रश्न यह है कि और कौन है जिसका दामन इस अवश्यंभावी रक्तपात के छींटों से रंजित नहीं है ? बौद्धमत की अहिंसा इसको अवैध ठहराती है, किंतु वह भी भिक्षु और गृहस्थ में अंतर करने पर विवश हुई और अंततः उसने एक छोटे गिरोह के लिए मुक्ति (निर्वाण) को आरक्षित रखने के पश्चात शेष संपूर्ण संसार को कुछ नैतिक आदेश देकर गृहस्थ धर्म स्वीकार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें राजनीति, दंड-विधान और युद्ध सब कुछ है ।

इसी प्रकार ईसाइयत भी युद्ध को सर्वथा अवैध ठहराने के बावजूद अंततः युद्ध के लिए विवश हुई और जब रोम

साम्राज्य के अत्याचारों को सहन करना उसके लिए असंभव हो गया तो अंतत: उसने स्वयं राज्य पर क़ब्ज़ा करके ऐसा युद्ध छेड़ा जो अवश्यंभावी रक्तपात की सीमा से बहुत आगे निकल गया । हिन्दू धर्म में भी अर्वाचीन दार्शनिकों ने 'अहिंसा परमो धर्म:' की धारणा प्रस्तावित की और जीव-हत्या को पाप ठहराया । किंतु जब इस संबंध में क़ानूनविद् मनु से धर्मादेश मालूम किया गया कि "यदि कोई व्यक्ति हमारी स्त्रियों पर हाथ डाले या हमारा धन छीने, हमारे धर्म का अपमान करे तो हम क्या करें ?" तो उसने उत्तर दिया कि "ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को अवश्य मार डालना चाहिए, भले ही वह गुरु हो या विद्वान ब्राह्मण, बूढ़ा हो या बालक ।" (मनुस्मृति 8:350)

सामूहिक उपद्रव

यह प्राण-दंड का क़ानून जिस प्रकार व्यक्तियों के लिए है उसी प्रकार समूहों के लिए भी है । जिस प्रकार व्यक्ति उद्दंड होते हैं, उसी प्रकार गिरोह और क़ौमें भी उद्दंड होती हैं । जिस प्रकार व्यक्ति लालच और लोलुपंता से अभिभूत होकर सीमोल्लंघन कर जाते हैं, उसी प्रकार गिरोह और क़ौमों में भी यह नैतिक रोग पैदा हो जाया करता है । अत: जिस प्रकार व्यक्तियों को क़ाबू में रखने और उन्हें अत्याचार से रोकने के लिए युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है उसी प्रकार गिरोहों और क़ौमों के बढ़ते हुए दुष्कर्मों को रोकने के लिए भी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है । आकार-प्रकार की दृष्टि से व्यक्तिगत और सामूहिक उपद्रव में कोई अन्तर नहीं है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर है । व्यक्तियों के उपद्रव का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, मनुष्यों के एक छोटे समूह को उससे कष्ट पहुंचता है और गज़ भर धरती रंजित करके उसका उन्मूलन किया जा सकता है । किंतु गिरोहों का उपद्रव एक असीम संकेट होता है जिससे अनगिनत मनुष्यों की ज़िन्दगी दूभर हो जाती है, पूरी-पूरी क़ौमों का जीवन संकीर्ण होकर रह जाता है । संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक हलचल पैदा हो जाती है और उसका उन्मूलन ख़ून की नदियां बहाये बिना नहीं हो सकता, जिसे क़ुरआन में 'धरती में रक्तपात' (8:67) के अर्थयुक्त शब्द से अभिव्यंजित किया गया है ।

गिरोह जब उद्दंडता पर उतर आते हैं तो वे कोई एक उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनमें तरह-तरह के शैतान सम्मिलित होते हैं इसलिए तरह-तरह की शैतानी ताक़तें उनके तूफ़ान में उभर आती हैं और हज़ारों प्रकार के उपद्रव उनके कारण उठ खड़े होते हैं । कुछ उनमें धन-दौलत के लालची होते हैं तो वे ग़रीब क़ौमों पर डाके डालते हैं, उनके व्यापार पर क़ब्ज़ा करते हैं, उनके उद्योगों को नष्ट करते हैं, उनके परिश्रम से कमाये हुए रुपये-पैसों को विभिन्न प्रकार की चालाकियों से लूटते हैं और ताक़त के बल पर उस धन से अपने कोष भरते हैं जिसके वैध अधिकारी वे भूखी, पीड़ित क़ौमें होती हैं । कुछ उनमें अपनी तुच्छ इच्छाओं के दास होते हैं । वे अपने जैसे मानवों के ख़ुदा बन बैठते हैं, अपनी इच्छाओं पर निर्बल लोगों के अधिकारों की बलि चढ़ाते हैं । न्याय को मिटाकर अन्याय और अत्याचार के झंडे बुलन्द करते हैं । सज्जनों और नेक लोगों को दबा कर मूर्खों और कमीनों को ऊंचा उठाते हैं, उनके अपवित्र प्रभाव से क़ौमों के नैतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, सद्गुणों और श्रेष्ठताओं के स्रोत सूख जाते हैं और उनकी जगह विश्वासघात, दुष्कर्म, अश्लीलता, कठोर हृदयता, अन्याय और अनगिनत अन्य नैतिक दुर्गुनों के गन्दे नाले जारी हो जाते हैं ।

फिर उनमें कुछ वे हैं जिन पर देश एवं विश्व-विजय का भूत सवार होता है तो वे निरुपाय और निर्बल क़ौमों की आज़ादियां छीन लेते हैं । ख़ुदा के बेगुनाह बन्दों के ख़ून बहाते हैं, अपनी सत्ता-लोलुपता को पूरा करने के लिए धरती में फ़साद फैलाते हैं और स्वतंत्र मानवों को उस ग़ुलामी का तौक़ पहनाते हैं जो समस्त नैतिक बिगाड़ की जड़ है । इन शैतानी कामों के साथ जब धर्म में ज़ोर-ज़बरदस्ती भी शामिल हो जाती है और इन अत्याचारी गिरोहों में से कोई गिरोह अपने स्वार्थों के लिए धर्म का प्रयोग करके ख़ुदा के बन्दों को धार्मिक स्वतंत्रता से भी वंचित कर देता है और दूसरों पर इसलिए अत्याचार करता है कि वे उसके धर्म के बजाय अपने धर्म का पालन क्यों करते हैं, तो यह संकट और भी गंभीर हो जाता है ।

युद्ध : एक नैतिक कर्तव्य

ऐसी स्थिति में युद्ध वैध ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है । उस समय मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि उन ज़ालिमों को मौत के घाट उतार दिया जाए और

उन फ़सादियों और उपद्रवियों की बुराई से ईश्वर के पीड़ित एवं निरुपाय बन्दों को छुटकारा दिलाया जाए जो शैतान बनकर आदम की संतान पर नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विनाश का संकट लाते हैं ।

युद्ध का निहित उद्देश्य

युद्ध के इसी निहित उद्देश्य और आवश्यकता को तत्वदर्शी और सर्वज्ञ ईश्वर ने अपनी ज्ञान-गर्भित वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया है :

''यदि ईश्वर लोगों को एक-दूसरे के द्वारा हटाता न रहता तो मठ और गिरजा और यहूदी उपासनागृह और मस्जिदें, जिनमें ईश्वर का अधिक नाम लिया जाता है, सब ढा दी जातीं ।'' (क़ुरआन, 22:40)

क़ुरआन की इस शुभ आयत में केवल मुसलमानों की मस्जिदों का ही उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि 'सवामेअ' 'बिअ' और 'सलवात' तीन और चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है । 'सवामेअ' से अभिप्रेत ईसाइयों के संन्यासी गृह, मजूसियों के पूजागृह और साबियों के उपासना गृह हैं । 'बिअ' के शब्द में ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के कलीसे दोनों सम्मिलित हैं । यह सारगर्भित शब्द प्रयोग करने के पश्चात फिर सलवात का एक ऐसा शब्द प्रयोग किया है जो व्यापकता लिए हुए है, जो ईश्वरीय आराधना के प्रत्येक विषय का द्योतक है और इन सबके अंत में मस्जिदों का उल्लेख किया गया है । इससे अभिप्रेत यह बताना है कि अगर ईश्वर न्यायप्रिय मनुष्यों के द्वारा अत्याचारी लोगों को न हटाया करता तो इतना बड़ा बिगाड़ पैदा होता कि उपासना गृह तक बर्बादी से न बचते जिनसे नुक़सान की किसी को आशंका तक नहीं होती ।

इसके साथ ही यह भी बता दिया कि बिगाड़ का सबसे घृणित रूप यह है कि एक जाति शत्रुता से प्रेरित होकर दूसरी जाति के उपासना गृहों तक को नष्ट कर दे । और फिर अत्यंत प्रभावकारी ढंग से अपने इस अभिप्राय को भी व्यक्त कर दिया कि जब कोई गिरोह ऐसा बिगाड़ पैदा करता है तो हम किसी दूसरे गिरोह के द्वारा उसकी दुष्टता का उन्मूलन कर देना आवश्यक समझते हैं ।

युद्ध के इसी निहित उद्देश्य को दूसरे स्थान पर जालूत की सरकशी और हज़रत दाऊद (अलैहि०) के हाथ से उसके मारे जाने का उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहा है :

''यदि ईश्वर मनुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती बिगाड़ से भर जाती, किन्तु ईश्वर संसार वालों के लिए उदार अनुग्राही है (कि वह बिगाड़ को दूर करने का यह प्रबंध करता रहता है)।''

(क़ुरआन, 2:251)

एक और जगह क़ौमों की पारस्परिक शत्रुता और वैर का उल्लेख करके कहा जाता है : ''वे जब भी युद्ध की आग भड़काते हैं, ईश्वर उसको बुझा देता है । वे धरती में बिगाड़ फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ईश्वर बिगाड़ फैलाने वालों को पसन्द नहीं करता ।'' (क़ुरआन, 5:64)

ईश्वरीय मार्ग में युद्ध (जिहाद) की आवश्यकता

यहां इसी बिगाड़ और अशांति, लालच और लोलुपता, द्वेष और शत्रुता और पक्षपात और संकीर्ण दृष्टता का युद्ध है जिसकी आग को बुझाने के लिए ईश्वर ने अपने नेक बन्दों को तलवार उठाने (अर्थात शक्ति प्रयोग) का आदेश दिया है । अतएव कहा गया : ''जिन लोगों से युद्ध किया जा रहा है उन्हें लड़ने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि उन पर ज़ुल्म हुआ है । और निश्चय ही ईश्वर उनकी सहायता की पूरी सामर्थ्य रखता है । ये वे लोग हैं जो अपने घरों से बेक़ुसूर निकाले गये, इनका क़ुसूर केवल यह था कि ये ईश्वर को अपना पालनहार कहते थे ।'' (क़ुरआन, 22:39-40)

यह क़ुरआन में पहली आयत है जो युद्ध के संबंध में उतरी । इसमें जिन लोगों के विरुद्ध लड़ने का आदेश दिया गया है, उनका दोष यह नहीं बताया कि उनके पास एक उपजाऊ भूमि है या वे व्यापार की एक बड़ी मंडी के मालिक हैं या वे एक अन्य धर्म का पालन करते हैं, बल्कि उनका अपराध स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वे अत्याचार करते हैं, निर्दोष लोगों को उनके घरों से निकालते हैं और पक्षपात में इतने अधिक ग्रस्त हैं कि लोगों को केवल इसलिए दुख देते हैं और उन्हें संकट में डालते हैं कि वे लोग ईश्वर को अपना पालनहार कहते हैं । ऐसे लोगों के विरुद्ध केवल अपनी सुरक्षा हेतु ही युद्ध का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि दूसरे उत्पीड़ित लोगों की सहायता और उनके समर्थन का भी आदेश दिया गया है और ताकीद की गयी है कि कमज़ोर और निस्सहाय लोगों को ज़ालिमों के पंजे से

छुड़ाओ :

"तुम्हें क्या हो गया है कि ईश्वर के मार्ग में उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध नहीं करते, जो प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे प्रभु ! तू हमें उस बस्ती से निकाल जहां के लोग बड़े ज़ालिम और दमनकारी हैं, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक और समर्थक नियुक्त कर ।" (कुरआन, 4:75)

ऐसे युद्ध को, जो ज़ालिमों और फ़सादियों के मुक़ाबले में अपनी सुरक्षा और कमज़ोरों, असहायों और उत्पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाए, ईश्वर ने उसे ठीक ईश्वरीय मार्ग का युद्ध ठहराया है, जिससे यह बताना अभीष्ट है कि यह युद्ध बन्दों के लिए नहीं, बल्कि ख़ुदा के लिए है और बन्दों के स्वार्थ और उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए है । इस युद्ध को उस समय तक जारी रखने का आदेश दिया गया है जब तक ईश्वर के निर्दोष बन्दों पर अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाथ डालने और दमन और अत्याचार का सिलसिला बन्द न हो जाए । अतएव कहा गया, "उनसे लड़े जाओ यहां तक कि उपद्रव शेष न रहे ।" (कुरआन, 2:193) और "यहां तक कि युद्ध अपने हथियार डाल दे और बिगाड़ का नामो-निशान इस तरह मिट जाए कि उसके मुक़ाबले के लिए युद्ध की आवश्यकता न रहे ।" (कुरआन, 47:4) इसके साथ यह भी बता दिया है कि सत्य पर आधारित इस युद्ध को रक्तपात समझकर छोड़ देने या उसमें प्राण और धन की हानि देखकर संकोच करने का परिणाम कितना बुरा है ।

सत्य-असत्य का सीमा-निर्धारण

फिर ईश्वर ने सत्य-समर्थन के युद्ध के निहित उद्देश्य और आवश्यकता को व्यक्त करने और ताकीद करने ही पर बस नहीं किया, बल्कि यह स्पष्टीकरण भी कर दिया कि–

"जो लोग ईमान वाले हैं वे ईश्वर के मार्ग में युद्ध करते हैं और जो इन्कार करने वाले और अवज्ञाकारी हैं वे अत्याचार और उद्दंडता के लिए लड़ते हैं । अत: तुम शैतान के मित्रों से लड़ो । क्योंकि शैतान की लड़ाई का पहलू कमज़ोर है ।" (कुरआन, 4:76)

यह एक निर्णायक कथन है जिसमें सत्य और असत्य के मध्य पूर्ण रूप से सीमा-निर्धारण कर दिया गया है । जो लोग ज़ुल्म और सरकशी के लिए युद्ध करें वे शैतान के मित्र हैं और जो ज़ुल्म के लिए नहीं, बल्कि ज़ुल्म को मिटाने के लिए युद्ध करें वे ईश्वरीय मार्ग के धर्म योद्धा (मुजाहिद) हैं । प्रत्येक वह युद्ध जिसका उद्देश्य सत्य एवं न्याय के विरुद्ध ईश्वर के बन्दों को तकलीफ़ देना हो, जिसका उद्देश्य हक़दारों का हक़ छीनना और उन्हें उनकी वैध संपत्तियों से निष्कासित करना हो, जिसका उद्देश्य ईश्वर का नाम लेने वालों को अकारण सताना हो, वह युद्ध शैतान के मार्ग में है । उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं । ऐसा युद्ध करना ईमानदारों का काम नहीं है । हां, जो लोग ऐसे ज़ालिमों के मुक़ाबले में उत्पीड़ितों का समर्थन और उनकी रक्षा करते हैं, जो संसार से अन्याय एवं अत्याचार को मिटाकर न्याय स्थापित करना चाहते हैं, जो सरकशों और फ़सादियों की जड़ काटकर ख़ुदा के बन्दों को निश्चिंतता और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने और मानवता के उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का अवसर देते हैं, उनका युद्ध ईश्वरीय मार्ग का युद्ध है । वे उत्पीड़ितों की जो सहायता करते हैं तो मानो वे स्वयं ईश्वर की सहायता करते हैं, और ईश्वर ने उन्हीं की सहायता का वचन दिया है ।

ईश्वर के मार्ग में जिहाद की विशिष्टता

यही वह ईश्वरीय मार्ग का जिहाद है जिसकी विशिष्टता के वर्णन से कुरआन के पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिसके विषय में कहा है :

"ऐ ईमान वालो क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें पीड़ाजनक यातना से बचाए । वह तिजारत यह है कि तुम ईश्वर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में अपनी जान-माल से जिहाद करो । यह तुम्हारे लिए उत्तम कार्य है यदि तुम जानो ।" (कुरआन, 61:10-11)

जिसमें लड़ने वालों की प्रशंसा इस तरह की है :

"ईश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो उसके मार्ग में इस तरह पंक्तिबद्ध होकर लड़ते हैं मानो वे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं ।" (कुरआन, 61:4)

जिसकी उच्चता एवं महानता की गवाही इस शान से दी है : "क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और प्रतिष्ठित मस्जिद (काबा) के आबाद करने को उन लोगों के काम के बराबर ठहराया है जो ईश्वर और अंतिम दिन पर ईमान

लाए और ईश्वर के मार्ग में लड़े ? ईश्वर की दृष्टि में ये दोनों बराबर नहीं हैं । ईश्वर ज़ालिम लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता । जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने सत्य के लिए घरबार छोड़े और ईश्वरीय मार्ग में जान-माल से लड़े उनका दर्जा ईश्वर की दृष्टि में ज़्यादा बड़ा है, और वही लोग हैं जो वास्तव में सफल हैं ।'' (कुरआन, 9:19-20)

फिर यही वह सत्यप्रियता का युद्ध है जिसमें एक रात का जागना हज़ार रातें जागकर उपासना करने से बढ़कर है, जिसके क्षेत्र में जमकर खड़े होना, घर बैठकर साठ वर्ष तक नमाज़ें पढ़ते रहने से उत्तम बताया गया है, जिसमें जागने वाली आंख पर नरक की आग हराम कर दी गयी है; जिसके मार्ग में धूल-धूसरित होने वाले क़दमों से वादा किया गया है कि वे कभी नरकाग्नि की ओर न घसीटे जाएंगे और इसके साथ ही उन लोगों को जो उससे बचकर घर बैठ जाएं और उसकी पुकार सुनकर कसमसाने लगें, इस प्रकोपयुक्त शैली में सचेत किया गया है :

''उनसे कह दो यदि तुम्हें अपने पिता, बेटे, भाई, पत्नियां, नातेदार और वे धन जो तुमने कमाये हैं और वह तिजारत जिसके मंद पड़ जाने का तुम्हें भय लगा हुआ है और वे घर-बार जिन्हें तुम पसन्द करते हो, ईश्वर और उसके रसूल और उसके मार्ग में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं तो बैठे प्रतीक्षा करते रहो, यहां तक कि ईश्वर अपना काम पूरा करे । विश्वास रखो कि ईश्वर अवज्ञाकारियों का कभी मार्गदर्शन नहीं करता ।'' (कुरआन, 9:24)

सामाजिक व्यवस्था में जिहाद का स्थान

जिहाद की इस वास्तविकता को जान लेने के पश्चात यह समझ लेना बहुत आसान है कि क़ौमों की ज़िन्दगी में इसको क्या स्थान प्राप्त है और सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है । यदि संसार में कोई ऐसी शक्ति मौजूद हो जो बुराई के विरुद्ध निरंतर जिहाद करती रहे और समस्त सरकश क़ौमों को अपनी-अपनी सीमा की पाबन्दी पर बाध्य कर दे तो सामाजिक व्यवस्था में यह असंतुलन कदापि दिखायी न दे कि आज संपूर्ण मानवजगत् अत्याचारियों और उत्पीड़ितों, आक़ाओं और गुलामों में विभक्त है और संपूर्ण संसार में नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन कहीं दासता और अत्याचार के कारण और कहीं गुलाम बनाने और दमनकारिता के कारण विनष्ट हो रहा है । बुराई को दूसरों से हटाना तो एक बड़ा दर्जा है, यदि उसे स्वयं अपने से हटाने का एहसास भी एक क़ौम में मौजूद हो और इसके मुक़ाबले में वह अपने सुख-विलास को, अपने धन-वैभव को, अपने ऐन्द्रिक आनन्दों और अपने प्राण के प्रेम को, सारांश यह कि किसी चीज़ को भी प्रिय न समझे तो वह कभी अपमानित होकर नहीं रह सकती और उसकी प्रतिष्ठा को कोई शक्ति रौंद नहीं सकती ।

सत्य के आगे सिर झुकाना और असत्य के आगे सिर झुकाने पर मृत्यु को प्राथमिकता देना एक प्रतिष्ठित क़ौम की विशेषता होनी चाहिए और यदि वह सत्य को उच्चता प्रदान करने और सत्य की सहायता की शक्ति न रखती हो तो उसे कम से कम सत्य की सुरक्षा पर दृढ़ता के साथ अवश्य अटल रहना चाहिए जो प्रतिष्ठा का कम से कम दर्जा है । किंतु इस दर्जे से गिरकर जो क़ौम सत्य की रक्षा भी न कर सके और उसमें उत्सर्ग और क़ुरबानी का अभाव इतना बढ़ जाए कि बुराई और दुष्टता जब उस पर चढ़कर आये तो वह उसे मिटाने या स्वयं मिट जाने के बजाय उसके अधीन जीवित रहने को स्वीकार कर ले तो ऐसी क़ौम के लिए दुनिया में कोई प्रतिष्ठा नहीं है । उसका जीवन निश्चय ही मृत्यु से निकृष्ट है । इसी रहस्य को समझाने के लिए ईश्वर ने बार-बार अपनी तत्वदर्शितापूर्ण पुस्तक में उन जातियों का उल्लेख किया है जिन्होंने बुराई के विरुद्ध जिहाद करने में प्राण, धन और ऐन्द्रिक सुखों का टोटा देखकर उससे जी चुराया और बुराई का अधिपत्य स्वीकार करके अपने ऊपर सदैव के लिए घाटा और असफलता का दाग़ लगा लिया । ऐसी क़ौमों को ईश्वर ज़ालिम क़ौमें कहता है । अर्थात उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं अपने ऊपर जुल्म किया और वास्तव में वे अपने ही जुल्म से विनष्ट हुईं । अतएव एक स्थान पर इस प्रकार उनका उदाहरण दिया है :

''क्या उन्हें उन लोगों का वृत्तांत नहीं पहुंचा जो उसने पहले गुज़रे हैं--नूह के लोगों का, आद और समूद का, और इबराहीम की क़ौम का और मदयन वालों का और उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया ? उनके रसूल उनके पास खुले-खुले मार्गदर्शन लेकर आये थे, फिर ईश्वर ऐसा न था कि वह उन पर अत्याचार करता, किंतु वे स्वयं अपने

आप पर अत्याचार कर रहे थे । रहे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वे सब परस्पर एक-दूसरे के सहयोगी हैं । भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं ।''

(क़ुरआन, 9:70-71)

यहां पिछली क़ौमों के अपने आप पर जुल्म करने का उल्लेख करते ही जो ईमान वालों का यह गुण बताया है कि वे एक-दूसरे के मित्र और सहायक हैं और नेकी को क़ायम करते और बुराई को रोकते हैं तो इससे स्पष्टत: यही बताना अभीष्ट है कि उन मिटने वाली क़ौमों ने भलाई का हुक्म देना और बुराई को रोकना छोड़ दिया था और यही उनका वह जुल्म था जिसने अंतत: तबाह किया ।

एक और जगह बनी इसराईल की कायरता और जिहाद से जी चुराने के अत्यंत शिक्षाप्रद परिणाम का उल्लेख किया गया है । कहा कि मूसा (अलैहि॰) ने अपनी क़ौम को ईश्वर की अनुकम्पाओं का स्मरण कराकर आदेश दिया कि तुम पवित्र भू-भाग में प्रवेश करो जिसे ईश्वर ने तुम्हारी मीरास में दिया है । और कदापि पीठ मत फेरो, क्योंकि पीठ फेरने वाले सदैव असफल रहा करते हैं । किंतु बनी इसराईल पर भय छाया हुआ था । उन्होंने कहा : ''ऐ मूसा ! उस भू-भाग में तो बड़े शक्तिशाली लोग रहते हैं । हम तो वहां कदापि नहीं जा सकते, जब तक कि वे वहां से निकल नहीं जाते । हां, यदि वे वहां से निकल जाएं तो हम अवश्य प्रविष्ट हो जाएंगे ।'' (क़ुरआन, 5:22)

क़ौम के दो नवयुवकों ने, जिन पर ईश्वर ने कृपा की थी, क़ौम को परामर्श दिया कि तुम निर्भय होकर प्रवेश करो । तुम्हीं प्रभावी रहोगे । और यदि तुम्हें ईमान की दौलत प्राप्त है तो ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए । किंतु वे कायर और हीन दशा पर संतुष्ट रहने वाली क़ौम मनुष्यों के भय से कांपती ही रही और उसने साफ़ कह दिया कि : ''ऐ मूसा ! जब तक वे लोग वहां हैं, हम तो कदापि वहां नहीं जाएंगे । ऐसा ही है तो जाओ तुम और तुम्हारा रब, और दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे ।'' (क़ुरआन, 5:24)

अंतत: इस कायरता के कारण ईशतेजस्विता ने यह निर्णय लिया कि वे चालीस वर्ष तक इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहें और कहीं उनको ठिकाना न मिल सके । (ईश्वर ने) कहा-''अच्छा तो अब यह भूमि चालीस वर्ष तक इनके लिए वर्जित है । ये धरती में मारे-मारे फिरेंगे ।''

(क़ुरआन, 5:26)

एक दूसरी जगह विस्तारपूर्वक बनी इसराईल की अपनी जान और माल के साथ उस प्रेम और कायरता और मृत्यु के भय का उल्लेख किया है जिसके कारण उन्होंने ईश्वरीय मार्ग का जिहाद त्याग दिया और जिसके कारण अंतत: वे क़ौमी विनाश में ग्रस्त हुए । कहा गया है : ''क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घर-बार छोड़कर निकले थे ? तो ईश्वर ने उन पर मौत ही का आदेश भेज दिया । फिर उसने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान किया । वास्तविकता यह है कि ईश्वर तो लोगों के लिए उदार अनुग्राही है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते ।'' (क़ुरआन, 2:243)

इसके बाद ही इस तरह मुसलमानों को लड़ने का आदेश दिया है : ''ईश्वर के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि ईश्वर ख़ूब सुनने और जानने वाला है ।''

(क़ुरआन, 2:244)

और इसके बाद पुन: इसराईल के गिरोह का उल्लेख किया है : ''क्या तुमने मूसा के पश्चात इसराईल की संतान के सरदारों को नहीं देखा, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा : 'हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो, ताकि हम ईश्वर के मार्ग में युद्ध करें ?' नबी ने कहा : 'यदि तुम्हें कोई लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में यह संभावना नहीं है कि तुम न लड़ो ?' वे कहने लगे : 'हम ईश्वर के मार्ग में क्यों न लड़ेंगे जबकि हम अपने घरों से निकाल दिये गये हैं और अपने बाल-बच्चों से भी अलग कर दिये गये हैं ?'-फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब के सब फिर गये । और ईश्वर ज़ालिमों को भली-भांति जानता है ।''

(क़ुरआन, 2:246)

यह और ऐसे बहुत-से उदाहरण बार-बार इसी तथ्य को समझाने के लिए प्रस्तुत किये गये हैं कि भलाई की स्थापना और उसके स्थायित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसकी रक्षा करने वाले सच्चे उत्सर्ग की आत्मा है और जिस क़ौम से यह आत्मा विदा हो जाती है वह बहुत जल्द बुराई से पराजित होकर विनष्ट हो जाती है ।

साम्प्रदायिक हिंसा से देश व समाज को कैसे बचाएं ?

■ मुहम्मद सलीम इंजीनियर

साम्प्रदायिक हिंसा हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आज़ादी के बाद ही से बनी हुई है । देश में आज़ादी के बाद क़रीब 30 हज़ार साम्प्रदायिक दंगे या हिंसा की घटनाएं हुई है, जिनमें हज़ारों की संख्या में मासूम और बेगुनाह लोग मारे गये हैं । घर और व्यापार तबाह हुए हैं, इससे हुए आर्थिक नुक़सान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ।

यह स्पष्ट सच है कि इन घटनाओं में लगभग सारा नुक़सान मुस्लिम समुदाय का ही हुआ है, जो यह साबित करता है कि यह घटनाएं पूर्व नियोजित एवं मुस्लिम समुदाय के नुक़सान पहुंचाने के उद्देश्य से ही जाती हैं ।

1984 के सिख विरोधी दंगे भी महज़ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित थे और एक उद्देश्य के तहत किये गये थे ऐसा मेरा मानना है । ईसाइयों पर होने वाले हमले भी एक उद्देश्य के तहत तैयार की गयी योजना का हिस्सा हैं । पिछले दिनों, गोपालगढ़ (भरतपुर, राजस्थान), रुद्रपुर (उत्तराखंड) मुरादाबाद, बहराइच (यू॰पी॰) की हृदयविदारक घटनाओं ने सभी देशवासियों को इस चुनौती के बारे में फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है ।

आज़ादी के बाद से अब तक जारी इन हिंसा की घटनाओं को बहुत चालाकी से साम्प्रदायिक दंगों के रूप में प्रचारित करके यह आभास कराने की कोशिश की गयी है कि यह सम्प्रदायों के बीच आपसी टकराव है, इसकी वजह दोनों पक्ष हैं और नुक़सान भी दोनों ही पक्षों का होता है । लिहाज़ा दोषी दोनों ही पक्ष है और सज़ा भी दोनों ही पक्षों को मिलनी चाहिए । इस सुनियोजित, भ्रमित प्रचार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में बड़ी रुकावट का काम किया और पीड़ितों से सहानुभूति के बजाय उन्हें भी शक के दायरे में खड़ा कर दिया । यही साम्प्रदायिक एवं फासिस्ट शक्तियों के षड्यंत्र का हिस्सा हैं । यह बात अब दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट हो चुकी है कि यह घटनाएं साम्प्रदायिक दंगे नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों पर योजनाबद्ध हमले हैं ।

यह बात स्पष्ट है कि कोई हिंसा की घटना अगर किसी उत्तेजना का परिणाम हो या दो व्यक्तियों या समूहों के बीच टकराव हो तो वह घंटे आधे घंटे के लिए हो सकती हैं । अगर हिंसा घंटों और दिनों तक जारी रहती है तो यह उसी वक़्त संभव है जब यह पूर्व नियोजित हो तथा दंगाइयों के साथ पुलिस, प्रशासन या सरकार के कुछ हिस्से की इसमें मिलीभगत अथवा मौन स्वीकृति हो । हाल की घटनाओं और गुजरात के नरसंहार, 1984 में सिख समुदाय पर हुए हमले, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद मुसलमानों पर हमले, उड़ीसा में इसाईयों पर हुए हमले इसके कुछ दर्दनाक उदाहरण हैं ।

मुसलमानों के प्रति घृणा को वैचारिक रूप से आधार बनाकर भारत की आम जनता में मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाने का सुनियोजित प्रयास करने वाला साम्प्रदायिक एवं फॉसिस्ट तबक़ा भारत में बहुत बड़ी संख्या में नहीं है । वह बहुत ही अल्पसंख्या में है, मगर उसके दुष्प्रचार का प्रभाव काफ़ी दूर तक फैला है । यह फ़ासिस्ट वर्ग अपने आपको सबसे ज़्यादा देशभक्त समझता है और अपनी इस मुस्लिम व ईसाई विरोधी नीति को मज़बूत भारत के निर्माण के लिए ज़रूरी समझता है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय का आर्थिक या शैक्षिक रूप से तरक़्क़ी करना उसें बिल्कुल गवारा नहीं है ।

सुनियोजित हिंसा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से तबाह करना और इतना भयभीत कर देना

कि वे अपने अधिकारों के बारे में अपनी और देश की तरक़्क़ी के बारे में सोचने के लायक़ न रहें । फासिस्ट ताक़तें यही चाहती हैं । वे चाहती हैं कि अपने अस्तित्व और सुरक्षा का ख़तरा उन्हें हर वक़्त सताता रहे ।

पिछले कुछ सालों से इस फ़ासिस्ट एजेंडे ने नयी दिशा में काम किया है । देश में जगह-जगह बम धमाकों के माध्यम से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान लेकर, झूठे प्रचार के माध्यम से उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर रखकर, अच्छे पढ़े-लिखे, मुस्लिम युवाओं को सताने और भयभीत करने की योजना पर अमल किया गया । इस ख़तरनाक षड्यंत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही इस्लाम व मुस्लिम विरोधी ताक़तों, अमेरिका और इसराईल आदि को साथ लिया जा रहा है ।

हमारे देश की अमेरिका और इसराईल से बढ़ती नज़दीकियों ने अपने ही देश की एक बड़ी मुस्लिम आबादी को शक के दायरे में खड़ा कर, भारत को कमज़ोर करने के इन साम्राज्यवादी ताक़तों के मंसूबों की परोक्ष रूप से मदद ही की है ।

इन हालात में हम सब देशवासियों का यह दायित्व है कि हम देश को ग़लत राहों पर जाने से रोकें । साम्प्रदायिक व फॉसिस्ट तरीक़े से देश को कमज़ोर करने वाले, नफ़रत फैलाने वालों के दुष्प्रचार से भारत की जनता को बचाएं, सरकार एवं प्रशासन को इस दुष्प्रचार की बरसों पुरानी गुलामी से आज़ाद कराने के सुनियोजित व संगठित प्रयास करें ।

मेरा यह दृढ़विश्वास है कि भारत की जनता, प्रेम व भाईचारे ही में विश्वास रखती है, मगर इस दुष्प्रचार के ज़हर ने काफ़ी असर किया है । इस ज़हर को और फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि कई स्तरों पर आपसी संवाद और मेल-जोल को बढ़ाने तथा एक-दूसरे के बारे में ग़लतफ़हमियां दूर करने की संगठित कोशिशें की जाएं ।

सामाजिक स्तर पर विभिन्न धर्म व सम्प्रदायों के मानने वालों और धर्माचार्यों के बीच निरंतर संवाद क़ायम किये जाएं ताकि हमें एक-दूसरे के धर्म और आस्थाओं से ठीक तरह से सीधे तौर पर परिचय हों तथा एक-दूसरे के बारे में संवादहीनता और दुष्प्रचार की वजह से फैली हुई ग़लतफ़हमियों का निवारण हो सके । इससे न सिर्फ़ आपसी प्रेम, भाईचारा और विश्वास बढ़ेगा बल्कि पूरा देश मिलकर तरक़्क़ी और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा ।

इस संवाद को मुस्लिम समुदाय और पुलिस व प्रशासन के बीच भी क़ायम करना साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए ज़रूरी है । पुलिस व प्रशासन में भी एक लंबी अवधि के दुष्प्रचार से मुस्लिम समुदाय के प्रति ग़लत धारणा पैदा हुई हैं । उसके नतीजे में ऐसी घटनाओं के समय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की साम्प्रदायिक मानसिकता बहुत ख़तरनाक साबित होती है । यह बात सही है, साम्प्रदायिक व मुस्लिम विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है । ऐसे संवाद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जिसमें पुलिस व प्रशासन व मुस्लिम समुदाय एक-दूसरे से ठीक से परिचित हों तथा इस्लाम व मुसलमानों के बारे में पायी जाने वाली ग़लत धारणाएं दूर हो सकें । पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन ग़लतधारणाओं को दूर करने संबंधी विषय भी शामिल किये गये ।

हम ज़िम्मेदार नागरिकों को यह दायित्व निभाना पड़ेगा कि इस नियोजित हिंसा को रोकने में सरकार अपना दायित्व निभाएं, क़ानून हाथ में लेने वाले, नफ़रत फैलाने वाले राष्ट्र व समाज विरोधी तत्वों और उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करने वाले गैरज़िम्मेदार अधिकारियों पर जल्द और क़ानूनसम्मत कार्यवाहियां हों ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि हर क़ीमत पर क़ानून व व्यवस्था क़ायम की जाएगी । ऐसा न होने की वजह से अपराधियों और दोषी अधिकारियों के हौसले बढ़ते हैं और ऐसी हिंसक घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती चली जाती हैं ।

हमें चाहिए कि हम सरकारों पर दबाव बनाएं कि वे पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने में राजनीतिक स्वार्थ को आड़े न आने दें और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और अपराधियों को जल्द सज़ा मिले ।

हर स्तर पर संवाद बढ़ाने और ग़लत धारणाओं का निवारण करने में प्रेस व मीडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए । पीड़ितों के लिए न्याय की आवाज़ उठाने वाले, आपसी विश्वास बढ़ाने वाले मीडिया को प्रोत्साहित करना भी इस पुनीत कार्य में बहुत मददगार साबित होगा ।

मेरा यह विश्वास है कि हम सब देशवासी संगठित होकर इसके लिए प्रयास करें तो इस चुनौती का कामयाबी से मुक़ाबला कर सकते हैं । देश को प्रगति और समृद्धि की राहों पर ले जाने का यही एक रास्ता है ।

यमन को एक कर रही है क्रांति–तवक्कुल

तीन बच्चों की मां यमन देश की 'क्रांति की मां' बन गयी । जब उन्हें नोबेल शान्ति पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की जा रही थी तब वे यमन की राजधानी सना में उस स्थान पर थी जहां वह पिछले आठ महीने से लगभग हर रोज़ जाती है । 'परिवर्तन चौक' जो यमनी तानाशाह अली अब्दुल्लाह सालेह के ख़िलाफ़ विरोध का केन्द्र बना हुआ है ।

32 साल की तवक्कुल कारमान ने नोबेल की ख़बर सुनकर कहा : ''यह पुरस्कार तवक्कुल के लिए नहीं है, यह यमन की जनता के लिए है, शहीदों के लिए है, सालेह और उसके गिरोह के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए है, यह अरब के लिए है, यह अरब की क्रांति के लिए है, इस पुरस्कार को मैं अरब क्रांति के कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूं ।'' कारमान के बारे में उनकी लड़ाई के बारे में और यमन की क्रांति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लिखा गया है और लिखा भी जाएगा । आइये पढ़ते हैं ***तवक्कुल कारमान*** *का यह एक आलेख ।*

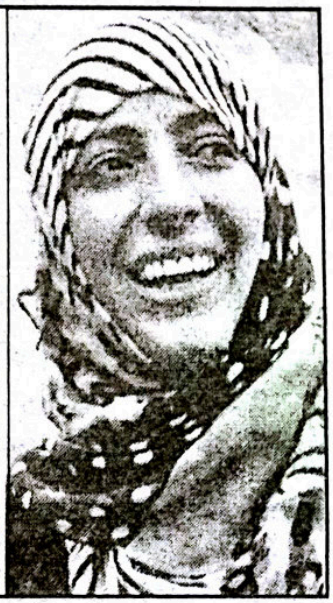

ट्यूनीशिया में 14 जनवरी बेन अली के पतन के तुरंत बाद यमन में क्रांति की शुरुआत हो गयी । जैसा कि मैं हर प्रदर्शन से पहले करती हूं । मैंने फेसबुक पर लोगों का आह्वान किया कि ट्यूनीशिया विद्रोह का उत्सव मनाने के लिए 16 जनवरी को इकट्ठा हो । अगले दिन सना विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने ट्यूनीशियाई दूतावास के सामने प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मुझसे कहा । वहां जमा लोग नारे लगा रहे थे–'बहादुरों ! बुरे शासकों के विरुद्ध इस अग्नि-पंक्ति में हम तुम्हारे साथ हैं ।' हमारे साथ सुरक्षाकर्मी बहुत ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे थे और हम गा रहे थे ट्यूनीशिया के विद्रोहियों के नारे–'अगर, किसी दिन, लोगों ने जीने की आकांक्षा कर दी, तो भाग्य उनका साथ देगा', और 'इस रात का अंत तो होना ही चाहिए!' प्रदर्शन ज़बरदस्त था । हज़ारों लोग शरीक हुए । सना में सत्ता के विरुद्ध यह पहला शांतिपूर्ण प्रदर्शन था । हम चीख रहे थे–'चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें भगाया जाए ।'

उस रात मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद सैफ़ हाशिद और लेखक अब्दुल बारी ताहिर के साथ छात्र और युवा नेता मेरे यहां आये । हम लोगों में यह आम राय बनी कि हमें ऐतिहासिक क्षण को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और हम भी इस तानाशाही के ख़ात्मे के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं । हमने तय किया कि संभावित भयंकर दमन के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे । सरकार की हरकतों के बावजूद रोज़-ब-रोज़ रैलियों की ताक़त बढ़ने लगी । हफ़्ते भर के विरोध के बाद मुझे आधी रात को गिरफ़्तार कर लिया गया । यमनी क्रांति का यह निर्णायक क्षण था–मीडिया में मेरी गिरफ़्तारी की ख़बर आने के साथ ही देश के अधिकतर हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गये । इन प्रदर्शनों को छात्रों, सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञयों ने आयोजित किया था । भारी दबाव के चलते सरकार को 36 घंटे के भीतर मुझे महिला क़ैदियों की कारागार से, जिसमें मुझे ज़ंजीरों में बांध कर रखा गया था, रिहा करना पड़ा । रिहाई के बाद मैं प्रदर्शनों में हिस्सा लेती रही । यमन के अलग-अलग दलों-गुटों जिसमें दक्षिण के लोग, उत्तर के हुथियून, क़बीले, ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी के संगठन और सैनिक शामिल थे, को निवेदन किया गया कि वे छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लें और इस सत्ता से पद छोड़ने की मांग करें । हमने उन्हें आपसी मतभेदों को भूलने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात के लिए निश्चिंत किया कि अली अब्दुल्लाह सालेह के बिना यमन बेहतर होगा, यह कि यमनी लोग अपनी समस्याओं, जिनमें साना की लड़ाई, दक्षिणी यमन का सवाल और आतंकवाद भी शामिल है, को खुद सुलझाने में सक्षम हैं ।

देश भर में ताज़, अदन, अल-हदिदा जैसी जगहों पर, तम्बू गड़ गये, क़ाहिरा के तहरीर की तर्ज़ पर । 'आज़ादी

और बदलाव के चौकों' पर हज़ारों की तादाद में लोग जुटने लगे । समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से क्रांति अब बस छात्रों का आन्दोलन भर नहीं थी । तो इस तानाशाही के ख़ात्मे के बाद क्या होगा ? हम देश में बदलाव के पहले चरण में हैं और क्रांतिकारी का मानना है कि इस सत्ता के जाने के बाद यमन के लोग अपनी मुश्किलों का हाल निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियों का कारण मौजूदा शासन ही है । बेहतर भविष्य के साथ एक नया यमन हमारा इन्तिज़ार कर रहा है । हम सच से आगाह हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि अपने भेदभाव को किनारे रखकर मूलभूत मसले पर लोगों की एकजुटता से इस क्रांति ने सामाजिक शांति का माहौल बनाया है । यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, जबकि अनुमानत: यमन में सत्तर मिलियन हथियार हैं । बीते पांच सालों में मेरे देश ने छह युद्ध देखा है, लेकिन अभी लोगों की बंदूकें शांत हैं । उन्होंने शांतिपूर्ण परिवर्तन का रास्ता चुना है । सरकार ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या की है लेकिन एक भी पुलिस वाला या सुरक्षाकर्मी लोगों के द्वारा नहीं मारा गया है । मारब जैसे सर्वाधिक हिंसात्मक और अराजक प्रदेश में भी पहली बार अहिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं ।

एक-दूसरे से दशकों तक लड़ते रहने वाले हिंसक क़बीले 'परिवर्तन चौकों' पर साथ खड़े हैं । ख़ूनी संघर्ष बिसार दिया गया है । घात लगाकर पचास से अधिक प्रदर्शनकारियों को मारने और हज़ार से अधिक को घायल करने वाले बंदूक़धारी हत्यारों को युवाओं ने धर दबोचा लेकिन क्रोध और आक्रोश के बावजूद उन्हें नुक़सान नहीं पहुंचाया । यह क्रांति के शांतिपूर्ण स्वरूप का परिचायक था । पहली बार दक्षिण के लोगों ने यमन से अलग होने की मांग करना बंद कर दिया । राष्ट्रीय झंडे को हाथ में लिया और तानाशाही ख़त्म करने की आवाज़ लगायी । देश गोलियों और आंसू-गैस की जगह रैलियों और धरने के रास्ते, नागरिक अवज्ञा और नारों के द्वारा इस सरकार से मुक्ति के लक्ष्य में एक साथ है ।

हम आश्वस्त हैं कि हमारी क्रांति सफल हो चुकी है और सालेह की सत्ता असलियत में अपना असर खो चुकी है । यह वह सत्ता है जिसने पिछले 33 सालों से हिंसा और हरामख़ोरी से शासन किया है । आवश्यकता पड़ने पर महीनों तक चौकों पर डटे रहने की हमारी ज़िद्द और शासन की बंदूक़ों के सामने सीना खोलकर खड़े होने वाले युवाओं के कारण हमने इस तानाशाही को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है । राजनेताओं और सैनिकों के हमारे पक्ष में होने से हमारी सफलता अभी और आगे बढ़ेगी ।

अतिवाद के बहाने को हम देश में चल रहे ऐतिहासिक बदलाव के रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देंगे । सालेह सत्ता से चिपके रहने के लिए यह धमकी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि देश में स्थायित्व लाने और आतंकवाद से लड़ने में वही सक्षम है । उनके झूठ पर भरोसा करना बेवक़ूफ़ी होगी ।

हम इस बात को समझें कि यमनी क्रांति ने युद्ध और संघर्षों से परेशान देश में आंतरिक स्थायित्व स्थापित कर दिया है । मैं पूरी दुनिया से निवेदन करती हूं कि वह इस शांतिपूर्ण क्रांति का समर्थन करे जैसा कि उसने ट्यूनीशिया और मिस्र में किया । मैं अमेरिका और यूरोपीय संघ से निवेदन करती हूं कि वे लोगों की मांग को मानते हुए सालेह को पद छोड़ने के लिए कहें । उन्हें इस तानाशाही को दिये जाने वाला समर्थन रोक देना चाहिए, ख़ासकर वैसी मद दें जो लोगों को शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने में इस्तेमाल की जा रही हैं । आंसू गैस के गोलों पर 'मेड इन अमेरिका' लिखा होता है । उन्हें सालेह परिवार और उनके सहयोगियों की संपत्तियां ज़ब्त कर लेनी चाहिए तथा उन्हें यमनी लोगों को लौटा दिया जाना चाहिए । अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ ईमानदारी से लोगों के साथ हैं, जैसा कि उनका दावा है, तो उन्हें हमारे शांतिपूर्ण क्रांति से धोखा नहीं खाना चाहिए। यह यमन की बहुसंख्यक जनता की जनवादी आकांक्षा की अभिव्यक्ति है ।

(अनुवाद : प्रकाश के॰रे॰)

खा रहा है आदमी को आदमी!

आंख में अब तक चमकी है नमी
चेहरों पर है मुस्कुराहट मौसमी
हर तरफ़ है ख़ौफ़ का वातावरण
शहर में भी दरिन्दों की क्या कमी
वायदों का शोरगुल है हर तरफ़
ज़िन्दगी की सुरक्षा है लाज़िमी
हो गयी कितनी विवश अब व्यवस्था
हर सुबह के हैं उजाले मातमी
भूख फिरती 'ओम' अब तो निर्वसन
खा रहा है आदमी को आदमी !

ओम रायज़ादा
कटनी (म॰प्र॰)

सती प्रथा : कुछ प्रयास शेष

● मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

भ्रूण हत्या हो, डायन बताकर या चिता पर जलाकर, तीनों ही स्थितियों में नारी को 'सती' करने की प्रथा आज भी जीवित है । अन्तर केवल इतना है कि भ्रूण में कन्या हत्या छिपाकर की जाती है और सती का न केवल महिमामंडन होता है बल्कि समाज का एक अंश उसमें भागीदार भी बनता है । वर्तमान में जबकि भारत को उभरती शक्ति कहा जा रहा है, विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में इन्सान नित नयी ऊंचाइयों को छू रहा है ऐसे युग में भी सती प्रथा अपने व्यापक अर्थ में किसी न किसी रूप में जीवित है !

देश में कई सती मंदिर मौजूद है जहां नियमित पूजा-पाठ होती है । सबसे ज़्यादा मंदिर राजस्थान में पाये जाते हैं । राजस्थान के झुंझुनू शहर में स्थित राणी सती मंदिर विश्वविख्यात है, जहां नियमित रूप से पूजा-पाठ और महिमामंडन होता रहता है । सती प्रथा पर रोक के बावजूद राज्य हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूजा-पाठ होती है । सती होने वाली राणी जी की याद में बने इस मंदिर में मूर्ति को सुहागिन की तरह वैसे ही सजाया जाता है जैसे सती होते समय औरतों का दुल्हन की तरह शृंगार किया जाता है । हालांकि सती प्रथा, सती का महिमामंडन एवं सती प्रथा को बढ़ावा देना क़ानूनन प्रतिबंधित है ।

कई महिला संगठन सती मंदिर बनाने एवं वहां पर होने वाले पूजा पाठ का मुखर विरोध करते रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम जारी इस प्रथा को जायज़ ठहराने वालों की संख्या भी कम नहीं । राणी सती मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य सती की पूजा को ग़लत नहीं मानते हैं । उनका कहना है कि सती की पूजा करने का अर्थ उसका महिमामंडन करना नहीं है । वही एक अन्य सती मंदिर के पुजारी आचार्य धर्मेन्द्र का कहना है कि हिन्दू धर्म में सती की कोई परम्परा नहीं है पर पत्नियों के अपने पति के साथ मरने के उदाहरण ज़रूर हैं ।

भाजपा की वसुन्धरा राजे सरकार भी सती प्रथा के समर्थन में क़दम उठाती रही ! राजस्थान की तत्कालीन पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री उषा पुनिया की ओर 'राजस्थान के देवी-देवता' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित करवायी गयी थी, जिसके कई पृष्ठों पर सती का महिमा मंडन था ।

■ राजस्थान के झुंझुनू में कभी सती हुई दादी जी का सती मंदिर आज भी मौजूद है जहां न सिर्फ़ पूजा-पाठ होती है बल्कि इससे सती प्रथा को समर्थन भी मिलता है ।

■ चरण साह सती कांड, कुट्टू बाई सती कांड, रूप कंवर सती कांड यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी देश में सती प्रथा ज़िन्दा है । आज़ादी के बाद से अब तक अकेले राजस्थान में सती होने की 26 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं ।

गत वर्ष जून माह में शेखावटी क्षेत्र के एक गांव में सती होने की घटना ने समाज को हिला कर रख दिया । बावजूद इसके राजस्थान हाईकोर्ट ने सितम्बर माह में राज्य के दो सती मंदिरों में पूजा-पाठ करने की अनुमति दे दी । यह स्थिति तब है जबकि आज़ादी के बाद से राज्य में सती होने की 26 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं ।

सती प्रथा के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले सामाजिक संगठन पीपुल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज़ की कविता श्रीवास्तव सती मंदिरों में पूजा की अनुमति दिये जाने के ख़िलाफ़ हैं । वे कहती हैं कि सती मंदिरों में बढ़ती पूजा-अर्चना हिन्दू राष्ट्रवादी ताक़तों के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है । मालूम रहे कि हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थक न सिर्फ़ वर्ण व्यवस्था में आस्था रखते हैं, बल्कि सती प्रथा को

भी प्रोत्साहित करते हैं ।

चरण साह सती कांड ने एक समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था । इस पर सरकार व सामाजिक संगठनों में काफ़ी ले-दे हुई थी, लेकिन भविष्य में फिर कोई सती कांड न हो, इसका इन्तिज़ाम न उस समय किया गया, न आज । हालांकि कठोर क़ानून के साथ-साथ जागरूकता ने इस वीभत्स प्रथा पर बहुत हद तक रोक लगायी है, लेकिन दूर-दराज़ के क्षेत्र आज भी जनजागरूकता से वंचित हैं । इसका उदाहरण है लालमती वर्मा सती कांड । अक्तूबर 2008 में रायपुर के कसडोल क्षेत्र के छेछरी गांव में लालमती वर्मा अपनी पति की चिता के साथ जलकर मर गयी थीं । इसके बाद गांव वालों ने उनकी समाधि पर अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा-पाठ शुरू कर दी थी ।

बात मीडिया में आने के बाद जागे प्रशासन ने वहां से न सिर्फ़ पूजा-पाठ रुकवाया बल्कि उनके परिवार के सात लोगों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई भी की । इस गांव में लंबे समय से सती दाई की पूजा होती आ रही है । कहा जाता है कि लालमती को सती होने की प्रेरणा इसी से मिली थी । ऐसे ही अगस्त 2002 में मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में घटी तमोली सती कांड चर्चित रहा । इस घटना के बाद राज्य सरकार ने पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगा दिया था ।

मालूम रहे कि पन्ना ज़िले के तमोली गांव में 65 वर्षीय कुट्टू बाई को पति की चिता के साथ सती कर दिया गया था । जिस समय 65 वर्षीय कुट्टू बाई को सती किया गया, उस समय चिता के पास लगभग पांच सौ से ज़्यादा लोग इकट्ठा थे लेकिन किसी ने इसको न तो रोकने की कोशिश की न ही पुलिस को सूचना दी ।

घटना के बाद पुलिस ने कुट्टू बाई के दो बेटों समेत क़रीब 15 लोगों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की । राजस्थान में वर्ष 1987 में रूप कंवर सती कांड भी ख़ूब चर्चित रहा । इस कांड में 18 वर्षीया विधवा को पति की चिता के साथ जलाकर मार डाला गया था । आरोप था कि रूप कंवर के ससुर सुमेर सिंह और देवर पुष्पेन्द्र सिंह ने जबरन रूप कंवर को पति की चिता पर बैठाया था । लेकिन क़ानूनी ख़ामी के कारण दोनों 1996 में अदालत के निर्देश पर बरी हो गये । इस घटना से सबक़ लेते हुए सरकार ने सती क़ानून में संशोधन करते हुए सती होने के लिए प्रेरित करने को भी अपराध घोषित कर दिया । इसके बाद भी सती मंदिरों में पूजा पाठ को नहीं रोका गया । जून, 2005 में बांदा के बहुंडरी गांव में 75 वर्षीय राम कुमारी सती हो गयी, जिसके बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया कि वृद्धा को सती होने के लिए मजबूर किया गया । उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया था, किन्तु मृतक जागेश्वर तिवारी के संबंधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी । सती प्रथा इस देश में प्राचीन काल से है । पहले जब औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था उस समय आस्था के आधार पर उनकी हत्या की जाती थी । वर्तमान में सती होने की जो घटनाएं सामने आयी हैं उनके पीछे एक कारण यह भी होता है कि पति की मौत के बाद पत्नी को संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े । प्रसिद्ध दार्शनिक अल-बेरुनी ने अपनी किताब में अनेक स्थानों पर सती प्रथा का वर्णन किया है ।

अंग्रेज़ शासक लार्ड विलियम बैंटिक ने सबसे पहले सती प्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून बनाया था । समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ख़िलाफ़ सबसे सशक्त आन्दोलन चलाया था । समय-समय पर इस कुप्रथा के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही हैं । यही कारण है कि इस पर काफ़ी हद तक रोक लगाने में कामयाबी मिली है । लेकिन कुछ और उपाय करने अभी बाक़ी है ताकि इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जा सके । इसके लिए सामाजिक संगठनों के साथ-साथ सरकार को भी आगे आना चाहिए । महज़ क़ानून बना देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है ।

हमारे पुस्तकालय को सहयोग दीजिए

क्या आप चाहते हैं कि आपका साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र अथवा आपकी गद्य-पद्य साहित्यिक कृति या अन्य महत्वपूर्ण कृति अधिक से अधिक लोग पढ़ें और इच्छुक व्यक्ति शोध कार्य करें ? तो आप अपने पत्र-पत्रिकाएं अथवा कृतियां हमारे पुस्तकालय को भेंट स्वरूप भेज सकते हैं । इससे हमारा पुस्तकालय विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और विभिन्न विधाओं के ग्रंथों से समृद्ध होगा और आपके पत्र-पत्रिकाओं, ग्रंथों का लाभ भी सभी वर्ग के व्यक्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

पुस्तकालय का पता : आचार्य शिवप्रसाद सिंह स्मृति पुस्तकालय, (एम०एस०डी०एम० स्कूल) आदर्श कालोनी, चंड़ीगढ़-अम्बाला हाईवे, जीरकपुर, ज़िला-मोहाली (पंजाब) 140603

इस्लाम : मानव-सृष्टि के आरंभ से

■ अंजुम सिद्दीक़ी

बहुत से लोग अनजाने में समझते हैं कि इस्लाम एक नया धर्म है जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का चलाया हुआ है । यह उनकी भूल है । इस्लाम कदापि कोई नया धर्म नहीं है बल्कि इस्लाम ही सदा से सत्य प्रिय व्यक्तियों और नबियों का धर्म रहा है । भले ही विभिन्न भाषाओं और समयों में इसका नाम भिन्न रहा हो । वास्तविकता की दृष्टि से सच्चा धर्म हमेशा एक रहा है । सच्चे धर्म की मौलिक शिक्षाएं सदा एक रही हैं । कर्मकांड और जीवन के कुछ क्षेत्रों से संबंधित नियमों और परिपाटियों में समयानुसार परिवर्तन होता रहा है इससे इन्कार नहीं, लेकिन धर्म की मौलिक शिक्षाओं में अन्तर कभी भी नहीं हो सका । अन्तर होता भी कैसे ? मौलिक शिक्षाओं के बदल जाने के बाद तो धर्म ही बदल जाता ।

धर्म का अस्ल संबंध जीवन के वास्तविक तथ्यों और मानव स्वभाव से है । संसार के वास्तविक तथ्यों और मानव स्वभाव और मानवीय प्रकृति में जब परिवर्तन नहीं होता तो धर्म की मौलिकता और उसकी बुनियादी शिक्षाएं कैसे बदल सकती हैं । खुदा की ओर से जितने भी नबी या पैग़म्बर आये सबने एक ईश्वर की उपासना और उसके आदेशों के पालन की शिक्षा दी ।

सभी ने लोगों को इधर-उधर भटकने के बजाय इस बात की ओर बुलाया कि वे खुदा के नबियों और पैग़म्बरों के दिखाये हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, ईश्वर के प्रकोप से बचें और उसकी प्रसन्नता एवं सामीप्य प्राप्त करने की चेष्टा करें । इसके अतिरिक्त सभी नबियों ने ईश्वर की ओर से मानवों को सूचित किया कि जीवन केवल यही सांसारिक जीवन नहीं है, बल्कि मृत्यु के पश्चात एक समय आएगा जब सारे ही अगले-पिछले लोग ईश्वर के सम्मुख एकत्र किये जाएंगे और उन्हें उनके भले-बुरे कर्मों का फल दिया जाएगा । यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा । इस दिन हमारे बारे में अंतिम निर्णय कर दिया जाएगा । फिर या तो हम सदैव के लिए सुख-शांति और ईश्वरीय अनुकंपा के पात्र ठहरेंगे या सदैव के लिए हमारे हिस्से में दुख, पीड़ाएं, यातनाएं और ईश्वरीय प्रकोप ही आएगा । इस नाज़ुक और भयप्रद दिन की सूचना प्रत्येक नबी ने दी है और सभी ने इस दिन की सफलता का मार्ग दिखाया । सदा की ज़िन्दगी को इच्छा और कामना हमारी प्रकृति में सम्मिलित है । यह कामना इसी प्रकार पूरी होती दीख पड़ती है कि हम नबियों की दी हुई सूचना पर विश्वास करें और जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील हों ।

सत्य धर्म की एक विशेषता यह रही है कि उसने सदा मानवों को परस्पर एक-दूसरे का शुभचिंतक, सहयोगी और

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

भाई की संज्ञा दी । पारस्परिक भेदभाव, वैर और घृणा के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति और बंधुत्व की शिक्षा दी । लोगों को जीवन के प्रत्येक भाग में न्याय, सत्य और ईश्वर के दिये हुए आदेशों का पालन करना सिखाया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने धर्म की इन्हीं शिक्षाओं को मानव के समक्ष रखा, जिनको पहले के नबियों और पैग़म्बरों ने प्रस्तुत किया था । आपके लाए हुए धर्म को न तो नये धर्म की संज्ञा दी जा सकती है और न आपको किसी विशेष जाति और वर्ग का पथप्रदर्शक कहना सही होगा । आप सारे ही जगत को सत्य मार्ग दिखाने आये थे आपकी शिक्षा सारे ही मनुष्यों के लिए है । इसलिए कि आप खुदा के अंतिम नबी हैं । अब आपके बाद पथ-प्रदर्शन हेतु संसार में कोई नया नबी आने वाला नहीं है ।

आपके द्वारा सत्य-धर्म को पूर्ण रूप देकर सुरक्षित कर दिया गया है । आपका इन्कार समस्त नबियों और सत्य धर्म का इन्कार है । आपको मानने का अर्थ है कि हम पिछले सभी नबियों को मानें और उनका आदर करें । भले ही किसी भी देश में उनका जन्म हुआ हो और उनकी भाषा कुछ भी रही हो ।

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

मद्रासी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी०जी०)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं० 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

AQUIL MUKHTAR
DEVELOPERS PVT. LTD.

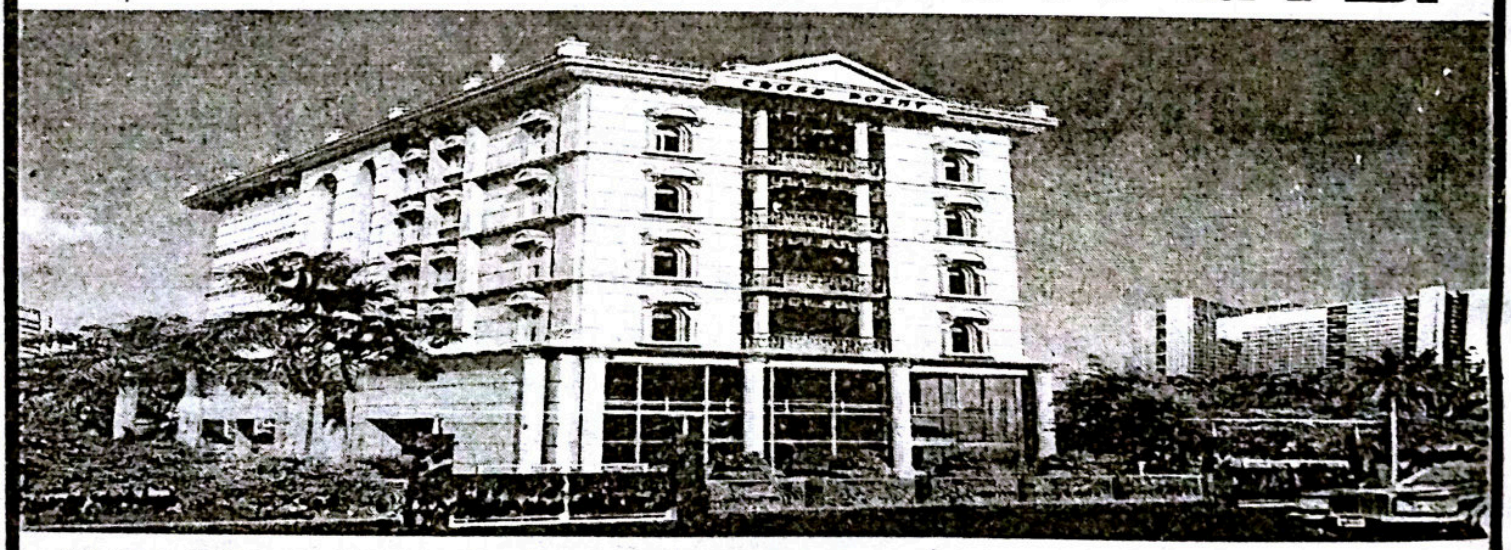

M.D. MR. MUKHTAR AHMED
MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

काव्य-रचना

सदाचरण अपनाएं

दुराचरण को त्याग सर्वथा, सदाचरण अपनाएं
स्वहित छोड़कर परहिताय भी, अपना हाथ बढ़ाएं ।

नर-सेवा है ईश्वर-सेवा, इसके हित हम जागें ।
हर प्रकार की भेद भावना, अपने मन से त्यागें ।।

नहीं किसी के प्रति दुराव हो, भाव न हो नफ़रत का ।
नहीं किसी को छोटा समझें, लोभ न हो दौलत का ।।

नहीं किसी को धोखा दें हम, नहीं किसी से भी कटु बोलें ।
कभी किसी के जीवन में हम, रंचमात्र भी ज़हर न घोलें ।।

नहीं किसी से वैर करें हम, आपस में हो भाईचारा ।
सबको एक नज़र से देखें, नहीं कभी हो मारी मारा ।।

सभी भक्त हैं एक ईश के, इस पर गहन विचार करें ।
सबसे ही निष्कपट भाव से, सदा मधुर व्यवहार करें ।।

सद्विचार जब ऐसा होगा, तब जन-जन का हित होगा ।
सबका जीवन सुखमय होगा, हरगिज़ नहीं अहित होगा ।।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह
इलाहाबाद (उ॰प्र॰)

ज़िन्दगी

ज़िन्दगी अज़ाब-सी कभी लगे नवाब-सी ।
कभी लगे शबाब-सी, कभी लगे सवाब-सी ।
सिद्धि-सी लगे कभी, कभी लगे निषिद्धि-सी ।
प्रश्न-सी लगे कभी, कभी लगे जवाब-सी ।
है करील-सी कभी, कभी-कभी गुलाब-सी ।
घोर अंधकार-सी, कभी है आफ़ताब-सी ।
ज़िन्दगी हिसाब की खुली हुई किताब-सी ।
हेय-सी लगे कभी, कभी तो लाजवाब-सी ।
है संयोग-सी कभी, कभी-कभी वियोग-सी ।
है निरोग-सी कभी, कभी-कभी है रोग-सी ।
ज़िन्दगी है पुण्य-सी, कभी है पाप-शाप सी ।
योग-योग सी कभी, कभी है भोग-भोग सी ।
कभी निवास-सी लगे, कभी लगे प्रवास-सी ।
कभी उदास-सी लगे, कभी लगे हुलास-सी ।
कभी लगे नवीन-सी, युगीन-सी लगे कभी ।
कभी लगे ये ज़िन्दगी विकास के प्रयास-सी ।
संत-सी लगे कभी, कभी लगे महंत-सी ।
कभी सरल-तरल लगे, कभी लगे दुरन्त-सी ।
ये ज़िन्दगी प्रसाद-सी, कभी लगे विषाद-सी ।
अपंत-सदृश कभी लगे, कभी लोग वसंत-सी ।।

● **डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत**

साहित्य समाचार

डॉ॰ हीरालाल जायसवाल सम्मानित

गोंदिया के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार डॉ॰ हीरालाल जायसवाल 'हीरा' को उनके शोधपूर्ण निबंधों की पुस्तक साहित्यालोक पर उनके मौलिक चिंतन एवं विचारों के लिए 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य एकेडमी मुंबई की ओर से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

पुरस्कार समारोह सचिवालय जिमख़ाना में सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतले जी एवं राज्य मंत्री श्रीमती फ़ौजिया ख़ान द्वारा 35 हज़ार रुपयों की राशि का चेक, शाल, स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया । इस अवसर पर साहित्य की अन्य विद्याओं के विद्वानों को भी पुरस्कृत किया गया ।

इस कार्यक्रम में एकेडमी के कार्याध्यक्ष डॉ॰ दामोदर खडसे (पूना) 'नवनीत' के संपादक विशेष अतिथि विश्वनाथ सचदेव, डॉ॰ आनंद प्रकाश दीक्षित, नारायण दत्त स्वाती म्हसे पाटिल, संचालक अशुतोष घोरपड़े, मीनल जोगलेकर, मंच पर उपस्थित थे ।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

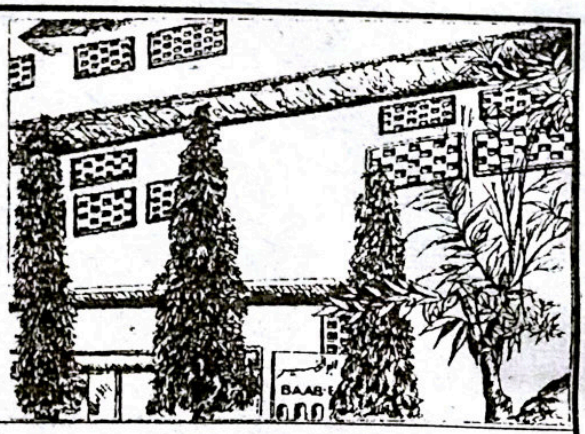

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2011 ई॰ तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

मौत से बचाने वाला वह हाथ

● डॉ॰ अमित अग्रवाल
(बाल रोग विशेषज्ञ, नयी दिल्ली)

मैंने बहुत नज़दीक से मौत को देखा है । ऐसा लग रहा था जैसे हिमगिरी एक्सप्रेस के कोच के ऊपर ख़ून की नदी बह रही हो । नीचे हज़ारों की संख्या में युवक पथराव कर रहे थे । यात्रियों को कोच में घुसकर पीट रहे थे । यात्री सीटों के नीचे छिपकर जान बचा रहे थे । कोच में ऐसे लड़के घुस आये थे जो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे । बस उनके ऊपर ख़ून सवार था ।

आख़िर जाएं भी तो कहां । ट्रेन से कूदकर मैं अपनी पत्नी रश्मि अग्रवाल, उनकी बहन पूनम अग्रवाल और बेटे तनय के साथ खेतों की ओर भागा । मुड़कर देखा तो एसी कोच से आग की भयानक लपटें उठ रही थीं । हम लोग बरेली से हिमगिरी एक्सप्रेस में लखनऊ जाने को एसी कोच में सवार हुए थे । मंगलवार की रात को शादी में पहुंचना था ।

एसी कोच के ऊपर भी युवक सवार थे । जैसे ही ट्रेन रोजा ओवरब्रिज के पास पहुंची कि कोच के ऊपर बैठे बरेली आई॰टी॰बी॰पी॰ में भर्ती होने गये युवक लौटते समय पुल से टकरा गये । चीखने की आवाज़ें सुनायी देने लगीं । अचानक ख़ून की धार नीचे बहती हुए दिखी । ट्रेन को युवकों ने चेन पुलिंग करके रोक लिया । फिर तो वे सब एसी कोच पर गुस्सा उतारने लगे । खिड़कियों के शीशे तोड़कर अन्दर आ गये । कोच पर पत्थर बरसा कर उसे तहसनहस कर दिया ।

यात्रियों से मारपीट और लूटपाट करने लगे । बेटे तनय को पीटकर वॉकमैन छीन लिया । उपद्रवियों में कुछ नेक इन्सान भी थे, जिन्होंने कोच में आग लगाने से पहले कह दिया कि नीचे उतर जाओ, कोच में आग लगाऊंगा । कुछ लुटेरे और क्रूर थे, जो मारपीट और लूटपाट में लगे रहे । पूनम को क़रीब पांच-छह फिट ऊंचाई से किसी ने धक्का दिया । पूनम कोच से नीचे गिरी लेकिन वहां मौजूद हिन्दुस्तान के संवाददाता साजिद रज़ा ख़ां ने पकड़ लिया, जिससे उसे चोट नहीं लगी । इसके बाद साजिद खुद कोच में चढ़ गया और हम सबको जलते डिब्बे से निकाल कर हमारी जान बचायी । उन्होंने ही टैक्सी का इन्तिज़ाम कर हमें घर भेजा । आई॰एम॰ए॰ बरेली ने डॉ॰ अमित अग्रवाल और उनके परिवार की जान बचाने वाले 'हिन्दुस्तान', शाहजहांपुर के पत्रकार साजिद रज़ा ख़ां को सम्मानित किया ।

सबको नींद चैन की आये

सबको नींद चैन की आये

गली, गांव, कूचे सारे ही
धुले हुए ख़ुशियों से हों
गौरैये की फुदकन आंगन
गीत-गीत बुलबुल से हों

सब हों परिचित चांद रूप से
उजियारा खुल-खुल बतियाए

ऊंच-नीच, विद्वेष परे हो
सब समान अगड़े न पिछड़े
शांति सुमन की बूंदें बरसें
नहीं लड़ाई, रार न झगड़े

नंगे जलते सर पर फैलें
प्रेम भाव के लंबे साये

सूनापन उत्सव ले थिरके
भाई बुलाये भाई कह के
मौसम कोई दिन या रात
प्रीति परस्पर बगिया महके

बच्चों-सी मुस्कान मनोरम
सबका छूकर हाथ हिलाये

सबको नींद चैन की आये ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील
हथुआ डाकघर (बिहार)

चौकड़ी राम का मकान

■ अशोक कुमार

रिमझिम वन में एक बहुत बड़ा तालाब था । तालाब जैसा सुन्दर था, उसमें रहने वाली मछलियां भी उतनी ही सुन्दर थीं । नीली मछलियां, लाल मछलियां, गुलाबी मछलियां और सुनहरी मछलियां ।

इस तालाब में एक नटखट मेंढक भी रहता था । उसका नाम था चौकड़ी राम । एक बार चौकड़ी राम ने एक मछुआरे के आने की ख़बर देकर सब मछलियों की जान भी बचायी थी । जब तक मछुआरा अपने लंबे-चौड़े जाल को तालाब में डालता, तब तक सभी मछलियां सुरक्षित स्थानों में जा छिपी थी ।

मेंढ़क चौकड़ी राम के कारण ही मछलियां दूसरे तालाब की मछलियों का हाल-चाल भी जान लेती थी । इस सबके बदले सभी मछलियां चौकड़ी राम को बड़े प्यार से अपने साथ रखती थी । चौकड़ी राम के चारों तरफ़ घेरा बनाकर जब वे तैरती तो चौकड़ी राम तालियां बजा-बजाकर नाचता । चौकड़ी राम की एक बुरी आदत भी थी । वह बेसिर-पैर की गप्पें बहुत हांकता रहता था ।

बालकथा

एक दिन जब चौकड़ी राम बाहर से लौटा तो उसने मछलियों को बताया–"मैंने रिमझिम वन के साथ वाले गांव में कुछ ज़मीन ख़रीदी है, वहां मेरा मकान बन रहा है । इस समय कई मज़दूर वहां काम कर रहे हैं ।"

"लेकिन तुमने पहले तो कभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया ।" टीना मछली ने कहा ।

"मुझे डर था कि इस ख़बर को सुनकर तुम्हें दुख होगा क्योंकि मैं कुछ ही दिन बाद इस तालाब को छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था, लेकिन अब मैं मकान के साथ एक तालाब भी बनवा रहा हूं । तालाब बनते ही हम सब एक साथ वहां जाएंगे ।" चौकड़ी बोला ।

"हम सब ?" कई मछलियों ने एक साथ ख़ुशी से चहकते हुए पूछा, "हम सब वहां कैसे पहुंचेगी ?"

चौकड़ी राम उछलकर बोला–"एक हेलीकॉप्टर वाला मेरा दोस्त है । वह हेलीकॉप्टर से बंधा एक टब यहां लटकाएगा और तुम सब उसी टब से मेरे तालाब में पहुंचोगी ।"

एक बड़ी मछली ने हैरानी से कहा–"चौकड़ी भैया, तुम तो बड़े छिपे रुस्तम निकले । यह तो बताओ कि तुमने इतना सारा पैसा कहां से कमा लिया ? मकान वग़ैरह बनवाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए न ?"

"अब तुम से क्या छिपाना ?" चौकड़ी बोला, "मैं एक जासूस हूं और चोरी छिपे कई समुद्री जानवरों के लिए काम करता हूं । मैं उन्हें समुद्र में छिपे उनके दुश्मन देशों की ख़बरें देकर ढेरों रुपये कमाता हूं ।"

सभी मछलियां चौकड़ी राम की बातें सुनकर दंग रह गयीं ।

लगभग दो सप्ताह के बाद मछलियों ने चौकड़ी राम से पूछा–"अभी तक तुम्हारे मकान और तालाब का काम पूरा नहीं हुआ ? तुम्हारे दोस्त का हेलीकॉप्टर हमें लेने कब आ रहा है ?"

चौकड़ी राम ने एकाएक जवाब दिया–"मकान तो तैयार है । तालाब भी लगभग तैयार है लेकिन मैं उसके ऊपर कूदने वाली सीढ़ी लगवाना चाहता हूं । वह सीढ़ी रूस से आएगी । मेरे दोस्त का हेलीकॉप्टर उसी सीढ़ी को लेने गया है । परसों तक हम तुम्हें अपने तालाब में पहुंचा देंगे ।"

एक सप्ताह बीत गया । मछलियों ने कहा–"चौकड़ी भाई, तुम्हारे दोस्त का हेलीकॉप्टर शायद रास्ते में ख़राब हो गया है मगर हम तो अभी तुम्हारे तालाब में पहुंचना चाहती हैं । कुछ देर पहले यहां चार हंस आये थे, हमने उनसे प्रार्थना की थी कि आज हमें तुम्हारे यहां तक पहुंचा दें ।"

तभी हंस भी वहां आ पहुंचे । उनके पास एक बड़ा टब था जिसे चारों हंसों ने पकड़ कर लटका रखा था ।

"हंस भाइयों ।" चौकड़ी बोला, "मैंने अपने मकान और तालाब का उद्घाटन करने के लिए एक नेता को बुला रखा है, वह थोड़ी ही देर में वहां आने वाले हैं । पहले मैं उद्घाटन करा लूं । फिर हम सब वहां इकट्ठे चलेंगे ।"

कहकर चौकड़ी चला गया ।

लगभग दो सप्ताह के बाद जब चौकड़ी तालाब में धीरे से कूदा तो सभी मछलियों ने उसे घेर लिया । इससे पहले कि वह कुछ कहता, एक बूढ़ी मछली ने हंसते हुए कहा–''अब कोई और गप्प न हांकना चौकड़ी भैया ।''

यह सुनते ही चौकड़ी सिर झुकाकर बोला, ''मैं जानता हूं कि हंसों ने ज़रूर तुम्हें ख़बर दे दी होगी कि न तो मैं जासूस हूं, न मेरा कोई मकान है और न ही मैंने तुम्हारे लिए कोई तालाब बनवाया है । एक दिन मैंने तुम से एक झूठ क्या बोला, बस फिर उसी झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला गया । तुम चाहो तो मुझे अपने तालाब से बाहर निकाल सकती हो । मैं वास्तव में बहुत शर्मिन्दा हूं ।''

मछलियों ने चौकड़ी के चारों तरफ़ घेरा बनाकर नाचते हुए कहा–''चलो, हमारे बीच उछलते हुए क़सम खाओ कि न तो तुम हमारे तालाब से जाओगे और न ही अब कभी कोई झूठ बोलोगे ।''

चौकड़ी ने ख़ुशी-ख़ुशी मछलियों के इस अनोखे हुक्म का पालन किया ।



क्या आप जानते हैं ?

- प्राचीन मिस्र में वास्तविक लेड (सीसा) वाली पेंसिलें ही प्रयोग में लायी जाती थी । बाद में लेड के स्थान पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होने लगा लेकिन इन्हें आज भी लेड पेंसिलों के ही नाम से जाना जाता है ।
- रूसी वैज्ञानिक कोस्तालिन त्सिओएकोवस्की ने 1857 से 1935 के बीच अपने प्रयोगों के आधार पर यह धारणा व्यक्त की थी कि राकेट की मदद से अंतरिक्ष में यात्राएं संभव हैं ।
- एक औरत पेंसिल से 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है ।
- दक्षिण अमेरिका में स्थित 'एंड्स' पर्वत शृंखलाएं विश्व की सबसे लंबी पर्वत शृंखलाएं हैं और इनकी लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर ।
- अरब सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली खाड़ी है–'अदन की खाड़ी' ।
- किंग कोबरा विश्व भर में पाये जाने वाले विषैले सपों में सबसे लंबा होता है और भारत में पाये जाने वाले इस सर्प की लंबाई औसतन साढ़े पांच मीटर होती है ।
- एक औसत पुरुष में एक दिन में एक लाख बार दिल धड़कता है और लगभग साढ़े तेरह हज़ार लीटर ख़ून को पम्प करता है ।
- पृथ्वी की परिधि सबसे पहले आर्किमिडीज के परम मित्र यूनानी खगोलविद इराटास्थिनीज ने नापी थी ।
- विश्व का सबसे बड़ा तितली पार्क मलेशिया में स्थित है ।
- हाथी को प्रत्येक वस्तु दो गुना बड़ी नज़र आती है ।
- दरियाई घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसे आने वाले पसीने का रंग गुलाबी होता है ।
- लंका द्वीप की शक्ल नारियल के समान है ।

ख़ूबसूरत पक्षी हॉर्नबिल

हॉर्नबिल नामक भूरे व लाल रंग की गर्दन वाला रंग-बिरंगा पक्षी दुनिया भर के विभिन्न रंग-बिरंगे आकर्षक पक्षियों में एक ख़ूबसूरत पक्षी है जो ज़मीन से क़रीब 20 फुट ऊंचे पेड़ों पर कोटर बनाकर रहता है । इस पक्षी का वज़न दो से ढाई किलोग्राम तक होता है । नर हॉर्नबिल के पंख काफ़ी चमकदार होते हैं, जबकि मादा के पंख काले व हल्के भूरे रंग के होते हैं ।

मादा हॉर्नबिल अंडे देती है और अंडों में से चूजे निकलने के क़रीब तीन माह बाद चूजों के पंख निकलते हैं । जब तक हार्नबिल के बच्चों के पंख नहीं निकलते, तब तक मादा हॉर्नबिल कोटर में ही रहकर बच्चों की देखभाल करती है और भोजन के लिए उस दौरान वह पूरी तरह से नर हॉर्नबिल पर ही निर्भर रहती है ।

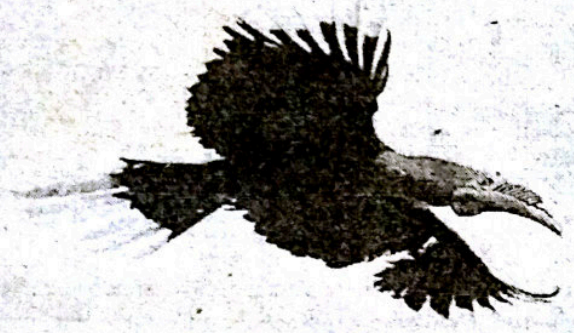

नर हॉर्नबिल इधर-उधर घूमकर भोजन लेकर शाम को ही कोटर में वापस लौटता है । जब चूजों के पंख निकल आते हैं, तब मादा भी यहां-वहां घूमना शूरू कर देती है । यह रंग-बिरंगा पक्षी वियतनाम के सदाबहार जंगलों में पाया जाता है, लेकिन पक्षियों की यह प्रजाति धीरे-धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।



EDARA MADINATUL OLOOM SOCIETY JAMSHEDPUR(REGISTERED)

A Society For Educational Excellence

- M O Academy High School – Nursery to x
  A name in Higher Secondary Education
- Sunrise Public School ICSE 10+2
  An English Medium School of Excellence
- Madrasa Madinatul-oloom
  A Centre of Islamic Studies
- Madinatul-oloom Council of Islamic Studies
  A Center for Islamic Learning for Higher Islamic Studies
- Madinatul oloom Institute of Information Technology
  A computer centre for modern studies
- M.O.Academy Free Coaching Centre
  Free coaching to class viii, ix and x students
- Markaz Motala-e-Islami
  A library for Islamic Studies
- Syed Sulaiman Nadvi Hall
  Madinatul oloom Mosque

Your generous help will be highly appreciated, Draft or cheque may please be sent in favour of Edara Madinatul uloom Society.

Dr.Shah Hasan Usmani, Founder Director
Edara Madinatul oloom Society
Old Purulia Road, Zakirnagar P.o.Azadnagar, Jamshedpur 832110 Jharakhand India.
Mobile : 8002705288 / 9835775505
Email: academy.mo@gmail.com, Website: www.moacademy.in

Posted on 20-21 November 2011
December 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.11.2011

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

KARIM CITY COLLEGE

JAMSHEDPUR

(A minority institution run and managed by Karimia Trust, Jamshedpur)
Permanently affiliated to Kolhan University, Jharkhand
College with Potential for Excellence (CPE) status by UGC
Phones: 2423863, 2437386, 2440206, 2431778, Fax: 2430495
e-mail: office@karimcitycollege.org web: www.karimcitycollege.org



Apart from Conventional teaching in Intermediate Arts, Science, Commerce & B.A., B.Sc., B.Com. upto Honours level – we also impart the following job oriented vocational courses :

* MASS COMMUNICATION VIDEO PRODUCTION
* INFORMATION TECHNOLOGY
* COMPULTER APPLICATIONS
* BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed) – affiliated to Kolhan University and recognized by NCTE, Bhubaneshwar
* P.G.teachings: (affiliated to Kolhan University, Jharkhand)
* M.A. in Mass Communication
* MCA
* Add-on(Vocational) Courses :

One year Certificate/Diploma/Advance Diploma in :
Industrial Chemistry, Pollution Management, e-Commerce, Functional English, Aqua Culture, Marketing, Sales Promotion & Sales Management, Information Technology Mass Communication Video Production, Computer Applications

New Ventures to be started from the coming session:
M.Sc. in Mathematics
M.A. in Urdu

Post Graduate Diploma under distance education programme from AMU, Aligarh	? Journalism & Mass Communication ? Portfolio Management ? Language for Advertisement, Marketing & Media ?PG Dip. In Guidance & Counseling
PROFESSIONAL Language Resource Centre	Language learning in English, French, German, Arabic & Communicative English

For further details contact office :: Karim City College, Jamshedpur

Dr. Mohammad Zakaria
PRINCIPAL